लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Session -XVI

(दसवीं लोक सभा)

(

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

दिनांक 6 मार्च, 1996 के लोक सभा वाद - विवाद
(हिन्दी संस्करण)का शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
93	9	नियुक्त	नियुक्ति

विषय-सूची

दशम माला, खंड 47, सोलहवां सत्र, 1996/1917 (शक)
अंक बुधवार, 6 मार्च, 1996, 16 फाल्गुन, 1917 (शक)

विषय	पृष्ठ
...र उत्तरः	
तारांकि प्रश्न संख्याः 81 से 100	3—39
अतारांकित प्रश्न संख्याः 616 से 812	39—176
रेलवे पुलों के संबंध में दिनांक 19 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3910 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा इसमें वि... के कारणों को दर्शाने वाला विवरण	177—178
...गी के अभ्यास के संबंध में दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2538 के उत्तर में ...ण	178—179
... पत्र	179—192
...नुसूचित जातियों त... अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	192—193
इकसठवां, बासठवां, तिरसठवां तथा चौसठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश — **प्रस्तुत**	
...म और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	193—194
बीसवां और तेईसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — **प्रस्तुत**	
...ल संबंधी स्थायी समिति	194
उन्नीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश — **प्रस्तुत**	
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	223
चौबीसवां प्रतिवेदन — **प्रस्तुत**	
जम्मू-कश्मीर बजट, 1996-97	194—196
अनुदानों की अनुपूरक मांगें — जम्मू-कश्मीर, 1995—96	197—200
उत्तर प्रदेश बजट, 1996-97	199—208
...दानों की अनुपूरक मांगें — उत्तर प्रदेश, 1995-96	209—216
...दानों की अनुपूरक मांगें — सामान्य, 1995-96	215—222

लोक सभा

बुधवार, 6 मार्च, 1996/16 फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा 11.00 म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हमने प्रश्न-काल स्थगित करने का नोटिस दिया है। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हमने 388 के तहत प्रश्न-काल को स्थगित करने का नोटिस दिया है और कहा है कि इसके ऊपर चर्चा करवाई जाये। **(व्यवधान)** ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : प्रश्न काल के प्रति प्राइम मिनिस्टर कितने सिंसेयर हैं, यह इसी बात से पता चलता है कि वह सदन में मौजूद नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : वह पिछले चार सालों से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। यह संसद का मजाक उड़ाना है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल, गैर-सरकारी सदस्यों का समय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइये।

श्री राम विलास पासवान : आज प्रधान मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। वह कितने निष्ठावान हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : क्या उन्होंने सभा छोड़ दी है और त्यागपत्र दे दिया है?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रधान मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है या नहीं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं? आप मुझे बाधा पहुंचाने में उनका साथ दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे और नियमानुसार सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे तो आप अपने अधिकारों को गवां बैठेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : हम नियमों का पालन कर रहे हैं। पहले प्रधान मंत्री नियमों का पालन करें।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं जिनका नोटिस आपने एक महीने पहले दिया था और जिसकी सूचना इकट्ठी कर ली गई है तो गैर-सरकारी सदस्यों को ही इससे हानि है। इसके अलावा यह बजट सत्र है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : नियम 388 के अधीन मैंने प्रश्न काल के स्थगन का नोटिस दिया था .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिये बजट सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करते समय, बजट को पारित करते समय, वित्त विधेयक को पारित करते समय या अन्य उपलब्ध अवसरों पर आप अपने विचार रख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको यह अवसर उपलब्ध है और यदि आप इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, यदि आप स्वयं के कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि आप अपने अधिकारों को खो रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रधान मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सूचना दी गई है कि वह विदेशी मेहमानों के साथ व्यस्त हैं।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : यदि सदन को इसकी चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह सदन की अवमानना है। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जारी रखना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे म०प० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विश्व के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

*81. **श्री रवि राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्री ने जिनीवा में आयोजित शिक्षा सम्बन्धी पिछले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन में "सभी के लिये शिक्षा" विषय पर चर्चा की गई थी; और

(घ) शिक्षा संबंधी बजट में कितना प्रतिशत धन "सभी के लिये शिक्षा" योजना पर खर्च किया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री ने दिनांक 3–8 अक्टूबर, 1994 के बीच जिनीवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 44 वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया।

(ख) इस सम्मेलन का विषय "अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिये शिक्षा का मूल्यांकन और परिप्रेक्ष्य" था।

(ग) शिक्षा का आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में "सभी के लिये शिक्षा" विषय पर चर्चा नहीं की गई। तथापि, उपस्थित मंत्रालयी स्तर के प्रतिनिधिमंडल को जनसंख्या की बहुलता वाले उन नौ देशों के साथ अलग से बैठक में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने दिसम्बर, 1993 में आयोजित "सभी के लिये शिक्षा" पर दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।

(घ) वर्ष 1994-95 में केन्द्र तथा राज्य द्वारा शिक्षा परिव्यय का लगभग 47.7 प्रतिशत प्रारंभिक तथा प्रौढ़ शिक्षा में आवंटित किया गया था।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम

*82. **श्री राम कृपाल यादव** :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अल्पसंख्यकों के लिये शैक्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने हेतु एक राष्ट्रीय.अल्पसंख्यक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निदेश-पद, गठन और कार्यक्रम के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास संबंधी कार्यक्रम की मानिटरिंग करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय मानिटरिंग समिति 28 जुलाई, 1995 को गठित की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के दिनांक 28 जुलाई, 1995 के संकल्प सं० एफ० 8-1/93-एस०सी०/एस०टी० की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिये राष्ट्रीय मानिटरिंग समिति का गठन किया गया है।

समिति की प्रथम बैठक 8 नवम्बर, 1995 को आयोजित की गई थी। उस बैठक में की गई चर्चाओं तथा लिये गये निर्णयों के संबंध में आवश्यक कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं।

विवरण

भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशनार्थ

सं० एफ०8-1/93 एस०सी०/एस०टी०
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
एस०सी०/एस०टी० सेल

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 1995

संकल्प

विषय : अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मानिटरिंग समिति का गठन।

कार्रवाई योजना, 1992 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मानिटरिंग

कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समिति के गठन का प्रावधान है। तदनुसार, भारत सरकार ने "अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मानिटरिंग समिति" गठित करने का निर्णय लिया है जिसकी संरचना निम्न प्रकार होगी :

(1)	केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री	अध्यक्ष
(2)	श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर शिक्षा मंत्री, केरल सरकार	सदस्य
(3)	डा० गिरिजा व्यास संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
(4)	श्री के० एम० खान संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
(5)	डा० राज बहादुर गौड़ 1-8-1/99 सूर्य नगर हैदराबाद : 500020	सदस्य
(6)	श्री इमाम-उल-हक, अध्यक्ष, राजस्थान उर्दू अकादमी, ए-3, सुभाष नगर, जयपुर : 302002	सदस्य
(7)	डा० खलिल अंजुम सचिव, अंजुमन तरक्की-उर्दू-ए-हिन्द	सदस्य
(8)	श्री अनिल बोर्दिया अध्यक्ष, लोक जुबिश परिषद, डी ब्लाक, 10 बी झालान संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर	सदस्य
(9)	सदस्य-सचिव अल्पसंख्यक आयोग	सदस्य
(10)	कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली	सदस्य
(11)	सचिव (स्कूली शिक्षा) बिहार सरकार, पटना	सदस्य
(12)	सचिव (स्कूली शिक्षा) आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
(13)	सचिव (स्कूली शिक्षा) उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
(14)	सचिव (स्कूली शिक्षा) जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर/जम्मू	सदस्य
(15)	संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

2. समिति का कार्य होगा –

"कार्रवाई योजना, 1992 के अध्याय 3– अल्पसंख्यक शिक्षा की मानिटरिंग करना"।

3. पदेन सदस्यों से भिन्न, समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कार्यकाल इस संकल्प की तारीख से प्रभावी होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह०/-
(आर०वी० वैद्यनाथ अय्यर)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 3383202

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।

सं० एफ० 8-1/93 एस सी/ एस टी दिनांक 28 जुलाई,1995

प्रति प्रेषित :

1. समिति के सभी सदस्य को।
2. प्रधान मंत्री कार्यालय को उनके यू०ओ०सं० 610/03/सी/2/94-ई०एस०II दिनांक 23.3.95के संदर्भ में।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय को कार्यालय ज्ञापन सं० 105/3/1/94-मं० दिनांक 22.6.1995 के संदर्भ में।
4. संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यालय ज्ञापन सं०2-17(24)/93-सी०बी० दिनांक 4.5.1995 के संदर्भ में ।
5. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को।
6. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को।
7. वेतन एवं लेखा कार्यालय (शिक्षा) शास्त्री भवन, नई दिल्ली को।

ह०/-
(आर०वी० वैद्यनाथ अय्यर)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 3383202

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*83. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता राशि अप्रयुक्त रह जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी नीति में परिवर्तन करने का है जहां धनराशि का दुरुपयोग अथवा कम उपयोग हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) राज्यों/संघ राज्यों को नेहरू रोजगार योजना के तहत् प्रदत्त केन्द्रीय सहायता राशि कुछ मामलों में अप्रयुक्त रह जाती है।

(ख) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्यों के पास वर्ष 1994-95 तक उपलब्ध धन और 31.1.96 तक किये गये व्यय का ब्यौरा विवरण I, II और III में है।

(ग) जहां तक ऐसे राज्यों/संघ राज्यों की बात है, जिन्होंने गत वर्षों में न्यूनतम स्तर तक धन का उपयोग नहीं किया है तो 1992-93 से यह प्रथा है कि उनके लिए चालू वर्ष हेतु नियत धनराशि कार्य निष्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी जाती है। जहां तक धन के दुरुपयोग का संबंध है, तो जब कभी ऐसी शिकायत केन्द्र सरकार के ध्यान में आती है, तब संबंधित राज्य सरकार को समुचित सुधार के उपाय करने को कहा जाता है।

(घ) ब्यौरे विवरण IV और V में हैं।

विवरण I

नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम के तहत निधियों का उपयोग (केन्द्रीय+राज्य)

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	1994-95 तक जारी धन (केन्द्रीय+राज्य)	31.1.1996 तक सूचित व्यय	उपयोग %
1.	आंध्र प्रदेश	2722.38	1544.11	57
2.	बिहार	1296.08	321.32	25
3.	गुजरात	809.07	344.82	43
4.	हरियाणा	430.51	445.66	100
5.	कर्नाटक	1976.41	780.30	39
6.	केरल	1002.51	716.02	71
7.	मध्य प्रदेश	2512.19	2161.56	86
8.	महाराष्ट्र	2583.67	1335.80	52
9.	उड़ीसा	699.25	405.53	58
10.	पंजाब	730.58	515.59	71
11.	राजस्थान	1286.53	847.11	66
12.	तमिलनाडु	3135.89	1301.05	41
13.	उत्तर प्रदेश	6167.46	4630.44	75
14.	पश्चिम बंगाल	1512.04	548.97	36
15.	गोवा	39.87	20.04	50
16.	अरुणाचल प्रदेश	44.12	24.34	55
17.	असम	408.13	267.71	66
18.	हिमाचल प्रदेश	157.79	91.94	58
19.	जम्मू और कश्मीर	250.30	175.82	70
20.	मणिपुर	131.88	126.62	96
21.	मेघालय	65.14	34.18	52
22.	मिजोरम	60.86	67.22	100
23.	नागालैंड	42.38	-	-
24.	सिक्किम	78.62	85.19	100
25.	त्रिपुरा	69.98	50.51	72
26.	अडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.75	8.75	47

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	1994-95 तक जारी धन (केन्द्रीय+राज्य)	31.1.1996 तक सूचित व्यय	उपयोग %
27.	चंडीगढ़	32.19	6.30	20
28.	दादर और नागर हवेली	11.47	5.93	52
29.	दमन और दीव	16.80	8.18	49
30.	पांडिचेरी	40.55	12.96	32
31.	दिल्ली	268.20	70.76	26
	योग	28601.16	16954.74	59

विवरण II

नेहरू रोजगार योजना की शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम के तहत निधियों का उपयोग (केन्द्रीय+राज्य)

(रुपये लाखो में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	1994-95 तक जारी धन (केन्द्रीय+राज्य)	31.1.1996 तक सूचित व्यय	उपयोग %
1.	आंध्र प्रदेश	2011.57	1668.85	83
2.	बिहार	2562.52	1372.29	54
3.	गुजरात	1291.09	941.08	73
4.	हरियाणा	494.97	486.15	98
5.	कर्नाटक	2474.68	1298.12	52
6.	केरल	904.16	735.83	81
7.	मध्य प्रदेश	2645.67	2541.70	96
8.	महाराष्ट्र	3294.41	2141.06	65
9.	उड़ीसा	1060.56	866.73	81
10.	पंजाब	975.44	750.92	77
11.	राजस्थान	1884.91	1740.52	92
12	तमिलनाडु	2382.29	1972.86	83

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	1994-95 तक जारी धन (केन्द्रीय+राज्य)	31.1.1996 तक सूचित व्यय	उपयोग %
13.	उत्तर प्रदेश	7513.87	6155.32	82
14.	पश्चिम बंगाल	1608.71	1278.53	79
15.	गोवा	101.81	74.93	74
16.	अरुणाचल प्रदेश	44.89	47.50	100
17.	असम	631.72	530.13	84
18.	हिमाचल प्रदेश	211.05	109.53	58
19.	जम्मू और कश्मीर	212.25	190.14	90
20.	मणिपुर	153.44	89.33	58
21.	मेघालय	75.76	59.17	78
22.	मिजोरम	82.55	125.06	100
23.	नागालैंड	35.63	-	-
24.	सिक्किम	65.95	67.24	100
25.	त्रिपुरा	105.63	94.84	90
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17.84	15.81	89
27.	चंडीगढ़	24.95	38.81	100
28.	दादर और नागर हवेली	8.92	5.61	63
29.	दमन और दीव	24.03	21.88	91
30.	पांडिचेरी	74.37	40.56	55
31.	दिल्ली	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	योग	32980.64	25460.50	77

विवरण III

नेहरू रोजगार योजना की आवास तथा आश्रय सुधार स्कीम के तहत निधियों का उपयोग (केन्द्रीय+राज्य)

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	1994-95 तक जारी धन (केन्द्रीय+राज्य)	31.1.1996 तक सूचित व्यय	उपयोग %
1.	आंध्र प्रदेश	1356.82	1008.93	74

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	1994-95 तक जारी धन (केन्द्रीय+राज्य)	31.1.1996 तक सूचित व्यय	उपयोग %
2.	बिहार	1203.31	150.96	13
3.	गुजरात	663.65	25.07	4
4.	हरियाणा	208.01	38.41	18
5.	कर्नाटक	1158.97	141.70	12
6.	केरल	520.10	824.35	100
7.	मध्य प्रदेश	1245.53	119.40	10
8.	महाराष्ट्र	1223.57	277.53	23
9.	उड़ीसा	353.13	108.94	31
10.	पंजाब	360.63	130.18	36
11.	राजस्थान	738.70	271.88	37
12.	तमिलनाडु	1417.82	1174.58	83
13.	उत्तर प्रदेश	3019.21	606.55	20
14.	पश्चिम बंगाल	1083.28	274.31	25
15.	गोवा	28.69	-	-
16.	अरुणाचल प्रदेश	60.62	-	-
17.	असम	236.17	19.08	8
18.	हिमाचल प्रदेश	101.38	-	-
19.	जम्मू और कश्मीर	152.53	57.68	38
20.	मणिपुर	65.52	6.85	10
21.	मेघालय	48.25	3.38	7
22.	मिजोरम	30.85	19.65	64
23.	नागालैंड	61.41	-	-
24.	सिक्किम	38.59	11.55	30
25.	त्रिपुरा	33.16	5.31	16
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.28	0.35	3
27.	चंडीगढ़	27.73	-	-
28.	दादर और नागर हवेली	9.90	-	-
29.	दमन और द्वीव	17.80	-	-
30.	पांडिचेरी	34.24	5.52	16
31.	दिल्ली	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	योग	15511.85	5282.16	34

विवरण-IV

नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम

वर्ष	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से अधिक निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से कम निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे कोई निधि नहीं दी गई
1992-93	आंध्र प्रदेश	बिहार	गोवा
	हरियाणा	गुजरात	अरुणाचल प्रदेश
	केरल	राजस्थान	नागालैंड
	मध्य प्रदेश	मेघालय	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

वर्ष	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से अधिक निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से कम निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे कोई निधि नहीं दी गई
	उड़ीसा	दिल्ली	चंडीगढ़
	महाराष्ट्र		दादर और नागर हवेली
	पंजाब		दमन और दीव
	उत्तर प्रदेश		
	पश्चिम बंगाल		
	असम		
	हिमाचल प्रदेश		
	सिक्किम		
	त्रिपुरा		
1993-94	आंध्र प्रदेश	गुजरात	बिहार
	हरियाणा	कर्नाटक	गोवा
	मध्य प्रदेश	असम	अरूणाचल प्रदेश
	महाराष्ट्र	पश्चिम बंगाल	मेघालय
	उड़ीसा	मिजोरम	नागालैंड
	पंजाब	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़
	तमिलनाडु	दादर और नागर हवेली	दमन और दीव
	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	पांडिचेरी
	मणिपुर		
	सिक्किम		
	त्रिपुरा		
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
1994-95	हरियाणा	बिहार	अरुणाचल प्रदेश
	केरल	गुजरात	मेघालय
	मध्य प्रदेश	कर्नाटक	नागालैंड
	पंजाब	महाराष्ट्र	दमन और दीव

वर्ष	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से अधिक निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से कम निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे कोई निधि नहीं दी गई
	तमिलनाडु	पश्चिम बंगाल	
	उत्तर प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	
	गोवा	जम्मू और कश्मीर	
	मणिपुर	चंडीगढ़	
	मिजोरम	दादर और नागर हवेली	
	सिक्किम	पांडिचेरी	
	त्रिपुरा	दिल्ली	
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		

विवरण-V

नेहरू रोजगार योजना की शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम

वर्ष	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से अधिक निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से कम निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे कोई निधि नहीं दी गई
1992-93	हरियाणा	पश्चिम बंगाल	अरुणाचल प्रदेश
	केरल		नागालैंड
	पंजाब		
	असम		
	मेघालय		
	सिक्किम		
1993-94	आंध्र प्रदेश	असम	पश्चिम बंगाल
	हरियाणा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश
	केरल		नागालैंड
	मध्य प्रदेश		
	उड़ीसा		
	पंजाब		
	राजस्थान		
	तमिलनाडु		
	उत्तर प्रदेश		

वर्ष	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से अधिक निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे आवंटन से कम निधियां मिलीं	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसे कोई निधि नहीं दी गई
	हिमाचल प्रदेश		
	जम्मू और कश्मीर		
	मणिपुर		
	मिजोरम		
	सिक्किम		
	त्रिपुरा		
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
	चंडीगढ़		
	दादर और नागर हवेली		
1994-95	हरियाणा	मेघालय	नागालैंड
	केरल	दमन और दीव	
	मध्य प्रदेश		
	पंजाब		
	राजस्थान		
	तमिलनाडु		
	उत्तर प्रदेश		
	पश्चिम बंगाल		
	अरुणाचल प्रदेश		
	असम		
	जम्मू और कश्मीर		
	मणिपुर		
	मिजोरम		
	त्रिपुरा		
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
	चंडीगढ़		

विदेशी निवेश

*84. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री शैयद शहाबुद्दीन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1991 से दिसम्बर, 1995 के दौरान विदेशी निवेश के कुल कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये;

(ख) स्वीकृत प्रस्तावों के अन्तर्गत कुल कितने विदेशी निवेश का अनुमान है;

(ग) स्वीकृत प्रस्तावों के फलस्वरूप रोजगार के कुल कितने अवसर पैदा होने की संभावना है;

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) में अपेक्षित जानकारी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाने का है कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी का समान आधार पर लाभ मिल सके;

(च) उपर्युक्त (क) और (ख) के संदर्भ में विभिन्न निवेशकों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेशी निवेश कम हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) 1991–1995 (दिसम्बर तक) की अवधि के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों के अधीन विदेशी निवेश प्रस्तावों की कुल संख्या और कुल विदेशी निवेश नीचे दिया गया है :–

वर्ष	अनुमोदन जिसमें विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त है	स्वीकृत कुल विदेशी निवेश (रु० करोड़ में)
1991	289	534.11
1992	692	3887.54
1993	785	8859.33
1994	1062	14187.19
1995	1355	32071.72
योग	4183	59539.89

(ग) विदेशी निवेश के विशिष्ट संदर्भ में उत्पन्न होने वाले रोजगार संबंधी आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) अगस्त, 91-दिसम्बर, 95 के दौरान (क) और (ख) के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिये गये हैं।

(ङ) परियोजनाओं के स्थापना स्थल को पसन्द निवेशकर्त्ता के वाणिज्यिक अनुमानों पर निर्भर करता है जो बिजली, भूमि, पानी इत्यादि जैसे मूलभूत सुविधाओं का पर्याप्त और भरोसेमन्द उपलब्धता पर आधारित है। राज्य सरकारें निवेश को आकृष्ट करने के लिये प्रोत्साहन और राजसहायता भी देती है। क्योंकि राज्य के भीतर औद्योगिक विकास करना इनकी जिम्मेदारी है। कई राज्य सरकारें विभिन्न संवर्धनात्मक उपायों के जरिये विदेशी निवेश को सक्रिय रूप में बढावा दे रही हैं। केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों के ऐसे प्रयासों को समर्थन और सहयोग देती है।

(च) (क) और (ख) के ब्यौरे अर्थात् राज्यवार स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विवरण II में दिये गये हैं।

(छ) और (ज) जी, नहीं। जैसा कि निम्नलिखित ऑकड़ों से स्पष्ट है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी निवेश में बहुत वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष	अनुमोदित विदेशी निवेश	
	संख्या	राशि
1995-96 (दिस० तक)	1101	29644.00
1994-95	1105	15439.81
1993-94	847	7467.08

विवरण-I

अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1995 की अवधि में स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों की राज्यवार रिपोर्ट

	अगस्त '91 से दिसम्बर '95	
	संख्या	निवेश (मिलियन रुपयों में)
दिल्ली	333	145729.71
महाराष्ट्र	564	92955.03
पश्चिम बंगाल	125	41334.20
तमिलनाडु	370	30302.05
गुजरात	176	26292.75
उड़ीसा	30	19262.36
कर्नाटक	274	17415.93
आन्ध्र प्रदेश	216	15179.03

	अगस्त '91 से दिसम्बर '95	
	संख्या	निवेश (मिलियन रुपयों में)
मध्य प्रदेश	73	10417.99
उत्तर प्रदेश	148	9230.77
पंजाब	46	7531.46
हरियाणा	189	5787.48
राजस्थान	104	4871.08
हिमाचल प्रदेश	18	2961.12
पॉडिचेरी	21	1964.00
गोवा	23	969.20
केरल	39	936.98
बिहार	14	808.16
चंडीगढ़	10	723.62
दादर और नगर हवेली	13	631.45
अरूणाचल प्रदेश	2	110.60
दमन और दीव	6	54.78
असम	4	14.95
अंदमान और निकोवार	5	9.84
त्रिपुरा	1	6.80
लक्षद्वीप	1	5.00
अन्य	1291	158895.75
कुल	4096	594435.09

नोट : स्वीकृत विदेशी निवेश के मामले में राज्यवार आंकड़े अगस्त 1991 से केन्द्रीय रूप से रखे गये हैं।

विवरण-II

1991 से 1995 के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के देशवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(रुपये मिलियन में)

क्र०सं०	देश का नाम	1991	1992	1993	1994	1995	कुल (1991 से 95)
1.	यू०एस०ए०	1858.5	12315.0	34618.8	34880.9	70543.7	154216.9
2.	ईस्राइल	-	12.7	14.6	85.2	41372.2	41484.7
3.	यू०के०	321.0	1176.7	6227.3	12991.5	17258.6	37975.1
4.	जापान	527.1	6102.3	2574.3	4009.0	15142.6	28355.3
5.	मौरिसस	-	-	1242.4	5347.4	18084.9	24674.7
6.	थाइलैण्ड	-	25.2	3684.2	99.8	19680.9	23490.1
7.	जर्मनी	418.0	862.7	1759.3	5693.6	13394.9	22128.5
8.	आस्ट्रेलिया	26.1	776.2	295.6	3884.5	15042.2	19972.4
9.	नीदरलैण्ड	559.2	967.9	3216.5	2069.6	9664.6	16477.8
10.	स्विटजरलैण्ड	355.0	6897.6	4268.0	483.0	3094.8	15098.4

(रुपये मिलियन में)

क्र०सं०	देश का नाम	1991	1992	1993	1994	1995	कुल (1991 से 95)
11.	कनाडा	48.6	7.8	272.8	420.4	13735.6	14485.2
12.	इटली	178.1	893.9	1173.5	3909.4	4603.4	10758.3
13.	सिंगापुर	13.7	602.1	667.4	2655.0	9910.4	13848.6
14.	ओमन	-	-	5429.8	173.8	58.5	5662.1
15.	होंगकांग	211.5	570.8	879.5	1647.8	4071.7	7381.3
16.	यू०ए०ई०	22.0	64.5	4044.9	512.3	143.6	4787.3
17.	मलेशिया	1.8	744.3	84.8	252.2	23860.9	24944.0
18.	फ्रांस	193.3	296.4	1290.9	897.3	4203.6	6881.5
19.	कोरिया (साउथ)	61.5	394.0	293.3	1068.5	3141.9	4959.2
20.	चीन	7.5	-	616.6	272.5	5810.6	6707.2
21.	मैक्सिको	-	52.8	2389.8	0.1	81.6	2524.3
22.	डेनमार्क	111.7	252.3	319.9	533.0	1224.7	2441.6
23.	बेल्जियम	16.1	237.0	60.0	76.6	1659.0	2048.7
24.	आयरलैण्ड	-	0.1	1656.4	64.1	312.6	2033.2
25.	पुर्तगाल	1.6	12.0	140.0	-	1735.6	1889.2
26.	स्वीडन	69.8	484.1	6.2	116.4	5022.5	5699.0
27.	रशिया	86.1	115.9	19.5	1056.9	161.3	1439.7
28.	इन्डोनेशिया	-	19.0	3.8	0.0	3133.0	3155.8
29.	आस्ट्रिया	15.9	61.4	155.7	249.7	296.1	778.8
30.	लक्जमबर्ग	-	-	29.0	-	531.4	560.4
31.	न्यूजीलैण्ड	-	3.2	0.5	0.0	503.3	507.0
32.	बरमुदा	-	33.2	-	260.3	207.2	500.7
33.	ताइवान	4.5	180.0	100.1	102.0	38.8	425.4
34.	फिनलैण्ड	25.3	105.0	20.7	103.7	131.9	386.6
35.	स्पेन	3.3	19.2	98.0	20.2	227.1	367.8
36.	कुवैत	-	0.9	0.5	345.9	1500.0	1847.3
37.	साउथ अफ्रीका	-	-	-	2.5	157.8	160.3

(रुपये मिलियन में)

क्र०सं०	देश का नाम	1991	1992	1993	1994	1995	कुल (1991 से 95)
38.	ब्रिटिशवर्जिन द्वीपसमूह	-	5.3	46.0	36.5	65.2	153.0
39.	सऊदी अरब	-	3.1	108.7	-	1.2	113.0
40.	बहामास	-	7.5	-	81.2	4.8	93.5
41.	एस्तोनिया	-	-	70.0	-	3.1	73.1
42.	श्रीलंका	-	-	15.1	24.3	31.4	70.8
43.	नार्वे	3.8	9.2	26.7	3.2	48.1	91.0
44.	केमन आइलैण्ड	-	-	33.0	35.0	-	68.0
45.	बहरीन	-	4.0	4.1	48.4	-	56.5
46.	चेकोस्लोवाकिया	-	52.6	-	-	-	52.6
47.	कतर	-	45.3	-	-	-	45.3
48.	कैनैल आइलैण्ड	-	-	-	12.5	20.0	32.5
49.	पनामा	-	-	25.5	-	-	25.5
50.	चेक रिपब्लिक	-	-	4.4	-	20.7	25.1
51.	हंगरी	-	-	22.7	1.6	-	24.3
52.	पापुआ न्यू गिनी	-	-	-	-	19.2	19.2
53.	वलगारिया	-	-	-	-	19.1	19.1
54.	पोलैण्ड	0.4	-	1.5	-	16.0	17.9
55.	उक्रन	-	8.4	2.8	4.5	-	15.7
56.	नाइजीरिया	-	-	-	15.4	-	15.4
57.	कजाकिस्तान	-	-	15.0	-	-	15.0
58.	स्लेआफमान	-	-	-	-	7.3	7.3
59.	मालद्वीप	-	-	-	6.0	-	6.0
60.	ग्रीस	-	-	-	-	6.0	6.0
61.	साइप्रस	-	-	-	0.3	4.5	4.8
62.	युगोस्लाविया	-	4.4	-	-	-	4.4
63.	वेस्ट इंडीज	-	3.0	-	0.5	-	3.5
64.	लाटविया	-	2.6	-	-	-	2.6

क्र०सं०	देश का नाम	1991	1992	1993	1994	1995	कुल (1991 से 95)
65.	कोरिया (उत्तरी)	1.6	-	-	-	-	1.6
66.	माल्टा	-	1.3	-	-	-	1.3
67.	ब्राजील	0.1	1.1	-	-	-	1.2
68.	अरमेनिया	-	-	1.0	-	-	1.0
69.	अफगानिस्तान	-	-	1.0	-	-	1.0
70.	बैलोरेसिया	-	-	0.5	-	-	0.5
71.	स्कोटलैण्ड	-	-	-	-	0.5	0.5
72.	स्लोवाकिया	-	-	0.5	-	-	0.5
73.	नेपाल	-	-	-	0.2	-	0.2
74.	उरूग्वे	-	0.1	-	-	-	0.1
75.	एन०आर०आई०*	197.0	4391.3	10433.2	4908.8	7097.1	27027.4
76.	यूरो इश्यूज@	-	-	-	52304.4	11895.0	64199.4

टिप्पणी : (1) 1 मिलियन = 10 लाख

(2) 1995 के आकडों का 31.12.95 तक अद्यतन किया गया है।

* केवल अनिवासी भारतीयों के प्रस्ताव दर्शाता है।

@ विश्वव्यापी जमा प्राप्तियों (जी०आर०डी०) के प्रस्ताव दर्शाता है।

रेलवे की भूमि का अतिक्रमण

*85. **डा० एस० पी० यादव :**
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेल लाइनों की समीपवर्ती भूमि का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल लाइनों की समीपवर्ती भूमि के अतिक्रमण के कारण वर्ष 1994 की तुलना में वर्ष 1995 में रेल संबंधी कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रेल लाइनों की समीपवर्ती भूमि पर लगभग 8000 अतिक्रमण मौजूद हैं।

(ग) दिल्ली क्षेत्र में 1994 में 7 और 1995 में 4 रेल दुर्घटनाएं टक्करों, गाड़ी के पटरी से उतरने तथा गाड़ी में आग लगने के कारण हुई थीं।

(घ) रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

उदारीकृत आर्थिक नीति

*86. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उदारीकृत आर्थिक नीति अपनाए जाने के पश्चात गांवों में रोजगार की स्थिति क्या है और उक्त नीति अपनाए जाने के परिणामस्वरूप गावों में रोजगार पैदा करने के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) क्या उक्त नीति अपनाए जाने के पश्चात पैतृक व्यवसायों एवं कुटीर उद्योगों को समृद्ध होने के अवसर प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री के० करुणाकरण) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में 1991-92 में 50.16 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध थे जिसे 1996-97 में बढ़ाकर 62.75 लाख व्यक्ति करने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में, वर्ष 1994-95 तक 53.46 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है।

(ख) और (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग परंपरागत रूप से कार्यकुशलता पर आधारित उद्योग हैं जिनमें स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। खादी तथा ग्रामोद्योग (के वी आई) क्षेत्र संबंधी उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अगस्त, 1994 में आरंभ की गयी कार्य योजना के अंग के रूप में, इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार करने के लिए के वी आई योजनाओं में सुधार किया गया है। नयी योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, ज्यादा ऋण, उन्नत प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और के वी आई उत्पादों के लिए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के विकास के उपायों पर बल दिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

*87. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी;

(ख) क्या उक्त संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के दस्तावेजों में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के विरुद्ध की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संस्थान के कार्य-कलापों की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी, 1991 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दस्तावेज के प्रस्तावों के अनुसरण में संस्थान की स्थापना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायालयों में लम्बित मामले

*88. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामलों को तेजी से निपटाने हेतु उच्च न्यायालयों में से अनेक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि मामलों के निपटान में उक्त न्यायाधिकरण किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) इन न्यायाधिकरणों के कार्यकरण में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार ने मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विभिन्न अधिनियमितियों के अधीन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आय-कर अपील अधिकरण, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, कंपनी विधि बोर्ड, रेल दावा अधिकरण, रेल दर अधिकरण, समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण, चलचित्र प्रमाणीकरण अपील अधिकरण, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण, आयकर समझौता आयोग, विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड, खान मंत्रालय में पुनरीक्षण अधिकरण, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण और ऋण वसूली प्राधिकरण जैसे अनेक अधिकरणों का गठन किया है।

(ग) से (ङ) भारत के विधि आयोग ने, आर० के० जैन बनाम भारत संघ और अन्य (ए आई आर 1993 उ० न्या० 1769) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर, विभिन्न अधिकरणों के कार्यकरण के संबंध में अध्ययन करने का जिम्मा लिया है। तथापि, भारत के विधि आयोग ने उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के समक्ष अधिकरणों से संबंधित लंबित मामले को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त परियोजना को निलंबित कर दिया है।

विभिन्न अधिकरणों के समक्ष बकाया मामलों के प्रश्न पर, मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा 4 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में अंगीकृत किए गए संकल्प में यह विचार किया गया कि न्यायालयों में बकाया मामलों के प्रभावी संचालन के लिए उक्त संकल्प में अंतर्विष्ट सिफारिशों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में भी प्रवर्तित किया जाए।

मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा अंगीकृत संकल्प में यह भी सिफारिश की गई थी कि सरकार को इन अधिकरणों में बकाया मामलों से संबंधित समस्याओं की जांच करने का जिम्मा लेना चाहिए। विधि मंत्रियों के कार्यकारी समूह ने जिनकी बैठक 5 नवंबर, 1994 को नई दिल्ली में हुई थी और तत्पश्चात् 17 नवंबर, 1994 को कलकत्ता में हुई विधि मंत्रियों की पूर्ण बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया। विधि मंत्रियों द्वारा अपनी पूर्ण बैठक में अंगीकृत "कलकत्ता संकल्प" में विभिन्न अधिकरणों में बकाया मामलों की समस्या को सुलझाने के लिए अनेक सिफारिशें की गई। इन सिफारिशों को भी कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और राज्य सरकारों को भेजा गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों को परिवहन संबंधी राज सहायता

*89. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से पूर्वोत्तर राज्यों को देय परिवहन संबंधी राज सहायता जमा होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को देय धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक राज्य को वर्ष-वार किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री के० करूणाकरण) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में पूर्वोत्तर राज्यों के दावों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक (29.2.96 तक) राज्यवार की गई प्रतिपूर्ति दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र०सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992-93 राशि	1993-94 राशि	1994-95 राशि	1995-96 राशि (फरवरी 1996 तक)
1.	असम	643.14	980.05	2217.90	2915.70
2.	मणिपुर	64.14	58.87	128.70	-
3.	त्रिपुरा	43.92	23.64	132.99	2.60
4.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	47.66	-
5.	मेघालय	7.00	136.21	250.10	195.88
6.	नागालैण्ड	-	145.95	67.80	-
7.	मिजोरम	26.00	322.48	272.32	-
		784.20	1667.20	3117.47	3114.18
8.	सिक्किम	55.33	-	-	123.44
9.	हिमाचल प्रदेश	66.60	690.74	1890.57	-
10.	जम्मू एवं कश्मीर	-	151.45	334.79	-
11.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
12.	उत्तर प्रदेश	66.60	237.89	85.35	-
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	245.52	452.19	1.49	375.00
14.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
	कुल योग	1218.25	3199.47	5429.67	3612.62

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला कोष

90. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष गठित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी महिलाओं को उक्त ऋण दिया गया है; और

(ग) आगामी वर्षों के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत को गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय महिला कोष के संचालन के मार्च 1993 से प्रारम्भ, प्रथम छः वर्षों में इसके अन्तर्गत दो लाख महिलाओं को कवर करने की योजना है। वर्ष 1995-96 के दौरान, 27,402 महिलाओं के लाभार्थ 624.46 लाख रुपये ऋण जारी किया जा चुका है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

*91. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों सम्बन्धी विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं के लिए, राज्यवार, कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रस्तुत/स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में गत तीन वर्षों में अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए भावी योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा बायोगैस, उन्नत चूल्हा, पवन, लघु पन बिजली, सौर, बायोमास आदि जैसे कार्यक्रम सामान्यतया राष्ट्रीय आधार पर हाथ में लिए जाते हैं और राज्यवार वार्षिक रूप से निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर और उस वित्त वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं में हुई प्रगति के आधार पर राज्य सरकारों और राज्य नोडल एजेन्सियों को धन-राशि जारी की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को वर्ष वार योजना आवंटन इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि
1992-93	128
1993-94	204
1994-95	225
	557

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का कुल योजना व्यय लगभग 528 करोड़ रुपये है।

मंत्रालय की कार्य नीति अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, लघु पन बिजली, बायोमास और सौर प्रकाशवोल्टीय स्रोतों के माध्यम से ग्रिड किस्म की विद्युत के विकास पर अधिकाधिक बल देना है ताकि अगली योजना अवधि में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा पर्याप्त मात्रा में अंशदान किया जा सके। राष्ट्रीय आधार पर कार्यक्रमों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत विद्युत और ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार को भी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, किसी राज्य विशेष और क्षेत्र के संसाधनों एवं स्थानीय दशाओं से राज्यवार प्राथमिकताएं निर्धारित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

राज्य समाज कल्याण बोर्डों को वित्तीय सहायता

*92. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य समाज कल्याण बोर्ड को वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) भारत सरकार सीधे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को धनराशि निर्युक्त करती है और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड आगे राज्य समाज कल्याण बोर्डों को राशि निर्युक्त करते हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 31-1-1996 तक विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों को 3058.94 लाख रुपये की राशि निर्युक्त की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फोटो पहचान पत्र

*93. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक कितने मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं और कितने मतदाताओं को अभी पहचान-पत्र जारी किए जाने शेष हैं;

(ख) क्या फोटो खींचने के दो दौर पूरे हो जाने के बावजूद पहचान पत्रों के वितरण में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन पहचान पत्रों के यथाशीघ्र वितरण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 19-1-96 को देश (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) में 16,12,94,885 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं और 42,1009,201 मतदाताओं को त्रुटि से मुक्त फोटो पहचान पत्र अभी जारी किए जाने हैं।

(ख) निर्वाचन आयोग ने, साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक मानीटर करने के पश्चात् और वास्तविक आधारों को देखते हुए 31 मार्च, 1996 तक सभी पात्र मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए समय में वृद्धि कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठत।

(घ) और (ङ) निर्वाचन आयोग, आगामी साधारण निर्वाचनों से पहले कार्य को पूरा कराने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है।

कुटुंब न्यायालय

*94. **श्री रामपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर दी गई है;

(ख) क्या कुटुंब न्यायालयों की स्थापना में अत्यधिक विलंब होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी राज्यों में कुटुंब न्यायालयों की यथाशीघ्र स्थापना हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधिनियमन के पश्चात्, अब तक 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 61 कुटुंब न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा की राज्य सरकारों और लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, चड़ीगढ़, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों ने विभिन्न कारणों से कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से, की जाती है। केन्द्रीय सरकार, इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर, केवल राज्यों में अधिनियम के प्रवृत किए जाने को अधिसूचित करती है।

[अनुवाद]

क्रायोजेनिक इंजन

*95. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस की सरकार द्वारा भारत को क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का अंतरण करने में और विलम्ब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के विकास संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रौद्योगिकी अंतरण में विलम्ब से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किस प्रकार प्रभावित होगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क), (ख) और (घ) क्रायोजेनिक चरण के लिए मैसर्स ग्लेवकॉस्मॉस, रूस के साथ वर्तमान करार प्रौद्योगिकी अन्तरण के बिना एक आपूर्ति ठेका है, प्रौद्योगिकी अन्तरण संबंधी प्रावधान को, उचित क्षतिपूर्ति सहित दिसम्बर 1993 में पुनः बातचीत के बाद निकाल दिया गया था। करार के अनुसार इंजिन सहित प्रथम क्रायो चरण की आपूर्ति मैसर्स ग्लेवकॉस्मॉस द्वारा 1996 की अन्तिम तिमाही में दिए जाने की आशा है। तदनुसार, भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) की प्रथम विकास उड़ान 1997-98 के लिए निर्धारित है।

(ग) स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के लिए डिजाइन, उप-पैमाने के परीक्षण तथा सुविधाओं की स्थापना से संबंधित क्रियाकलाप प्रगति में हैं। इंजिन सहित प्रथम स्वदेशी चरण के 1998-99 में तैयार किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

शिक्षा प्रणाली संबंधी समितियां

*96. **श्री नीतीश कुमार** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सुझाव आमन्त्रित करने के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में समितियों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन समितियों के प्रतिवेदनों को क्रियान्वित करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो क्रियान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी समितियों की सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) 1993, 1994 और 1995 की अवधि

के दौरान, सरकार ने शिक्षा पद्धति में व्यापक सुधार लाने के लिए इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं की है। शिक्षा पद्धति में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है जिस पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

विदेशों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यालय

*97. **श्री दत्ता मेघे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अन्य देशों में भी अपने कार्यालय स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, देशवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों में इस निगम की अब तक हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री के० करूणाकरन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (रा० ल० उ० नि०) ने दक्षिण अफ्रीका में जोहन्सबर्ग में और रूस में मास्कों में कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इनके शीघ्र ही कार्य आरंभ कर देने की संभावना है।

[अनुवाद]

डोडा से पलायन

*98. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों की धमकी के कारण डोडा जिले के लगभग तीस गांवों के एक हजार से अधिक परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या और आगे ऐसे पलायन को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध अधिक कड़े कर दिए गए हैं;

(ग) क्या इन विस्थापित लोगों को राहत प्रदान करने और इनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए कोई सरकारी एजेंसी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इस बात में सच्चाई नहीं है कि उग्रवादियों की धमकी के कारण डोडा जिले से हजार से अधिक परिवारों ने सामूहिक प्रवास किया है। तथापि, 5.1.1996 को बर्शला गांव की घटना, जिसमें उग्रवादियों द्वारा 15 व्यक्तियों को मार डाला गया था, के बाद कुछ अस्थाई प्रवास हुआ था। जिले में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है तथा संभावित उग्रवादी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से इनकी लगातार समीक्षा की जा रही है और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इनमे शामिल हैं—सुरक्षा बलों की तैनाती में खास तौर से सुभेद्य इलाकों में, वृद्धि, सघन गश्त, तथा विभिन्न गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियां गठित करना। इन सभी उपायों को जोर-शोर से आगे बढ़ाया जाना जारी रहेगा।

(ग) और (घ) जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही राहत गतिविधियों के अलावा राज्य स्तर पर एक राहत आयुक्त भी है जो आंतकवादी गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों के राहत एवं पुनर्वास से संबंधित मामलों को देखता है।

मद्रास कोच फैक्ट्री

*99. **श्री अन्ना जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास कोच फैक्ट्री ने वर्ष 1991 से 1993 के दौरान एक हजार कोचों का रिकार्ड उत्पादन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1993-94 के दौरान कोच उत्पादन संबंधी यह संख्या कम होकर 700 रह गई तथा वर्ष 1994-95 के दौरान इसमें और भी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में कोचों के वर्तमान उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 1990-91 से 1993-94 तक सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास का उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	निर्मित किए गए सवारी डिब्बों की संख्या
1990-91	1013
1991-92	1016
1992-93	1023
1993-94	1038

(ख) 1993-94 के दौरान 1038 अदद तथा 1994-95 के दौरान 780 अदद सवारी डिब्बों का निर्माण किया गया था।

(ग) उत्पादन इकाईयों को उत्पादन के आदेश भारतीय रेलों की आवश्यकता के आधार पर दिए जाते हैं जो परिवहन की प्रत्याशा के अनुसार आंकलित की जाती है।

(घ) चालू वर्ष (1995-96) के दौरान देश में विभिन्न सवारी डिब्बा निर्माण इकाईयों के पास निम्नलिखित सवारी डिब्बों के निर्माण के आदेश हैं :—

सवारी डिब्बा कारखाना	—	899
रेल सवारी डिब्बा कारखाना	—	978
बी. ई. एम. एल.	—	368
जेस्सॅपूस	—	33

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य - निष्पादन की समीक्षा

*100. **श्री गोपीनाथ मुजपति :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की सावधिक समीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समीक्षा अंतिम बार कब की गयी थी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की स्थिति कैसी रही?

उद्योग मंत्री (श्री के० करुणाकरण) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालय उनके कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा करते हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के कार्य - निष्पादन का ब्यौरा 22 मार्च, 1995 को संसद के सभा पटल पर प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993-94 के खण्ड - III में दिया गया है।

पाकिस्तानी मछुआरों द्वारा अनधिकृत मत्स्यन

616. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी मछुआरों द्वारा मत्स्यन हेतु भारतीय जल क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान ऐसी कुल कितनी घटनाएँ हुईं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय तटरक्षकों द्वारा कुल कितने पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े गये; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) दो।

(ग) 36 मछुआरे।

(घ)

क्रम सं०	पकड़े जाने की तारीख	ट्रालरों की संख्या	कर्मियों की संख्या
1	12.01.96	2	12
2	31.01.96	4	24
	कुल योग	6	36

सेफ्टी पोस्ट

617. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को "सेफ्टी पोस्टों" के लिए जोनल सिस्टम ट्रेनिंग स्कूल में चयन-पूर्व प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है;

(ख) क्या इस मामले को रेलवे बोर्ड की जानकारी में भी लाया गया कि उत्तर रेलवे में चयन- पूर्व प्रशिक्षण सुव्यवस्थित ढंग से नहीं दिया जाता है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को चयन-पूर्व प्रशिक्षण न मिल पाने के कारण 1.4.91 से आज तक उत्तर रेलवे में सहायक संचालन प्रबंधक के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से अनेक अभ्यार्थियों का चयन किया गया है; और

(घ) आरक्षण नीतियों को लागू करने में ढुलमुल रवैया अपनाये जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेवार हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय महिला नीति

618. **श्री राम कापसे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला नीति का प्रारूप तैयार करने संबंधी कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में, अब तक किन-किन संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है। विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर 12 क्षेत्रिय परामर्श बैठकें तथा विशेषज्ञों की 2 बैठकें आयोजित की, ताकि राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति पर विचार किया जा सके। इस प्रारूप पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक और सांसदों तथा सुविख्यात व्यक्तियों की एक बैठक में भी विचार किया गया। इसके अलावा प्रारूप पर चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय एककों द्वारा बीजिंग सम्मेलन के पश्चात् विचार-विमर्श के लिए आयोजित बैठकों में तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भी विचार किया गया। इन बैठकों में महिला संगठनों, राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों, राज्य सरकारों, राज्य समाज सलाहकार बोर्डों, सुविख्यात व्यक्तियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों तथा महिला कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया।

अपना वैगन योजना

619. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल द्वारा वैगनों की कमी को दूर करने के लिए विशेष रूप से "अपना वैगन योजना" के संदर्भ में किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत रेलवे में कितने वैगन आरक्षित किए गए हैं;

(ग) रेलवे द्वारा दिये गये क्रयादेश पर वैगनों की सप्लाई के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में निजी और सरकारी क्षेत्रों के उन वैगन विनिर्माण एककों की क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जो वैगनों के विनिर्माण और सप्लाई हेतु क्रयादेश पाने के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) "माल डिब्बे के मालिक बनिए" योजना के अंतर्गत रेल संसाधनों को बढ़ाने के लिए रेल माल डिब्बों के स्वामित्व में निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पार्टियों द्वारा 3550 माल-डिब्बों (8875 चौपहियों) के लिए आर्डर दिए गये हैं। 31.01.96 तक इस योजना के अंतर्गत 1162 माल-डिब्बों (2905 चौपहियों) का निर्माण तथा सप्लाई पहले ही कर दी गई है।

(ग) और (घ) 1994-95 के बकाया सहित 1995-96 के लिए माल-डिब्बा निर्माताओं के पास कुल 19687.5 चौपहिया माल डिब्बों तथा रेल कारखानों के पास 1600 चौपहियों के निर्माण के लिए आर्डर मौजूद हैं। इसके विपरीत, 31.01.96 तक 12,258 चौपहिया माल डिब्बों की सप्लाई की जा चुकी है। 1996-97 में, रेलों के चल स्टाक कार्यक्रम के अंतर्गत, 25000 चौपहिया माल डिब्बों की बढ़ी हुई मात्रा के लिए आर्डर दिए जाने की संभावना है। "माल डिब्बे के मालिक बनिए" योजना के अंतर्गत लगभग 2500 चौपहिया माल-डिब्बों के अतिरिक्त कार्यभार के लिए आर्डर दिए जाने की संभावना है।

1995-96 के लिए, पश्चिम बंगाल की इकाईयों के पास " माल डिब्बे के मालिक बनिए" योजना सहित 14117.5 चौपहिया माल-डिब्बों के निर्माण के लिए क्रयादेश मौजूद हैं। उन्हें 1996-97 के लिए आनुपातिक क्रयादेश दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग

620. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी, ग्रामोद्योग आयोग की संगठनात्मक व्यवस्था के पुनर्गठन का कार्य भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संस्थान ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम्) : (क) से (घ) चूंकि सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन के लिए कोई अध्ययन नहीं सौंपा है, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उसकी विद्यमान संगठनात्मक पुनर्संरचना के अध्ययन के लिए तथा उसकी पुनर्संरचना के लिए सिफारिश करने हेतु एक अध्ययन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सौंपा गया था। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा उसकी रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों में प्रधान कार्यालय, स्थानीय कार्यालयों तथा व्यवसायिक प्रबन्धन पद्धति शुरू करने के उपायों को मजबूत बनाना शामिल है, ताकि घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की प्रतियोगिता में सुधार हो सके। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रिपोर्ट की जॉच करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इस संबंध में खादी ग्रमोद्योग आयोग की ओर से अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

खुदाई भराई के ठेके

621. **डा० वसंत पवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा विभिन्न स्थानों पर खुदाई-भराई के कितने ठेके दिये गये;

(ख) कम्पनियों को ठेका देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है; और

(ग) कुल कितने मूल्य के ठेके दिये गए तथा काम किस तिथि को पूरा हो जाने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) दो।

(ख) ठेके खुली/सीमित निविदा के आधार पर प्रदान किये गए थे।

(ग) एक ठेका 70.65 लाख रुपये के मूल्य का तथा दूसरा 5.50 लाख रुपये का था। कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

रेल चयन आयोग

622. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ व्यक्तियों को रेल चयन आयोग द्वारा बिना साक्षात्कार के ही नियुक्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, भारतीय रेलों पर ग्रुप "ग" के पदों के लिए भर्ती सामान्यतः रेल भर्ती

बोर्डों के माध्यम से की जाती है जो लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती आयोजित करते हैं, परन्तु जहां कहीं रेलवे बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है, रेलें ऐसे पदों के लिए स्वयं भी भर्ती कर सकती हैं, जैसा कि उदाहरणार्थ निम्नलिखित मामलों में किया गया है :–

(1) कुशल कारीगरों, अध्यापकों तथा रसोईयों की भर्ती।

(2) अनुकंपा के आधार पर, खेलकूद कोटे, शारीरिक रूप से विकलांग कोटे आदि से संबद्ध भर्ती।

रेलों को ग्रुप "घ" पदों की सभी भर्तियां करने तथा ग्रुप "ग" तथा ग्रुप "घ" पदों के अन्तर्गत एंवजियों की तैनाती करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

[हिन्दी]

प्रतिनियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

623. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में एंव अन्य देशों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) क्या प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) देश तथा विदेश में प्रतिनियुक्ति पर गए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है :–

भारतीय प्रशासनिक सेवा	–	772
भारतीय पुलिस सेवा	–	456

(ख) और (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, क्रमशः भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 तथा भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 तथा इस संबंध में जारी संबंधित अनुदेशों द्वारा अधिशासित होती है।

[अनुवाद]

इन्जीनियरिंग कालेजों में नौकरियाँ

624. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिष्ठानों को स्थापित करने में जिन परिवारों की जमीन अधिगृहीत की जाती है उनके परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी देने के संबंध में सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, द्वारहाट स्थित इन्जीनियरिंग कालेजों में इस नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विज्ञापन हेतु स्थान

625. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका (एन.डी.एम.सी.) द्वारा विज्ञापन हेतु स्थान के अनुबंध के संबंध में कोई विशिष्ट नीति/दिशानिर्देश तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भारतीय टोबैको कम्पनी को विभिन्न कियोस्कों पर विज्ञापन स्थान निविदा का पालन किए बगैर दे दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अल्लुवालिया) : (क) और (ख) सभी विज्ञापनों की अनुमति नई दिल्ली नगर पालिका अधिनियम, 1994 और उसके तहत बनाये गये उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार दी जानी होती है।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने मैसर्स इन्डियन टोबैको कम्पनी को विभिन्न कियोस्कों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी है परन्तु उन्हें लुटियन बंगला जॉन के भीतर अपने खर्च पर कियोस्कों/पान-थड़ों को सुधार करने/सुन्दर बनाने की अनुमति दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

626. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के चयन का क्या मानदंड है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के पृथक-पृथक कितने पुरस्कार प्रधानाचार्यो और शिक्षकों विशेषकर दिल्ली में कार्यरत शिक्षकों/प्रधानाचार्यों को प्रदान किये गये हैं;

(ग) क्या इस पुरस्कार हेतु वर्ष 1995 की सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी; और

(ङ) यह पुरस्कार पब्लिक स्कूलों/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के स्थान पर केवल कार्यरत शिक्षकों को देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अन्तर्गत, कम से कम 15 वर्ष के नियमित शिक्षण अनुभव वाले कक्षाओं के शिक्षक और 20 वर्षों के नियमित शिक्षण अनुभव वाले मुख्याध्यापक/प्रिंसिपल जो प्राथमिक/मिडिल/हाई/उच्चतर माध्यमिक इत्यादि स्कूलों में शिक्षक/मुख्याध्यापक/प्रिंसिपल के रूप में वास्तविक रूप से सेवारत हैं, वे पुरस्कारों के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

प्रत्येक राज्य को पुरस्कारों के लिए एक निर्धारित कोटा आवंटित किया गया है। इस समय प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए पुरस्कारों का अलग-अलग कोटा है फिर भी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की तुलना में प्रिंसिपलों के लिए कोई अलग से कोटा आवंटित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए कुल चार पुरस्कार आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में दो दो पुरस्कार हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रिंसिपलों/शिक्षकों को दिए गए पुरस्कारों की संख्या निम्नवत हैं :–

	1992		1993		1994	
	प्राथमिक	मा०	प्राथमिक	मा०	प्राथमिक	मा०
शिक्षक	-	1	-	-	1	-
मुख्याध्यापक/ प्रिंसिपल	2	1	2	2	1	2

वर्ष 1995 में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 5 सितंबर को आयोजित होने वाले (शिक्षक दिवस) समारोह में पुरस्कार प्रदान करने से पूर्व ही चुने हुए शिक्षकों के नामों की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत इस समय शिक्षकों/प्रिंसिपलों के चयन के मानदंड में सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रुपौली हाल्ट

627. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत रुपौली हाल्ट को "रेलवे स्टेशन" मे बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में आटोमोबाइल इकाई की स्थापना

628. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल मे कार का निर्माण करने हेतु संयुक्त क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत किसी इकाई को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान, इटली, अथवा जर्मनी की किसी कम्पनी ने केरल में कार निर्माण की इकाई शुरू करने के संबंध में सरकार के साथ कोई समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

629. **डा० सुधीर राय :**
श्री मुही राम तैकिया :

क्या **प्रधान मंत्री** 19 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3421 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के चेयरमैन पिछले वर्ष में किये गये नियमित प्रवेशों में से विशेष छूट के आधार पर इतने प्रवेश देने की अनुमति दे सकते हैं जिनकी संख्या कुल प्रवेश के निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष ने केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक दाखिले के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

पुरातत्व संस्थान

630. **श्री मुही राम सैकिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली स्थित पुरातत्व संस्थान में अनुशासनहीनता और कथित अनैतिक कृत्यों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी जांच के लिए कोई आदेश दिए गए हैं/दिए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ छात्रों ने एक दूसरे के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वरूप की शिकायतें की हैं।

(ग) और (घ) जी हां, जॉच प्रारम्भ कर दी गई है। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

मवाना चीनी मिल

631. **श्री अमर पाल सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मवाना शुगर वर्क्स" को क्षमता के विस्तार हेतु आशय पत्र जारी करने के संबंध में उनके मंत्रालय को खाद्य मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को स्वीकृति दी है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय की जांच समिति ने उक्त आशय पत्र जारी करने के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो यह सिफारिश कब की गयी थी और क्या आशय पत्र जारी कर दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) किस प्रकार सरकार आशय पत्र जारी न किये जाने के कारण किसानों के हुए नुक्सान की क्षतिपूर्ति करने का प्रस्ताव करती है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (च) मैसर्स श्रीराम इंडस्ट्रियल इन्टरप्राइजिस लि० (यूनिट मवाना शुगर वर्क्स) के मवाना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित अपने चीनी के कारखाने की क्षमता में प्रस्तावित विस्तार संबंधी खाद्य मंत्रालय की सिफारिशें उद्योग मंत्रालय को 09.10.95 को प्राप्त हुई थी। चूंकि इस मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिए कुछेक स्पष्टीकरण प्राप्त करने अनिवार्य थे, इसलिए इस संबंध में अभी तक आशय पत्र नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

शहरी परिवहन

632. ***श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :*** *क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे* कि :

(क) क्या फरवरी, 1996 में नई दिल्ली में विकासशील देशों में शहरी परिवहन संबंधी सातवां पांच दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन के दौरान, शहरी परिवहन से सम्बन्धित शहरी आयोजना में इसकी भूमिका, जन-द्रुतगामी परिवहन प्रणाली, कम-कीमत वाले यातायात प्रबन्ध तरीकों आदि जैसे विभिन्न मुद्दों बाबत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे।

(ग) सरकार ने उन सुझावों को नोट कर लिया है जो भावी शहरी परिवहन नीतियों को बनाने के लिए दिए गए थे।

नमक संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

633. **श्री राम नाईक :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नमक संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को हाल ही में पुनर्गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों, का ब्यौरा क्या है तथा बोर्ड का गठन कितनी अवधि के लिये किया जाता है;

(ग) क्या नमक संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में नमक का उत्पादन करने वाले राज्यों के संसद सदस्यों का कोई प्रतिनिधित्व है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि उक्त बोर्ड में केवल राज्य के संसद सदस्यों को मनोनीत किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (च) केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड की वर्तमान सदस्यता की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड में नमक के उत्पादन, वितरण और खपत से जुड़े अथवा इसमें रुचि रखने वाले संगठनों तथा विभिन्न अन्य समूहों के सदस्य होते हैं। इसमें नमक उत्पादनकारी राज्यों का प्रतिनिधित्व नमक उत्पादक राज्यों और नमक विनिर्माताओं के माध्यम से किया जाता है। जन कार्यों का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को संसद सदस्यों सहित विशिष्ट व्यक्तियों में से चुना जाता है। केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करते समय इन सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है।

विवरण

संख्या 07011/2/95-नमक
भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(नमक डैस्क)
नई दिल्ली दिनांक : 8 फरवरी, 1996

संकल्प

भारत सरकार ने केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड का तत्काल पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है, पुनर्गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है) की रचना इस प्रकार होगी :–

1. **अध्यक्ष**
   उद्योग मंत्री
   सदस्य

केन्द्र सरकार के विभागों / संगठनों के प्रतिनिधि

2. संयुक्त सचिव, नमक प्रभारी, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग।
3. निदेशक, केन्द्रीय नमक तथा समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर।
4. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आई० डी० डी० नियंत्रण कार्यक्रम प्रभारी, स्वास्थ्य मंत्रालय।
5. कार्यकारी निदेशक (यातायात एवं परिवहन) रेल मंत्रालय।

नमक उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

6. उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार।
7. सचिव, उद्योग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार।
8. सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार।
9. सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार।
10. सचिव, उद्योग विभाग, उड़ीसा सरकार।
11. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार।

नमक, उत्पादक राज्यों के अलावा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

12. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, असम सरकार।
13. निदेशक, अतिसार नियंत्रण और आई० डी० डी० उन्मूलन के लिए राजीव गांधी मिशन, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।

नमक विनिर्माता

गुजरात

14. अध्यक्ष, भारतीय नमक विनिर्माता संघ, बम्बई।
15. श्री कृष्णामुरारीलाल अग्रवाल, अध्यक्ष, धरगांधरा इनलैंड नमक विनिर्माता संघ।
16. अध्यक्ष, गांधीधाम वाणिज्य और उद्योग मण्डल, गांधीधाम।

तमिलनाडु

17. श्री एम० एस० प्रकाश तुतीकोरिन।

आन्ध्र प्रदेश

18. श्री आर० जी० सोनथलिया, कन्नूपार्थी, जिला प्रकासम।

उड़ीसा

19. मुख्य कार्यकारी, मैसर्स जयश्री कैमिकल्स, गंजम।

राजस्थान

20. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्ट लि० जयपुर।

आयोडीकृत नमक विनिर्माता

21. श्री रमेश चन्द्र राठी।

शोधित नमक और आयोडीकृत नमक विनिर्माता

22. श्री पी० बी० आनन्दम, वैल ब्राईन्स लि० गांधीधाम।
23. श्री नितिश जैन, डी० सी० डब्लू० लि० बम्बई।

नमक विनिर्माणकारी सहकारी समितियों का ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति

24. विशेष अधिकारी, सहकारी विभाग, गुजरात।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधि

25. श्री राजन लोहिया मैसर्स झावरमल विनोद कुमार, कोल रोड़, डिबरूगढ़, असम।

अल्काली विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

26. श्री एम० जय शंकर, अध्यक्ष, तुतीकोरिन अल्काली कैमीकल्स लि० मद्रास।

सार्वजनिक कार्यों में जानकारी तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति

27. श्री पी० सी० चाको, संसद सदस्य, 16, जनपथ, नई दिल्ली।

28. श्री वी० एस० विजयराघवन, बी-101, एम० एस० फ्लैटस, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली।

29. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मन, संसद सदस्य, 139 साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली।

30. प्रो० के० वी० थामस, संसद सदस्य 84, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली।

31. श्री ए० ए० कोचुन्नी, 12/1340, पनयापल्ली, कोचीन।

सदस्य-सचिव

32. नमक आयुक्त, जयपुर।

टिप्पणी : जहाजरानी तथा परिवहन और वाणिज्य मंत्रालयों और राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों को बोर्ड की बैठक में जब कभी आवश्यक हो, भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। संसद के वे सभी सदस्य जो नमक के क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों के सदस्य हैं, बोर्ड की बैठक में भाग ले सकते हैं।

2. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कार्य नमक उप-कर अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अधीन लगाये गये उप-कर से आमदनी के प्रशासन के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना और नमक उद्योग के विकास के लिये सहायक उपायों की सामान्यतः सिफारिश करना होंगे, अर्थात् :

(1) अनुसंधान केन्द्रों, माडल फार्मो और नमक कारखानों की स्थापना और रखरखाव।

(2) नमक की श्रेणियां निर्धारित करना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना।

(3) निर्यात का विकास।

(4) नमक निर्माताओं में सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहन देना।

(5) नमक उद्योग के विकास से संबंधित कोई अन्य मामला।

(6) नमक उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण को प्रोत्साहन देना।

3. (क) बोर्ड की अवधि इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी।

(ख) यदि किसी गैर-सरकारी सदस्य का स्थान खाली हो जाता है तो केन्द्र सरकार बोर्ड की समाप्त न हुई अवधि के लिए रिक्त स्थान को भरने के लिए नया नामांकन करेगी।

4. (क) यदि कोई मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेने की स्थिति में नहीं है तो उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित में तथ्य बताना होगा।

(ख) बोर्ड की बैठक का कोरम तीन का होगा।

(ग) बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी उप समिति की बैठक में भाग लेने वाला प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य नियमों के अधीन यथा स्वीकार्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

(घ) नमक आयुक्त जयपुर गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा तथा दैनिक भत्ता बिल पर प्रतिहस्ताक्षरण के लिए नियंत्रण अधिकारी होंगे।

(ङ) गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(च) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य भारत छोड़ता है, तो उन्हें भारत छोड़ने से पहले भारत से अपने प्रस्थान की तारीख और भारत में अपनी प्रत्याशित वापसी की तारीख बोर्ड के अध्यक्ष को सूचित करनी होगी और यदि उनका इरादा छः महीने से अधिक अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित रहने का है तो उन्हें अपना त्यागपत्र देना होगा। यदि कोई ऐसा सदस्य उपर्युक्त का अनुपालन किये बगैर भारत छोड़ता है, तो उन्हें भारत से अपने प्रस्थान की तारीख से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा।

(छ) बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के बारे में यह घोषणा कर दी जायेगी कि उसका स्थान खाली हो गया है :

1. यदि वह दिवालिया हो गया है, अथवा

2. यदि वह किसी ऐसे अपराध, जो केन्द्र सरकार की राय से चरित्रहीनता से संबंधित है, का दोषी सिद्ध हो गया हो, अथवा

3. यदि वह बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थिति की छुट्टी लिये बिना उसकी लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, अथवा

4. यदि केन्द्र सरकार की राय में यह अवांछनीय है कि वह बोर्ड का सदस्य बना रहे।

(ज) बोर्ड का सचिव बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से क्षेत्रीय नमक सलाहकार बोर्डो के एक अथवा एक से अधिक गैर-सरकारी सदस्यों अथवा अन्य व्यक्तियों को बोर्ड की किसी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है और ऐसे सदस्य अथवा व्यक्ति खंड (ग) के अधीन उल्लिखित यात्रा भत्ता आदि के हकदार होगें।

(झ) बोर्ड की बैठक ऐसे स्थान और समय पर होगी जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) भारत में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक साधारण बैठक के लिए समय तथा स्थान की सूचना ऐसी बैठक से 15 दिन पहले देनी होगी और प्रत्येक सदस्य को उस बैठक में निपटाये जाने वाले कार्य की एक सूची दी जायगी।

(ट) यदि अध्यक्ष द्वारा कोई आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है तो ऐसा नोटिस आवश्यक नहीं है।

(ठ) जो मद कार्यसूची में नहीं है, उस पर बोर्ड अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना बैठक में विचार नहीं किया जायेगा।

(ड) बोर्ड की जिस बैठक में अध्यक्ष उपस्थित होंगे उसकी अध्यक्षता वे करेंगे यदि अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित होंगे, तो सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और इस तरह चुना गया सदस्य उस बैठक में अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

(ढ) बोर्ड की बैठक में प्रत्येक प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत और उस प्रश्न पर मतदान से तय किया जायेगा। मतों का बराबर विभाजन होने पर अध्यक्ष अतिरिक्त मत देंगे।

(ण) बोर्ड की बैठक की कार्रवाई भारत में उपस्थित सभी सदस्यों को परिचालित की जायेगी और उसके बाद एक कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज की जायेगी जो स्थायी रिकार्ड के लिए रखी जायेगी।

प्रत्येक बैठक कार्रवाई के रिकार्ड पर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(त) किसी क्षेत्र के खर्च, जिसे उप कर की आय से पूरा किया जाना है, के लिए प्रस्तावों पर पहले क्षेत्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा, इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावों के ब्यौरे के साथ प्रारम्भिक अनुमान और अन्य आवश्यक आंकड़ों के साथ उसकी अनुमानित लागत क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा तैयार किये जायेंगे। इसके बाद क्षेत्रीय बोर्ड की सिफारिश के साथ-साथ प्रस्तावों पर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

विकासात्मक स्वरूप और श्रमिक कल्याण के कार्यों, प्रत्येक की 5 लाख रुपये लागत का स्वयं क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को उनकी अन्तिम सिफारिशों के लिए भेजे बिना निष्पादन के लिए अनुमोदन किया जा सकता है।

(द) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जायेंगी, उसके बाद विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। सक्षम प्राधिकारों द्वारा इन अनुमानों को स्वीकृत किया जायेगा।

(ध) बोर्ड के किसी कार्य अथवा कार्रवाई पर, बोर्ड में काई रिक्त स्थान के होने अथवा उसके संविधान में कमी के आधार पर, कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय और प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजा जाये।

2. आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र, भाग-I, खंड-I, में प्रकाशित किया जाये।

हस्ताक्षर/-

(प्रतिभा करन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद।

सड़क कार्य

634. **श्री बलराज पासी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-फरवरी, 1995 के दौरान नई दिल्ली की सड़कों पर रोड़ी बिछाने का किया गया कार्य संतोषजनक रहा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रकार रोड़ी बिछी सड़कों का टिकाऊपन कितना है;

(ग) क्या इसमें प्रयुक्त सामग्री इसके अधिक टिकाऊपन की कसौटी पर खरी उतरती है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) और (ख) जी, हां, रोड़ी बिछी सड़कों का टिकाऊपन 5 वर्ष प्रत्याशित है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी आवासों का दुरुपयोग

635. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंतकवादियों द्वारा रोमानिया के राजदूत "राडू" के अपहरण कांड में सरकारी आवासों का दुरुपयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी आर्वटियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवंटी द्वारा अपने पक्ष में दिये गये किराया दावा/दस्तावेज की जांच हेतु "कार्बन डेटिंग" तकनीक का उपयोग किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) से (ग) एक रिपोर्ट मिली थी कि मकान नं० 21/120, लोधी रोड़ नई दिल्ली के आवंटी ने अपने क्वार्टर का एक कमरा नकली नाम से रह

रहे एक आतंकवादी (मिलीटेंट) को उप-किरायेदारी पर दे रखा था। बाद में की गई जांच पड़ताल से पता चला है कि आवंटी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं हैं जिसके बल पर आंतकवादी से संपर्क रखने के मुद्दे को लेकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। चूंकि यह आवास की सहभागिता (शेयरिंग) का मामला था जिसके लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है और समय पर अनुमति नहीं ली गई थी इसलिए आवंटी को पांच वर्ष की अवधि-तक सहभागी रखने से वंचित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस बारे में किसी दस्तावेज की जांच करने के लिए "कार्बनडेटिंग" का इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई।

रेल लाइन

636. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के झांसी-मनकापुर खंड पर महोबा रेलवे स्टेशन से खुजराहो के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया और उक्त रेल लाइन के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) ललितपुर, खुजराहो-सतना, महोबा-खुजराहो और रीवा-सिद्धि-सिंगरौली (491 कि० मी०) नई बड़ी लाइन के लिए मई '91 में शुरू किया गया प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इस परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही संभव होगा।

बिहार में महाविद्यालयों का अधिग्रहण

637. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सरस्वती आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, बेगूसराय और मधुबनी जिले में हरिजन संस्कृत महाविद्यालय, बाढ का केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहण की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

डी० एम० यू० रेलगाड़ी

638. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-रोहतक/भिवानी खंड पर डी० एम० यू० रेलगाड़ी चलाने संबंधी मांग की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जांच की गई है लेकिन परिचालनिक और तकनीकी कारणों की वजह से फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

रेलवे स्टेशन

639. **श्री सुदर्शनराय चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेलवे के हावड़ा-बन्डेल सेक्शन पर वैद्यावती और भद्रेश्वर के बीच नए रेलवे स्टेशन खुरीगाछी का निर्माण करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) वैद्यवटी और भद्रेश्वर स्टेशनों के बीच खुरिगाछि पर यात्री हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की विगत में कई बार जांच की गई लेकिन इसे पारिचालनिक, इंजीनियरी और वित्तीय आधारों पर औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए प्रधान अध्यापक

640. **श्री संजय लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन केन्द्रीय विद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों की संख्या 1400 से अधिक है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मानदंडों के अनुसार विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की संख्या 700 से अधिक होने पर विद्यालय में प्रधान अध्यापक का पद स्वीकृत किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त ऐसे विद्यालयों के लिए प्रधान अध्यापकों के अतिरिक्त पदों का सृजन करने का कोई प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) :(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, ऐसे पांच केन्द्रीय विद्यालय हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली-कैंट-I

2. केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली-कैंट-II

3. केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी

4. केन्द्रीय विद्यालय, ए०जी०सी०आर० कालोनी

5. केन्द्रीय विद्यालय, न्यू महारोली रोड़।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मानदण्डों के अनुसार, उन केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद संस्वीकृत किया जाता है जहां प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में कुल दाखिला 700 से अधिक है अथवा जहां प्राथमिक कक्षाएं अलग भवन में स्थित हैं और मुख्य स्कूल से परे हैं/अथवा अलग पाली में कार्यरत हैं।

वातानुकुलित कोच का आगे तक बढ़ाया जाना

641. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र मेल में ओखा तक वातानुकूलित कोच के विस्तारण और जामनगर स्टेशन पर बर्थों की आरक्षण संख्या में वृद्धि संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी हां, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रस्तावों की जांच की गई है और इन्हें औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। इसके अलावा, वातानुकूलित 2-टियर सवारी डिब्बों की भी कमी है।

भावनगर से दिल्ली के बीच रेलगाड़ी

642. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों तथा संसद सदस्यों द्वारा भावनगर से दिल्ली के बीच (पश्चिम रेलवे) सीधी रेलगाड़ी चलाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जीं, हां।

(ख) और (ग) 10.05.95 से भावनगर और दिल्ली के बीच एक दूसरी श्रेणी का शयनयान (जी एस सी एन) गाड़ी सं० 29/9923/9902-9901/9924/30 में चलाया गया है।

भावनगर और दिल्ली के बीच गाड़ी का चलाया जाना परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

दुकानों का आवंटन

643. **श्री जी० देवराय नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में निर्मित शहीद भगत सिंह प्लेस में कुल कितनी दुकानें बनाई गई हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर परिषद् ने वहां पर दुकानों का आवंटन उन लोगों को किया गया है जिनकी दुकान बेयर्ड लेन में थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बेयर्ड लेने के सभी दुकानदारों के लिए वहां दुकानों की संख्या पर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो वहां कई दुकानों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने और आवंटन करने तथा बेयर्ड लेन के सभी दुकानदारों को वहां दुकानें न देने के क्या कारण हैं; और

(च) इस स्थिति को ठीक करने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) से (च) नई दिल्ली नगर परिषद ने बताया है कि शहीद भगत सिंह प्लेस परिसर के पहले चरण में निर्मित विभिन्न आकार की 111 दुकानों में से बेयर्ड रोड के 46 स्टाल धारकों को पुनर्वास आधार पर दुकानें आवंटित की गयी हैं और शेष 66 दुकानें खुली निविदा आधार पर आवंटित की गयी हैं चूंकि ये बड़े और छोटे आकार की थी तथा निविदा आधार पर आवंटन हेतु बनायी गयी थी ताकि परियोजना की लागत वहन करने के लिए राजस्व जुटाया जा सके और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले का समर्थन किया गया है। बेयर्ड लेन के शेष 46 स्टाल धारकों का दूसरे चरण में स्थानान्तरित किया जायेगा जिसके लिए निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा। चूंकि, इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों हेतु किरणन का प्रयोग

644. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद, ने एक अनुसंधान करने के पश्चात स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि किरणित गेहूँ मानवीय खपत के योग्य नहीं है, क्योंकि यह गुण-सूत्रीय परिवर्तन करता है;

(ख) क्या आस्ट्रेलिया और स्वीडन जैसे देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ राज्यों ने खाद्य पदार्थों के लिए किरणन की अनुमति रोक दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का खाद्य पदार्थों में इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग को रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय में उपभोक्ता ने नामिकिय सामग्री के उपयोग संबंधी एवं समिति द्वारा इस नई और चर्चाधीन प्रौद्योगिकी को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद में किए गए अनुसंधान-कार्य से यह पता लगने की रिपोर्ट है कि ताजा-ताजा किरणित किया गया गेहूँ बहुगुणित (गुणसूत्रीय परिवर्तन) कोशिकाओं को प्रेरित करता है। तथापि, विश्व-भर की विभिन्न प्रयोगशालाओं जिनमें भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुम्बई भी शामिल हैं, में किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर इस बात की पुष्टि/स्वीकृति नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किरणित गेहूँ के मानव द्वारा उपभोग किए जाने हेतु सुरक्षित होने के बारे में, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई से प्राप्त आंकड़ों के बीच विसंगतियों का अध्ययन करने के लिए सन् 1975 में एक दो-सदस्यीय समिति का गठन किया था। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान के आंकड़े जिनमें यह संकेत दिया गया है कि किरणित गेहूँ बहुगुणित कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं सुस्पष्ट नहीं है। इसके बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयू एच ओ) भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि किरणित खाद्य पदार्थ जीव में गुणसूत्रीय परिवर्तन नहीं लाते और ये मानव द्वारा उपभोग किए जाने हेतु सुरक्षित भी हैं।

(ख) आस्ट्रेलिया और स्वीडन के पास वर्तमान में खाद्य किरणन को आगे बढ़ाने के लिए कोई विनियम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी राज्य खाद्य किरणन की अनुमति देते हैं। इस समय 37 देशों ने इस प्रौद्योगिकी को स्वीकार किया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कई उत्पादों में करना शुरू किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत की खाद्य किरणन को बंद करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह एक सुरक्षित और लाभप्रद प्रौद्योगिकी है। सरकार ने प्याज, आलुओं और मसालों के लिए किरणन प्रौद्योगिकी की अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) और (च) खाद्य किरणन प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत केवल किरणन स्रोत तथा किरणीत खाद्य पदार्थ आते हैं। किरणन स्रोतों के लिए स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की दृष्टि से अनुमति भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा दी जाती है, और खाद्य किरणन के लिए अनुमति स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव द्वारा उपभोग किए जाने के लिए प्याज, आलुओं और मसालों के किरणन की अनुमति पहले ही दे दी है।

नमक का उत्पादन

645. **श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नमक की मांग में जापान, फिलिपीन्स, सिंगापुर आदि जैसे देशों में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में ट्यूटीकोरीन में जहां पर नमक उत्पादन की व्यापक क्षमता विद्यमान है इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जापान को प्रतिवर्ष नमक का निर्माण करने में वृद्धि हो रही है। तथापि, अन्य देशों की कोई निश्चित प्रवृत्ति की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) ट्यूटीकोरीन क्षेत्र में नमक का उत्पादन लगभग अपनी इष्टतम क्षमता तक पहुँच गया है। ट्यूटीकोरीन क्षेत्र सारे दक्षिणी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और यह आंशिक रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। इसलिए, ट्यूटीकोरीन में अधिक निर्यात योग्य नमक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ट्यूटीकोरीन से लगभग 1 लाख से 1.5 लाख टन के औसत से नमक का निर्यात किया जाता है।

रेल लाइन का दोहरीकरण

646. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेंद्रम से कोचुवेली तक रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को पूरा करने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) कार्य दिसंबर, 97 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) जी हां।

गुजरात में आमान परिवर्तन

647. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में छोटी लाइन को मीटर लाइन में बदलने के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजकोट/वेरावल मीटर लाइन भी इन प्रस्तावों में शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका निर्माण कब शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राजकोट-वेरावल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। कार्य को 100 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृति दे दी गई है और कार्य शुरू किया जा रहा है।

कार्यालयों को बंद किया जाना

648. **श्री धर्मण्णा मॉडयूया सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार अत्यधिक अक्काश से जन सामान्य को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केवल स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर ही अवकाश घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) :(क) लगातार कई छुट्टियां पड़ जाने से जनता को कुछ कठिनाईयां हो सकती हैं, पर ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं तथा ये सब सरकार के नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों में होते हैं।

(ख) और (ग) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता

649. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आंगनवाड़ो केन्द्रों में कितने कार्यकर्त्ता कार्यरत है;

(ख) सरकार द्वारा उनको कितना वेतन दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उनके वेतन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) 31.12.1995 की स्थिति के अनुसार, देश में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत 3,20,298 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3,20,298 आगंनवाड़ी कार्यकर्त्ता और इतनी ही सहायिकाएँ हैं।

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं को कोई वेतन नहीं दिया जाता। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यान्वयन में उनके द्वारा किए गए अंशकालिक स्वैच्छिक कार्य के लिए उन्हें केवल मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की श्रेणी-वार और सहायिकाओं को दिया जाने वाला मानदेय इस प्रकार है :–

	श्रेणी	प्रतिमाह मानदेय की राशि
(क)	**आंगनवाडी कार्यकर्त्ता**	
1.	मैट्रिक स्तर के नीचे	350/- रुपये
2.	मैट्रिक स्तर के नीचे, पांच वर्ष का अवैतनिक कार्य किया हो।	375/- रुपये
3.	मैट्रिक स्तर के नीचे, 10 वर्ष का अवैतनिक कार्य किया हो।	400/- रुपये
4.	मैट्रिकुलेट	400/- रुपये
5.	मैट्रिकुलेट–पांच वर्ष का अवैतकनिक कार्य किया हो।	425/- रुपये
6.	मैट्रिकुलेट–दस वर्ष का अवैतनिक कार्य किया हो।	450/- रुपये
(ख)	**सहायिकाएँ**	200/- रुपये

(ग) और (घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं/सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न आंगनवाड़ी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

फोटो पहचान पत्र

650. **डा० के० बी० आर० चौधरी** :

श्री राम नाईक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फोटो पहचान पत्र जारी किए जाने के संबंध में राज्य-वार क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या तमिलनाडु, केरल तथा त्रिपुरा इस मामले में पीछे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी राशि आंबटित की गई; और

(ङ) आगामी आम चुनाव के पहले इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 19.01.1996 को फोटो पहचान पत्र की स्कीम के कार्यान्वयन के

संबंध में की गई प्रगति एक संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) इन राज्यों में फोटो पहचान पत्रों को जारी करने का कार्य अभी आरंभ नहीं किया गया है। तथापि, कार्य को पूरा करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख को निर्वाचन आयोग द्वारा 31.03.96 तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रयोजन के लिए संघ सरकार द्वारा की गई 225 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था में से केवल 17,63,000 रुपये और 14,52,00,000 रुपये की राशि क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों को पहले ही जारी कर दी गई है। अन्य राज्यों की निधि संबंधी आवश्यकता का हिसाब लगाया जा रहा है और इन राज्यों को निधि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी कर दी जाएगी।

(ङ) निर्वाचन आयोग साप्ताहिक आधार पर स्कीम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का मानीटर कर रहा है और आगामी साधारण निर्वाचनों से पहले कार्य को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है।

विवरण

फोटो पहचान पत्रों की स्कीम के कार्यान्वयन के विषय में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति को दर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल निर्वाचक मंडल	फोटो खींचे गए मतदाता	जारी किए गए फोटो पहचान पत्रों की सं०
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	48320976	38583420	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	532830	464269	208822
3.	असम	12269696	3320279	–
4.	बिहार	57800000	33300000	5427277
5.	गोवा	862101	621614	450121
6.	गुजरात	29022094	26243919	19624388
7.	हरियाणा	11076862	9691241	7819619
8.	हिमाचल प्रदेश	3486283	2871008	1922061
9.	कर्नाटक	31673534	25006667	2199246
10.	केरल	20379953	–	–
11.	मध्य प्रदेश	44784568	34907606	7414700
12.	महाराष्ट्र	55122009	47907687	40499288
13.	मणिपुर	1267904	1107841	839658
14.	मेघालय	1086374	779276	530366
15.	मिजोरम	395945	–	–
16.	नागालैंड	847716	422734	–
17.	उड़ीसा	22068712	17944390	1126454
18.	पंजाब	14000884	11364307	9015858

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल निर्वाचक मंडल	फोटो खीचे गए मतदाता	जारी किए गए फोटो पहचान पत्रों की सं०
1	2	3	4	5
19.	राजस्थान	29913178	23338006	10555272
20.	सिक्किम	217446	174381	149073
21.	तमिलनाडु	42097622	—	—
22.	त्रिपुरा	1606382	602208	—
23.	उत्तर प्रदेश	96522000	71613000	9449000
24.	पश्चिमी बंगाल	44675204	39793820	24831043

टिप्पण : स्कीम को जम्मू-कश्मीर राज्य में विस्तारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय गुणवत्ता परिषद

651. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय गुणवत्ता परिषद के गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका गठन किस तिथि तक हो जाने की संभावना है, और क्या परिषद् में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ शामिल किये जांएगे;

(घ) क्या भारतीय गुणवत्ता परिषद् के प्रमाण पत्र की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता होगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या परिषद् के गठन के पश्चात्, भारतीय मानक ब्यूरो निरर्थक हो जाएगा अथवा यह प्रस्तावित परिषद् का एक हिस्सा बन जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी, ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ङ) सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यू सी आई) की स्थापना करने का निर्णय लिया है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में पंजीकृत होगी। उक्त परिषद में गुणवत्ता आश्वासन संबंधी कार्य करने वाले सरकारी विभागों तथा संगठनों, लघु उद्योग क्षेत्र सहित उद्योग के शीर्ष निकायों, निर्यातकों, उपभोक्ता निकायों, प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों, स्टार व्यापारिक गृहों, गुणवत्ता पुरस्कार पाने वालों आदि के प्रतिनिधि होंगे।

परिषद के अधीन निम्नलिखित संगठन होंगे:-

1. उत्पादों और गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड।
2. गुणवत्ता प्रबंध, कार्मिक तथा प्रशिक्षण संगठनों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड।
3. परीक्षण एवं अशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय बोर्ड (एन ए बी टी सी एल)।

भारतीय गुणवत्ता परिषद को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन एक सोसाईटी के रूप में पंजीकृत कराने के लिए कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद अन्य अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्डों में परस्पर मान्यता दिलाने में मदद करने के लिए संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

(च) और (छ) परिषद की स्थापना के कारण भारतीय मानक ब्यूरो अनावश्यक नहीं हो जायेगा। इसका भारतीय गुणवत्ता परिषद में प्रतिनिधित्व होना और भारतीय गुणवत्ता परिषद की रूपरेखा में इसकी एक विशिष्ट भूमिका होगी।

रेल सभागार

652. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की रेल सभागार अत्यंत बदतर स्थिति में है;

(ख) इस सभागार की उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेल प्रशासन का विचार जन सामान्य विशेषतः रेल कर्मचारियों के लाभ हेतु इस सभागार की स्थिति में सुधार करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे का "स्क्रेप"

653. **श्री विलासराव नागनाथराव गूडेराव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा चालू वर्ष के दौरान अब तक "स्क्रेप" की कुल कितनी मात्रा बेची गई; और

(ख) रेलवे को "स्क्रेप" की बिक्री से कुल कितनी आय हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.01.96 तक रेलों/उत्पादन इकाईयों द्वारा निपटाई गई स्क्रैप सामग्री की कुल मात्रा इस प्रकार है :–

1. पटरियां तथा रेल पथ	–	4,68,176 मि० टन०
2. लोहा स्क्रैप	–	3,62,519 मि० टन०
3. गैर लोहा	–	6,489 मि० टन०
4. मालडिब्बे	–	17,889 अदद
5. सवारी डिब्बे	–	1,915 अदद
6. रेल इंजन	–	327 अदद

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.01.96 तक स्क्रैप की बिक्री से हुई कुल आमदनी की राशि 803.91 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

फ्लैटों का निर्माण

654. **डा० लाल बहादुर राक्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करने हेतु कितने फ्लैटों का निर्माण कार्य चल रहा है और ये फ्लैट कहां-कहां बनाए जा रहे हैं;

(ख) इन फ्लैटों का निर्माण कार्य कब तक पुरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इससे कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) फ्लैटों की संख्या और इलाका नीचे दिया गया है :–

क्वार्टरों की संख्या	टाइप	इलाका
112	IV	एम० बी० रोड़
200	V	आर० के० पुरम०

(ख) एम० बी० रोड़ के क्वार्टर (112) 1996-97 के दौरान तथा आर० के० पुरम में टाइप V के क्वार्टर 1997-98 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) इससे 312 कर्मचारियों को लाभ मिलने की आशा है।

आवास समिति द्वारा आवंटन

655. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री माणिक राव होडल्या गावीत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों और मंत्रियों को आवास आवंटित करने और उनकी सदस्यता समाप्त होने के पश्चात आवास खाली कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार की शक्तियों को संसदीय आवास समिति को प्रत्यायोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रियों से सम्बद्ध स्टाफ को आवास आवंटित करने पर भी विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों तथा सांसदों को उपयुक्त मकान आवंटन प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के उपाय के रूप में इस मंत्रालय ने हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि आवास समिति केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों को मकान आवंटन का कार्य भी स्वयं ही देखे और इस प्रयोजनार्थ सम्पदा निदेशालय सांसद पूल में वास कमी यदि कोई हो, तो पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में मकान देगा।

(ग) और (घ) मंत्रियों से सम्बद्ध स्टाफ साधारण पूल से मकान लेने के पात्र हैं और सम्बन्धित प्रतीक्षा सूची में उनकी बारी के अनुसार पहले से ही गौर किया जाता है।

[हिन्दी]

पश्चिम रेलवे की रेल यात्री परामर्शदात्री समिति

656. **श्री काशीराम राणा:**
श्री महेश कनोडिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेल में एक जोनल रेल यात्री परामर्शदात्री समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम और पते क्या-क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति में पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सासंदों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नागार्जुन सागर में छात्रावास

657. **श्री राम कृष्ण कोंतारा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिला नालगोंडा में नागार्जुन सागर में युवकों के लिए एक छात्रावास का निर्माण करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने जिला नालगोंडा में नागार्जुन सागर में युवा छात्रावास के निर्माण हेतु प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मारूति उद्योग लिमिटेड

658. **डा० लाल बहादुर रावत :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान विभिन्न प्रकार की कितनी मारूति कारों का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त निर्यात से मारूति उद्योग लिमिटेड ने कितना लाभ अर्जित किया; और

(ग) 1996-97 के दौरान विभिन्न प्रकार की निर्मित कितनी कारों का निर्यात किया गया और इसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) वर्ष 1995-96 में किए गए निर्यात निम्न प्रकार से हैं :–

	मारूति 800	ओमनी	जिप्सी	एम-1000/ एस्टीम	एल्टो	योग
अप्रैल-फरवरी (वास्तविक)	10,540	655	1,393	89	8,657	21,334

(ख) यह जानकारी देना मारूति उद्योग लिमिटेड के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(ग) वर्ष 1996-97 में मारूति उद्योग लिमिटेड को लगभग 30,000 वाहन निर्यात करने की आशा है।

रिक्त पद

659. **श्री अरविंद त्रिवेदी :**
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल बोर्ड में अभी सहायक के कितने पद रिक्त हैं और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) इन पदों को भरने के लिए कौन सी प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों को सरकार द्वारा कब तक भरे जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) फिलहाल सहायक का कोई पद रिक्त नहीं है।

(ख) भर्ती नियमों के अनुसार सहायकों के संवर्ग में 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्टालों का आवंटन

660. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री श्रीकांत जेना :
श्रीमती गिरिजा देवी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए उपाय सुझाने

हेतु गठित की गई संसदीय उप-समिति के सुझावों तथा स्टालों के आवंटन हेतु खुली निविदा जारी करने की सामान्य प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर बहुत से स्टालों का आवंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कल्माडी) : (क) और (ख) संसद सदस्यों की परामर्श समिति की उप समिति ने चार महानगरों यथा मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ पर अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों पर खान-पान स्टालों के जरूरत के आधार पर आवंटन की सिफारिश की थी। उप समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने से अब तक उपर्युक्त नगरों के उपनगरीय स्टेशनों पर विशेष मामले के रूप में केवल सात स्टालों का आवंटन किया गया है जिनमें से अब तक कल्याण स्टेशन पर केवल एक स्टाल चालू हुआ है।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

661. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एन० डेनिस :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में पक्स्तिानी घुसपैठियों की घुसपैठ जारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो महीनों में जम्मू और कश्मीर में कितने उग्रवादी गिरफ्तार किये गये और मारे गये;

(ग) क्या उक्त अवधि में दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों द्वारा इन उग्रवादियों को सहायता प्रदान की जाती है और किन-किन उग्रवादी अड्डों को नष्ट कर दिया गया है, और उनके छिपने के स्थानों का पता लगाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में इस घुसपैठ को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) पाकिस्तान, नियंत्रण रेखा के साथ-साथ और सीमा पर जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश जारी रखे हुए है।

(ख) और (ग) 1.1.1996 से 15.2.1996 तक की अवधि के दौरान 362 उग्रवादी मारे गए और 1122 पकड़े गए। यह सच है कि पाकिस्तान, सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ करवा के जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन दे रहा है।

(घ) इस घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ-साथ और भीतरी क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, आतंकवादियों की गतिविधियों तथा घुसपैठ की संभावनाओं को रोकने के लिए गहन गश्त, सतत् दबाव और उग्रवादी विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। आतंकवादियों की गतिशीलता और गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सीमा के नजदीक के अनेक संवेदनशील गांवों और अन्यत्र, गांव सुरक्षा समितियां भी गठित की गयी है। जम्मू सैक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

विस्थापित व्यक्तियों की नियुक्ति

662. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यान्मार से विस्थापित भारतीय मूल के व्यक्तियों को सरकारी सेवा में रखने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) विद्यमान अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो म्यानमार से भारत में स्थाई रूप से बसने की इच्छा से वापिस आया है तो केन्द्रीय सेवा अथवा पद पर नियुक्ति का पात्र होगा बशर्ते कि उसको भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हो।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

663. **श्री एस० एम० साहबान बाशा :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 में दिल्ली राज्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) 1993-94, 1994-95 के दौरान और जनवरी, 1996 तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान सी०बी०आई० द्वारा कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान (31.1.96 तक) दिल्ली राज्य में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 208 मामले दर्ज़ किए।

(ख) समग्र केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1993	1994	1995	1996	(31.1.96 तक)
2570	2485	2572	1514	

(ग) समग्र केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जिन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए गए उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1993	1994	1995	1996	(31.1.96 तक)
636	684	634	26	

[हिन्दी]

माल की ढुलाई

664. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत खगड़िया तथा मंसी जंक्शन से सहरसा और सुपाल जिलों के लिये माल की ढुलाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लाइन पर माल का यातायात सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) मांग किए जाने पर सहरसा और सुपौल के लिए खगरिया में लदान किया जाता है। बहरहाल, सहरसा और सुपौल के लिए मानसी जं. से माल यातायात की कोई पेशकश नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालयों का कार्य निष्पादन

665. **श्री छेदी पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय के प्रबंधन तथा कार्यकरण की समीक्षा नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान तत्कालीन उप-मंत्री (शिक्षा एवं संस्कृति) कु० शैलजा की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति के जरिए केन्द्रीय विद्यालयों के प्रबंध और कार्यकरण की पुनरीक्षा की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परमाणु रिएक्टर

666. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे परमाणु रिएक्टरों और विद्युत संयंत्रों में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार परमाणु विद्युत संबंधी अपनी नीतियों की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों की जवाबदेही नियत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) परमाणु विद्युत संयंत्रों में होने वाली घटनाओं का वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की अन्तर्राष्ट्रीय नाभिकीय घटना पैमाना प्रणाली के अनुसार, घटनाओं की गंभीरता के आधार पर बढते हुए क्रम में 1 से 7 के बीच किया जाता है। स्तर 3 तक की और स्तर 3 की घटनाओं का वर्गीकरण घटनाओं के रूप में और स्तर 3 से ऊपर निर्धारित घटनाओं का वर्गीकरण दुर्घटनाओं के रूप में किया जाता है। भारत में अब तक किसी भी परमाणु विद्युत संयंत्र में कोई नाभिकीय दुर्घटना (मिसहैप) नहीं घटी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) कार्यरत परमाणु विद्युत संयंत्रों में होने वाले अधिकांश घटनाएं उपस्करों के ठीक से काम न करने की वजह से होती हैं। सभी घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाने के लिए उनका पूर्णरूप से विश्लेषण किया जाता है। मनुष्य की गलती की वजह से होने वाली घटनाओं को कम करने के लिए, प्रचालन कार्मिकों के ज्ञान और निपुणता को अद्यतन बनाने हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रबंधन के क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक कार्यशालाओं में प्रतिभागिता की व्यवस्था और क्रियान्वयन के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई के द्वारा जिम्मेदारी को भी बढ़ाया जा रहा है।

गुजरात में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

667. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर**
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलमार्ग का दोहरीकरण

668. **श्री चित्त बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** 28 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्वी रेलवे के अंतर्गत सियालदह सेक्शन में हावड़ा से बंगांव के बीच रेलमार्ग को दोहरा किये जाने के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बंगला देश को वस्तुओं का निर्यात करने के लिए इसे पेट्रापोल तक बनाने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आमान परिवर्तन

669. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में छोटी लाइन तथा मीटर लाइनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार की एकल आमान योजना में इनमें से किसी लाइन को शामिल किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) केरल में केवल कोल्लम-तेलकाशी लाइन के कोल्लम-अरियाकावू क्षेत्र में मीटर लाइन है। वहां कोई छोटी लाइन नहीं है।

(ख) और (ग) एक आमान परियोजना के अंतर्गत इस लाइन को कार्य योजना के पहले चरण में शामिल कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक स्कूल

670. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित किये गये सैनिक स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य में कोई नया सैनिक स्कूल नहीं खोला गया है।

[हिन्दी]

लड़कियों के लिए विज्ञान शिक्षा

671. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन ने विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के साथ की जा रही भेदभाव पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लड़कियों में विज्ञान शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) जी, हां। यूनेस्को ने विज्ञान तथा विज्ञान शिक्षा के क्षेत्रों में "लिंग भेदभाव" पर चिंता व्यक्त की है।

(ख) यूनेस्को द्वारा यह महसूस किया गया है कि लड़कियों तथा महिलाओं में अपने पुरूष सहयोगियों की तुलना में विज्ञान शिक्षा तक पहुंच में कमी व्यापक रूप से सांस्कृतिक तथा व्यावहारिक कारणों की वजह से है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 तथा 1986/1992 द्वारा प्रस्तावित अध्ययन योजनाओं के अनुसार कक्षा X तक सभी छात्र व छात्राओं के लिए विज्ञान और गणित अनिवार्य विषय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में किए गए संशोधनों के साथ) में उल्लेख किया गया है कि विशेष रूप से "विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों में लड़कियों के नामांकन पर बल देकर माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच" को बढ़ाया जाएगा।

भारत सरकार सभी स्कूलों में सुविधायें व कार्यक्रम सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है।

रेल लाइन का दोहरीकरण

672. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** 28 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 2211 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद, गजरौला और मुरादाबाद के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य किस चरण पर है; और

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) गाजियाबाद और मुरादाबाद (चरण-I) के बीच कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने का कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने के लिए 1995-96 के बजट में स्वीकृत किया गया था। लाइन के निर्माण के लिए बोलियां (प्रस्ताव) प्राप्त हो गई हैं और प्रक्रियाधीन है। निर्माण कार्य दिसंबर, 98 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

कापीराइट बोर्ड

673. **श्री मेज़र जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल में ही संशोधित किए गए कापीराइट अधिनियम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक कापीराइट बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कापीराइट बोर्ड के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त बोर्ड का गठन कितने समय में और किस प्रकार किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपा सिन्धु भोई) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कापीराईट बोर्ड को 4 जनवरी, 1996 से पांच वर्षों की अवधि के लिए पुनर्गठित किया है। बोर्ड का गठन निम्नलिखित के अनुसार है :–

1.	श्री एस० रमैया भारत सरकार के भूतपूर्व विधि सचिव।	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव-कापीराईट के प्रभारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग भारत सरकार।	सदस्य
3.	विधि, न्याय व कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) में संयुक्त सचिव व विधि सलाहकार जो शिक्षा विभाग, भारत सरकार के साथ सम्बद्ध है।	सदस्य
4.	विधि सचिव केरल सरकार।	सदस्य
5.	विधि सचिव कर्नाटक सरकार।	सदस्य
6.	विधि सचिव राजस्थान सरकार।	सदस्य
7.	विधि सचिव पश्चिम बंगाल सरकार।	सदस्य
8.	विधि सचिव मेघालय सरकार।	सदस्य
9.	विधि सचिव महाराष्ट्र सरकार।	सदस्य
10.	विधि सचिव उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
11.	विधि सचिव मध्य प्रदेश सरकार।	सदस्य

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उपरिपुल

674. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीलीभीत जंक्शन के परिचमी भाग रेलवे फाटक पर रेलगाड़ियों एवं सड़क की भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थान पर एक उपरिपुल के निर्माण को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उपरिपुल का निर्माण कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) अभी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार ने मौजूदा नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अंतिम प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है। राज्य सरकार से अंतिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही कार्रवाई की जायेगी।

[अनुवाद]

प्रशिक्षु निरीक्षक

675. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** 3 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 5878 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेल के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को दो वर्ष बीत जाने पर भी नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 जनवरी, 1995 को दिए गए निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि सीधी भर्ती के उम्मीदवार की अपेक्षा प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए प्रशिक्षु से अपना नाम किसी रोजगार कार्यालय के माध्यम से भिजवाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने मध्य रेलवे को इन प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) पश्चिम रेलवे पर ऐसे 18 उम्मीदवार और मध्य रेलवे पर शेष 15 उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) रेल मंत्रालय ने रेल भर्ती बोर्ड, बंबई द्वारा भर्ती किए गए 18 उम्मीदवारों को पश्चिम रेलवे को देने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू कश्मीर में अपहरण

676. **श्री एन० डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान अपहृत/बंधक बनाए गए विदेशियों सहित अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) 1995 के दौरान जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी संगठनों द्वारा 6 विदेशी नागरिकों सहित 548 व्यक्तियों का अपहरण किया गया। "अल-फरान" नामक उग्रवादी संगठनों द्वारा बंधक बनाए गए 6 विदेशी नागरिकों में से एक की हत्या अपहरणकर्ताओं द्वारा कर दी गई और एक उनके चंगुल से भाग निकला और बचा लिया गया। बचे हुए 4 विदेशी नागरिक, जुलाई, 1995 से अभी तक अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है।

(ख) राज्य में जाने वाले पर्यटकों को दूर-दराज के क्षेत्रों जो अपहरण जैसी उग्रवादी गतिविधियों के लिए सुभेद्य हो सकते हैं, की यात्रा करने के बारे में सावधान किया जा रहा है। इन संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता एवं गश्त बढ़ा दी गई है और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु सुरक्षा बलों की टुकडियां भी तैनात की गई हैं। आतंकवादियों की गतिविधियों की रोकथाम करने हेतु दबाव बनाये रखते हुए गहन आतंकवाद विरोधी अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

कोंकण रेल परियोजना

677. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बंबई तथा मंगलौर के बीच कोंकण रेलवे के उद्घाटन तिथि के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) क्या सरकार की देश में रेलवे प्रणाली को विकसित करने के लिए कोंकण रेल निगम के समान ही नियमों को स्थापित करने की योजना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

खरीद घोटाला

678. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को भारतीय रेल के विभिन्न मंडलों द्वारा सामग्रियों की खरीद के संबंध में घोटालों का पता चला है;

(ख) इसमें कितने अधिकारी दोषी पाये गये तथा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) जब्त की गयी सामग्रियों के मूल्य, गुणवत्ता तथा श्रेणियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन घोटालों में कितने अवकाश प्राप्त अधिकारी लिप्त हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) नियमित निवारक जांच तथा शिकायतों की जांच के दौरान सामग्री की खरीद में अनियमितताओं के कुछ मामले पकड़े गए हैं।

(ख) 80 राजपत्रित अधिकारियों की गलतियों के मामले ध्यान में आए थे, जिनमें से 17 के विरुद्ध कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 40 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई चल रही है। 22 अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है तथा एक सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी के संबंध में अभियोजन की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) सामान्यतः वास्तविक रूप से सामग्री जब्त नहीं की जाती है, वरन कमी/अधिकता के संबंध में संयुक्त ज्ञापन दर्ज किए जाते हैं। गुणवत्ता जांच के मामले में परीक्षण के उद्देश्य से लॉटों में से मात्र नमूने ही लिए जाते हैं।

(घ) कोई सेवानिवृत्त अधिकारी इसमें अंतर्ग्रस्त नहीं है। बहरहाल, 19 अधिकारी, जिन्हें सेवा काल के दौरान अंतर्ग्रस्त पाया गया था, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है।

आई०डी०एस०एम०टी० कार्यक्रम

679. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में आई०डी०एस०एम०टी० कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने नगरों को शामिल किया गया है; और

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान इसके अन्तर्गत कितने नगरों को शामिल किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन

विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) अभी तक आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के तहत कर्नाटक राज्य के 62 कस्बों को शामिल किया गया है।

(ख) आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के तहत शामिल करने हेतु कर्नाटक राज्य को 1995-97 के दो वर्षों के दौरान 5 कस्बे अनन्तिम रूप से नियमित किए गए हैं। 1995-96 वर्ष के दौरान शामिल करने हेतु कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में लेखा प्रणाली

680. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने आंतरिक लेखा प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इन विश्वविद्यालयों की सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कमियों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सांविधिक लेखा परिक्षा द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखा प्रणाली में किसी विशेष कमी का उल्लेख नहीं किया गया है।

मतदाता सूची

681. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारों चकमा लोगों का नाम, जो गत अनेक वर्षों से मिजोरम में रह रहे हैं, हाल ही में मतदाता सूची से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनका नाम पुनः सूचीबद्ध करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खड़गपुर से विशाखापत्तनम के बीच रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

682. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर से भुवनेश्वर होते हुए विशाखापत्तनम तक की रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब से शुरू हो जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम खंड को निम्नानुसार दो चरणों में विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

चरण-I – परादीप-तालचेर शाखा लाइन सहित खड़गपुर (नीमपुरा) - भुवनेश्वर/खोरधा रोड खंड :

इस खंड के विद्युतीकरण का कार्य अनुमोदित है। इसे बोल्ट योजना के अंतर्गत निष्पादित करने का प्रस्ताव है।

चरण-II – भुवनेश्वर/खोरधा रोड-विशाखापत्तनम :

इस खंड का विद्युतीकरण आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद शुरू किया जा सकता है।

लम्बित मामले

683. **श्री बी०एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों में तेजी से कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बंध में देश के उच्च न्यायालयों में तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय का अनुसरण करने के लिए दिशा-निदेश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) मामले के शीघ्र निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों को कोई निदेश जारी नहीं किया जा सकता। तथापि, न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और उन्हें यथासंभवशीघ्रता के साथ निपटाने के संबंध में उपाय और साधन का पता लगाने के लिए 4 दिसम्बर, 1993 को मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। सम्मेलन में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई सिफारिशें की गईं जिन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को पहले ही आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। मामलों के शीघ्र निपटाए जाने के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में न्याय प्रशासन को योजना मद बनाया गया है।

विवरण

न्यायालयों में लंबित मामले

उच्चतम न्यायालय (फाइलों की वास्तविक संख्या)

को यथा-विद्यमान	नियमित मामले	ग्रहण किए जाने वाले मामले
31.12.1993	21,245	17,166
31.12.1994	21,983	35,853
1.12.1995	21,357	15,811

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामले		
	1993	1994	1995
1	2	3	4
1. इलाहाबाद	735326	779313	788448 **
2. आंध्र प्रदेश	119813	134560	145803 **
3. मुंबई	190392	201476	217111
4. कलकत्ता	235503	241888	247392 #
5. दिल्ली	138482	146613	148878 **
6. गुवाहाटी	24742	29158	29397 *
7. गुजरात	96700	96318	91953 *
8. हिमाचल प्रदेश	20044	16996	16580 *
9. जम्मू-कश्मीर	74162	90507	91872 #
10. कर्नाटक	139274	151566	153929 #
11. केरल	142221	169530	190458 #
12. मध्य प्रदेश	85448	84560	67759 *
13. मद्रास	313331	351104	329113 #
14. उड़ीसा	42261	47970	51406 #
15. पटना	86231	96986	93633 **
16. पंजाब और हरियाणा	124105	145180	144028 *
17. राजस्थान	82404	92081	93401 *
18. सिक्किम	77	49	73 **
	26,50,516	28,75,855	29,01,234

* 31.3.95 को यथाविद्यमान

** 30.6.95 को यथाविद्यमान

\# 30.9.95 को यथाविद्यमान

सौर ऊर्जा

684. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सौर कुकर और सौर विद्युत को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार प्रचार अभियानों के आयोजन, बिक्री केन्द्रों की स्थापना और प्रशिक्षण, प्रदर्शन, कुकिंग प्रतियोगिताओं आदि के आयोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विनिर्माताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सौर कुकरों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।

सौर लालटेनों, सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों और ग्राम स्तर के लघु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पात्रता श्रेणी वाले लाभार्थियों की संख्या में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है।

सौर कुकरों और सौर रोशनी प्रणालियों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त रखा गया है। वाणिज्यिक उपयोगकर्त्ता उदार शर्तों पर ऋण और 100% ह्रास लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विनिर्मातागण रियायती सीमा शुल्क की दरों पर प्रकाशवोल्टीय सामग्रियां और संघटक आयात कर सकते हैं।

(ख) राज्यों द्वारा, उन्हें मंजूर किए गए, सौर रोशनी और सौर कुकर कार्यक्रम सक्रियता से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए/बेचे गए सौर कुकरों और सौर रोशनी प्रणालियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों (अर्थात् 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95) के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियां/सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की राज्यवार स्थापना तथा सौर कुकरों की बिक्री

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसपीवी रोशनी प्रणाली (सं०)	एसपीवी विद्युत संयंत्र (कि०वा०)	सौर कुकर (संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1812	—	7319
2.	अरूणाचल प्रदेश	1960	5.9	—

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसपीवी रोशनी प्रणाली (सं०)	एसपीवी विद्युत संयंत्र (कि०वा०)	सौर कुकर (संख्या)
1	2	3	4	5
3.	असम	651	–	80
4.	बिहार	1031	–	730
5.	गोवा	–	–	81
6.	गुजरात	1026	–	5935
7.	हरियाणा	1987	4.2	6079
8.	हिमाचल प्रदेश	2854	–	10122
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2067	–	86
10.	कर्नाटक	21	–	–
11.	केरल	5167	4.7	39
12.	मध्य प्रदेश	1935	9.0	65557
13.	महाराष्ट्र	1399	–	10354
14.	मणिपुर	–	–	–
15.	मेघालय	1420	22.7	100
16.	मिजोरम	1902	–	48
17.	नागालैंड	–	–	–
18.	उड़ीसा	118	4.0	1056
19.	पंजाब	225	2.0	3215
20.	राजस्थान	376	75.0	7180
21.	सिक्किम	125	–	–
22.	तमिलनाडु	270	26.0	44
23.	त्रिपुरा	180	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	23350	276.0	7637
25.	पश्चिम बंगाल	1299	12.0	759
26.	अडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	95	95.0	68
27.	चंडीगढ़	–	–	790
28.	दादर एवं नागर हवेली	–	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–	–
30.	दिल्ली	1923	–	7200
31.	लक्षद्वीप	340	20.0	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–

[हिन्दी]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

685. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने गोविन्दपुरम के आवंटियों को सभी भूखण्डों का कब्जा दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा पीड़ित आवंटियों को ब्याज का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कब्जा नहीं देने के निम्नलिखित कारण हैं :–

(i) उच्च न्यायालयों/स्थानीय न्यायालयों के स्थगन आदेश की वजह से निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण कुछ भूखण्डों का पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है; और

(ii) कुछ आवंटी कब्जा लेने नहीं आये।

तथापि, जिन मामलों में आबंटी कब्जा लेने के लिए आये उन्हें इनका कब्जा सौंप दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को स्थगन आदेश खारिज करवाने तथा आवंटियों को भूखण्डों को कब्जा सौपने बाबत कदम उठाने का निर्देश दिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) योजना के निबंधन और शर्तों में ब्याज के भुगतान का प्रावधान नहीं है।

(च) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्थगन आदेश खारिज करवाने के लिए न्यायालयों में अपील करने की प्रक्रिया में है ताकि भूखण्डों का कब्जा शीघ्र सौंपा जा सके।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

686. **कुमारी उमा शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कितने शिक्षकों को नियुक्त किये जाने का लक्ष्य है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) पांचवा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण जो कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड का आधार है, के अनुसार मध्य प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत सभी एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए 22163 शिक्षकों को नियुक्त किया जाना था।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्वीकृत किए गए सभी 19574 शिक्षक पदों को भर लिया गया है। राज्य सरकार से शेष पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

रेकों का आवंटन

687. **श्रीमती गिरिजा देवी**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, खाद्यान्नों के परिवहन हेतु रेकों के आवंटन में सरकारी खरीद करने वाली भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों से सांठ-गांठ कर भारतीय रेल के उच्चाधिकारियों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने तथ्यों का पता लगाने हेतु आरोपों की छान-बीन की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

व्यायाम शिक्षक

688. **श्री सूरज मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक स्तर पर खेलों की शिक्षा उपयुक्त तकनीकी शिक्षकों द्वारा नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि देश में अक्षम शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षक हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या नवघोषित मानित विश्वविद्यालय, लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शिक्षा कालेज, ग्वालियर में अनेक खेल-कूद विज्ञान विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) जहां तक विभाग द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में शिक्षण तथा प्रशिक्षण का संबंध है, कार्यक्रम तकनीकी व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तथापि, खेल संघों और निकायों में कुछ स्तरों पर तकनीकी कार्मिक उपलब्ध सुनिश्चित कराना हमेशा संभव नहीं होता है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी तौर पर चलाई जा रही कुछ संस्थाएं शारीरिक शिक्षा के सुयोग्य प्रशिक्षक तैयार करने में असमर्थ रही हैं। देश में शारीरिक शिक्षा संस्थाओं की सुव्यवस्थित वृद्धि पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए एक अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में कुछ खेल विज्ञानों में स्नातकोत्तर उपाधि शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

लम्बित मामले

689. **श्री के० एम० मैथ्यू**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक हित में दायर मुकदमों पर सुनवाई करने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय के कार्यभार में व्यापक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या बढ़े हुए कार्यभार से निपटने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय में मामलों का संस्थापन निम्नलिखित रूप में था :–

वर्ष	ग्रहण किए जाने वाले मामले	नियमित मामले
1993	18,778	2,870
1994	29,271	12,775
1995 (1.12.1995 तक)	33,892	15,338

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान पद संख्या 26 है जिसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भी हैं। इस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, न्यायाधीशों की पद संख्या में संस्थित किए गए तथा लम्बित मामलों की संख्या और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वृद्धि की गई है। सरकार ने स्थायी/अपर न्यायाधीशों की स्वीकृति पद संख्या 550 से अधिक स्थायी/अपर न्यायाधीशों के 62 पदों का सृजन करने का विनिश्चय किया है।

''कन्सोल सुप्रिंटेंडेंट'' के पद

690. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे में ''कन्सोल सुप्रिंटेंडेंट'' के पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा इन पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आमान परिवर्तन

691. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा-बांदीकुई रेल लाईन को बड़ी लाईन में कब तक परिवर्तित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ख) जयपुर से मद्रास, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए रेल सेवा कब तक आरम्भ की जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) मार्च, 1997 तक।

(ख) परिचालनिक कठिनाईयों और संसाधनों की तंगी के कारण जयपुर से मद्रास, हरिद्वार, ऋषिकेश तक गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खेल के लिये समिति

692. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खिलाड़ियों में अनुशासन बनाये रखने के लिए किसी समिति के गठन का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीज़न टिकटधारक

693. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीज़न टिकटधारक तथा कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को दक्षिण रेलवे को छोड़कर सभी रेलों में दिन के समय विशेषकर सुबह और शाम को व्यस्त समय में स्लीपर क्लास में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुविधा को दक्षिण रेलवे विशेषकर केरल में भी प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) कम दूरी के यात्रियों तथा दिन के समय यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को, जहां कहीं यह व्यावहारिक है, ऐसे यात्रियों के उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट खडों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों को अनारक्षित दूसरी श्रेणी के सवारी डिब्बों के रूप में घोषित करने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं।

(ख) केरल राज्य सहित दक्षिण रेलवे पर कतिपय मेल/एक्सप्रेस तथा पैसेंजर गाड़ियों में चल रहे शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों को विनिर्दिष्ट स्टेशन जोड़ियों के बीच दूसरी श्रेणी के अनआरक्षित सवारी डिब्बों के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा कम दूरी के यात्रियों को कोयम्बटूर-पालक्कोड-मंगलोर तथा कोयम्बटूर-पालक्कोड-कन्याकुमारी (अल्लेप्पी और कोट्टायम के रास्ते भी) खंडों पर कतिपय गाड़ियों की शयनयान श्रेणी में यात्रा करने की भी अनुमति दी गई

है। बहरहाल, सीजन टिकट धारकों को इस सुविधा की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वायत्त संस्थान/महाविद्यालय

694. **श्री सी० श्रीनिवासन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध स्वशासी संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है/कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण यदि पहले कराया जा चुका है तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उस पर क्या अनुवर्ती कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) वि० अनुदान आयोग ने स्वायत्तशासी कालेजों की योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, शिक्षा विभाग के अनुरोध पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपने द्वारा तैयार किये पाठ्यचर्या सहित स्वायत्तशासी कालेजों को संचालित करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और मार्च, 1991 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि इस योजना के वांछित परिणाम निकले हैं और इसे पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 जून, 1991 को आयोजित अपनी बैठक में समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि कालेजों के प्रधानाचार्यों में स्वायत्ता की संकल्पना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और स्वायत्ता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु आयोग गैर-स्वायत्तशासी कालेजों के लिए कार्य-शालाओं का आयोजन करेगा।

चांदमारी क्षेत्र

695. **कुमारी फिडा तोफनो :**
श्री के० एम० मैथ्यू :
श्री रामप्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया क्षेत्र को चांदमारी क्षेत्र बनाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भू-विस्थापितों को क्या पुनर्वास पैकेज देने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या पूर्व में बिहार के चम्पारन जिले में चांदमारी क्षेत्र स्थापित करने पर विचार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस जिले में यह क्षेत्र स्थापित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बिहार में स्थानीय सेना प्राधिकारियों ने फील्ड चांदमारी क्षेत्र के लिए बिहार सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें गया क्षेत्र भी आता है। तथापि, बिहार सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। चूंकि अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस भूमि को अर्जित करने के लिए सिद्धांत रूप में भी निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए कोई पुनर्वास पैकेज नहीं बनाया जा सकता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सैनिकों को पेंशन

696. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सैनिकों को सरकार द्वारा कोई पेंशन अथवा वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों की समस्या संबंधी समिति ने द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सैनिकों को ऐसी कोई राहत देने की सिफारिश की है;

(ग) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1994 में इन सिफारिशों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का वचन किया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामला इस समय किस स्थिति में है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में युद्ध के जारी रहने तक दो से छह वर्ष की अल्प अवधि के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती किया गया था। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया था। उन्हें उनके द्वारा की गई सेवा के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति के रूप में देय युद्ध/सेवा उपदान अदा किया गया था। चूंकि उन्होंने पेंशन के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हक सेवा नहीं की थी इसलिए वे सेवा पेंशन पाने के पात्र नहीं थे।

दूसरे विश्व युद्ध के सेनानियों की उन्हें पेंशन दिए जाने से संबंधित मांग पर भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं से संबंधित समिति ने विचार किया था। समिति ने इस मांग को स्वीकार्य नहीं पाया था क्योंकि सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी किए बिना पेंशन नहीं दी जा सकती। तथापि, समिति ने यह सिफारिश की थी कि दूसरे विश्व युद्ध के सेनानियों को चल रही किसी कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत कुछ वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

दिसम्बर, 1994 में यह बताया गया था कि समिति की सिफारिश सरकार

के विचाराधीन है। उक्त सिफारिश पर विचार करने के बाद उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

वरिष्ठ/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

697. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में वरिष्ठ/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति हेतु 1993 बैच के लिए निर्धारित योग्यता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयोग द्वारा 1993 बैच के लिए वरिष्ठ/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पदों पर नियुक्त के लिए कतिपय ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश की गई जिनके पास अपेक्षित योग्यताएं नहीं थीं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वरिष्ठ/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक परीक्षा, 1993 के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिन्दी में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी मुख्य विषय के रूप में (जिसमें अनिवार्य और वैकल्पिक शब्द शामिल हैं) रही हो।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में मास्टर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी तथा हिन्दी (जिसमें अनिवार्य और वैकल्पिक शब्द शामिल हैं) रही हो।

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

मास्टर डिग्री अंग्रेजी/हिन्दी विषय के साथ तथा स्नातक स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के साथ

या

स्नातक डिग्री हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ (जिसमें अनिवार्य तथा वैकल्पिक शब्द शामिल हैं)।

[हिन्दी]

शीघ्र आवंटन

698. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** 21 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2600 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न तेल कम्पनियों को भूमि के शीघ्र आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्रधिकरण को लिखा है;

(ख) क्या इसमें "पहले आओ पहले पाओ" का मानदण्ड अपनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो शेष आवेदन पत्र कब तक निपटा दिए जाएंगे;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या नियम अपनाए जा रहे हैं; और

(ङ) 1995-96 के दौरान अब तक कितने आवंटन किए गए हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) इस मामले पर दिल्ली विकास प्रधिकरण के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

(ख) से (घ) विभिन्न तेल कम्पनियों के लिए भूमि आवंटन हेतु "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त का अनुपालन किया जा रहा है। आवंटन, स्थलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है इसलिए कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

(ङ) एक।

उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

699. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों में खर्च की गयी औसत वार्षिक धनराशि कितनी है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु कुछ स्वैच्छिक संगठनों को नामित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1992 के दौरान नामित किए गए ऐसे संगठनों की संख्या कितनी है तथा इन संगठनों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सहायता की धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए क्रमशः 685.00, 2212.88 तथा 2344.43 लाख रु० की निधियां प्रदान की गई हैं।

(ग) कोई स्वैच्छिक संगठन नामित नहीं किए गए हैं। तथापि राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

(घ) दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान किसी स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ङ) और (च) राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है और सहायता-अनुदान समिति द्वारा भलीभांति विचार करने के पश्चात ही धनराशि जारी करने का निर्णय लिया जाता है।

[अनुवाद]

यात्री बीमा योजना

700. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री बीमा योजना के शुरू किए जाने के समय से उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार यात्री बीमा के लिए वार्षिक प्रीमियम के रूप में रेलवे द्वारा यूनाइटेड इन्श्योरेंस कम्पनी को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या योजना इस वर्ष जुलाई तक वैध है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के विस्तार के लिए भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) यात्री बीमा योजना हेतु 1.8.1994 से 31.7.1996 तक की अवधि के लिए मै० यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कम्पनी को प्रीमियम के रूप में 10.64 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) योजना का विस्तार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया गया है।

यशपाल समिति

701. **डा० वसंत पवार**
श्री विजय एन० पाटील

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यशपाल समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए सचिवालय वाले एक निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसका सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में स्थित होगा,

(ख) किन-किन राज्यों ने इस सिफारिशों को क्रियान्वित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) इस समिति पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) जी, हां।

(ख) कन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 2.3.94 को आयोजित 50वीं बैठक में अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों ने यशपाल समिति की सिफारिशों पर मोटे तौर पर सहमति व्यक्त की। यशपाल समिति की रिपोर्ट राज्य/संघ राज्य सरकारों को विचार तथा कार्यान्वयन हेतु भेज दी गई है। मानिटरिंग समिति ने कार्यान्वयन की मानिटरिंग के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क बना रखा है।

(ग) मानिटरिंग समिति की अब तक हुई दो बैठकों पर केवल 1075/- रुपए की राशि व्यय हुई है। समिति ने यशपाल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपनी कार्यनीति को अंतिम रूप दे दिया है।

पान की टोकरियों की बुकिंग

702. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन पर मेचेदा और पासकुड़ा रेलवे स्टेशनों पर पान की टोकरियों की बुकिंग में होने वाली समस्याओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) इन स्टेशनों पर पान की टोकरियों की बुकिंग में कोई विशेष समस्या नहीं है। नामित गाड़ियों में निर्धारित पर्याप्त जगह में इस यातायात को क्लीयर किया जाता है।

[हिन्दी]

ललित कला अकादमी

703. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ललित अकादमी में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है/करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इसमें दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) ललित कला अकादमी के कार्यकरण के विरुद्ध कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं, जिनमें भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का आरोप है। इनकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

704. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के अर्ह व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) ये व्याख्याताएं कब से इसके पात्र हैं;

(ग) सरकार का शिक्षा विभाग और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) उन्हें कब तक वरिष्ठ वेतनमान दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिन्धु भोई) : (क) से (घ) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन के लिए, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के मामलों पर विचार करने के लिए गठित की गई समिति की एक बैठक हुई है और समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों के सम्बन्ध-में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इस मामले पर फिर से विचार समिति की अगली बैठक में किया जायेगा और समिति की सिफारिशें शीघ्र ही लागू कर दी जायेंगी।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन

705. **श्री राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोगबनी रेलवे स्टेशन नेपाल सीमा पर स्थित है;

(ख) क्या यह स्टेशन बिहार और पश्चिम बंगाल की भी सीमा रेखा है;

(ग) क्या जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन घोषित किए जाने की सभी शर्तों को पूरा करता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का जोगबनी रेलवे स्टेशन को एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) भारतीय रेलों पर अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के रूप में कोई नामवली नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलना

706. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कयनाड जिले में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जिला समाहर्ता ने संगठन को एक संसद सदस्य द्वारा केन्द्रीय विद्यालय के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से निधियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव से अवगत कराया है। यद्यपि प्रस्ताव में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में नहीं बताया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्थल का अध्ययन करने के बाद सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं।

नवोदय विद्यालय के सम्बन्ध में, जिला समाहर्ता से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर समिति ने स्थायी आधार पर निःशुल्क भूमि आवंटित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय

707. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में भारतीय रेल की शुरूआत से इसके विकास को प्रदर्शित करने के संबंध में हाल ही में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है और इन नवीकरण/सुधारों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन नवीकरण/सुधारों के बावजूद संग्रहालय में अभी खामियां हैं जैसे भारतीय रेल के 150 वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने हेतु समुचित स्थान का अभाव, प्रदर्शन हेतु पुराने भाप के इंजनों का न होना, पैलेस ऑन व्हील्स को छोड़कर ड्राइवरों, गार्डों और परिचरों की पृथक-पृथक काल की विभिन्न वर्दियों का न होना, आदि;

(ग) यदि हां, तो उन खामियों का ब्यौरा क्या है जो सरकार की जानकारी में आई हैं;

(घ) इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार देश के अन्य भागों में भी ऐसे संग्रहालयों का निर्माण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) संग्रहालय में हाल ही में क्रमशः 1.17 लाख रुपये तथा 1.95 लाख रुपये की लागत से 14 पूर्णतः सुसज्जित पुतले तथा एक इंटरऐक्टिव मल्टीमीडिया किओस्क की व्यवस्था की गई है।

(ख) संग्रहालय भारतीय रेलों के 150 वर्षों के इतिहास को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। उपलब्ध कराया गया स्थान पर्याप्त है और संग्रहालय में 1855 से पहले की तारीख के पुराने भाप इंजनों का बहुत व्यापक संग्रह है। बहरहाल, रेल कर्मचारियों की वर्दियां प्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं है।

(ग) कोई कमियां नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) दक्षिण क्षेत्र के लिए मद्रास में पूर्वी क्षेत्र के लिए वाराणसी में तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए पुणे में क्षेत्रीय रेल संग्रहालय स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

डीज़ल शेड

708. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर जंक्शन पर डीज़ल शेड के निर्माण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समस्तीपुर में एक मीटर लाइन का डीज़ल शैड स्थापित करने का प्रस्ताव था जो बाद में आमान परिवर्तन के कारण बदले हुए परिदृश्य को देखते हुए छोड़ दिया गया था।

दिल्ली से अमृतसर के लिए रेलगाड़ी

709. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या जाखल-धुरी के रास्ते दिल्ली से अमृतसर के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भी रेलगाड़ी का मार्ग बदलकर उसे जाखल-धुरी के रास्ते चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जाचं की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

अन्धेरी पर ठहराव

710. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की मुंबई सेन्ट्रल/बान्द्रा टर्मिनस जाने वाली गाड़ियों का ठहराव बोरीवली, दादर, बान्द्रा टर्मिनस पर कर दिया है;

(ख) क्या उपरोक्त गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों का ठहराव अन्धेरी स्टेशन पर भी किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एन०बी०सी०सी०

711. **श्री बलराज पासी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, नई दिल्ली संबंधित अधिकारियों के पास भविष्य निधि का अंशदान जमा करवा दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने नवम्बर, 1995 में अधिसूचित पेंशन योजना के प्रावधानों को स्वीकार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम अपने कर्मचारियों को समय से वेतन दे रहा है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) अपने कर्मचारियों को समय से वेतन देना सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन

विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि० (एनबीसीसी) पूरे भारत में लगभग 130 से अधिक स्थानों पर सिविल इन्जीनियरिंग परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगा है। मजदूरी का संवितरण सामान्यतः नियमित रूप से परियोजना स्थलों से किया जाता है, यद्यपि कभी-कभी ग्राहकों से धन की बिलम्ब से प्राप्ति तथा निगम के सामने आ रही भुगतान समस्याओं के कारण कामगारों को मजदूरी भुगतान में बिलम्ब हुआ है। कामगारों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से एन.बी.सी.सी. द्वारा अपनी भुगतान क्षमता में सुधार करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

जम्मू कश्मीर पुलिस का असहयोग

712. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस पर आतंकवादियों के बारे में किसी राज्य को सूचना देने के संबंध में असहयोग करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गोल्डन ट्राइएन्गल एक्सप्रेस

713. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली-आगरा-जयपुर-दिल्ली रेलमार्ग को जोड़ने वाली एक गोल्डन ट्राइएन्गल एक्सप्रेस शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) दिल्ली-आगरा-जयपुर-दिल्ली की यात्रा के लिए एक पर्यटक गाड़ी चलाने के लिए एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स तथा भारतीय उद्योग पर पर्यटन संबंधी विशेषज्ञ समिति से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

विदेशों द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक परियोजनाएं

714. **श्री रवि राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक विदेशी एजेन्सियां भारत में शैक्षणिक परियोजनाओं हेतु धन उपलब्ध कराती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ढांचागत विकास, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा पाठन सामग्रियों के उत्पादन हेतु कितनी प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे जूनियर कॉलेज का दर्जा बढ़ाया जाना

715. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडूडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा में कितने रेलवे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) रेलवे जूनियर कॉलेज का दर्जा बढ़ाकर इसे डिग्री कॉलेज बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रेल प्रशासन का विचार आगामी शैक्षिक वर्ष से डिग्री कक्षाएं आरम्भ करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 10,300 (लगभग)।

(ख) और (ग) यद्यपि, विजयवाड़ा में एक डिग्री कालेज शुरू करने की मांग है, परन्तु अन्तर्निहित प्रशासनिक कठिनाइयों एवं वित्तीय तंगियों के कारण रेलें सामान्यतः उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती हैं, विशेषकर जब शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लोगों की विभिन्न कोटियों की शैक्षणिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विजयवाड़ा शहर में कई डिग्री कालेज उपलब्ध हैं।

(घ) जी नहीं।

[हिन्दी]

सिविल सेवा परीक्षा

716. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं के माध्यम से वर्ष 1990 से 1995 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की गयी सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का वर्ष-वार प्रतिशत कितना है; और

(ख) वर्ष 1990–95 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की गयी परीक्षा के भारतीय भाषाओं के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :–

वर्ष	उम्मीदवारों की प्रतिशतता	
	सिविल सेवा परीक्षा	कुल परीक्षाएं*
1990	7.87	8.38
1991	6.54	6.46
1992	12.08	11.14
1993	8.74	8.36
1994	11.80	11.46
1995	परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं।	

* इस कॉलम में उन परीक्षाओं के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं जिनमें भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध है।

[अनुवाद]

पेय जल

717. **श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरों में बढ़ती आबादी के लिए पेय पल की पर्याप्त आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लोगों को जल की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) से (ग) शहरी जल आपूर्ति राज्य का विषय है। इसलिए योजनाओं को बनाने उनके निष्पादित करने तथा उनके लिए धनराशि का प्रबंध करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए 20,000 (1991 जनगणना के अनुसार) से कम आबादी वाले कस्बों के लिए केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्लू एस पी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

आठवीं योजना में शहरी जल आपूर्ति और सफाई के लिए 5982.28 करोड़ रुपये का परिव्यय है। (आन्तरिक तथा बाह्य संसाधन आई ई बी आर सहित) जिसमें 488.00 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजना तथा 5494.28 करोड़ रुपये राज्य/संघ शासित योजनाओं के तहत है। इसकी तुलना में पहले चार वर्षों के दौरान बताया गया अनुमानित व्यय राज्य/संघ योजनाओं के तहत 4954.84 करोड़ रुपये और केन्द्रीय योजना के तहत 221.70 करोड़ रुपये है।

विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 31.3.93 की स्थिति के अनुसार 84.33% आबादी को जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

सेना अस्पताल

718. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सैनिक अस्पताल किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या इन अस्पतालों में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं से युक्त नए सैनिक अस्पतालों को स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके कब तक स्थापित होने की संभावना है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) महाराष्ट्र में सैन्य अस्पताल पुणे, किरकी, अहमदनगर, औरंगाबाद, देवलाली, काम्पटी, पुलगांव, खड़गवासला, बम्बई और लोनवाला में स्थित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र राज्य में इस समय कोई नया सैन्य अस्पताल खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

मेगा सिटी

719. **श्री काशीराम राणा** :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अहमदाबाद को मेगा सिटी घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यह घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या योजना आयोग द्वारा वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर मुम्बई, कलकता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और दिल्ली को मेगा सिटी घोषित कर दिया गया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) जी, हां। यह अनुरोध, अहमदाबाद नगर को मेगा नगरों में अवस्थापना विकास के लिये केन्द्र प्रवर्तित स्कीम में शामिल करने के प्रसंग में किया गया था।

(ख) से (घ) योजना आयोग अथवा यह मंत्रालय किसी नगर को 'मेगा नगर' घोषित नहीं करते। तथापि, मेगा नगरों में अवस्थापना विकास के लिये केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के प्रयोजनार्थ 1991 की जनगणनानुसार 4 मिलियन अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर बस्ती समूहों को मेगा नगर माना गया है । उक्त स्कीम बम्बई, कलकता, मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर के लिये लागू है । यह स्कीम दिल्ली के लिए लागू नहीं होती। 1991 की जनगणनानुसार अहमदाबाद की जनसंख्या 3.31 मिलियन है। चूंकि अहमदाबाद नगर बस्ती समूह 1991 की जनगणनानुसार 4 मिलियन जनसंख्या मानक को पूरा नहीं करता, अतः यह स्कीम इस स्तर पर अहमदाबाद के लिये लागू नहीं होती।

एक अनिवार्य विषय के रूप

720. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में दसवीं कक्षा में कृषि को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार बागबानी और पशुपालन जैसे विषयों को विद्यालयों में रोजगारोन्मुख विषयों के रूप में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यचर्या में कृषि को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, कृषि पर्यावरणीय अध्ययन, कार्य अनुभव तथा जीव-विज्ञान के माध्यम से किसी न किसी रूप में स्कूलों में पढ़ाई जा रही है।

(ख) से (घ) जमा दो स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बागबानी, फसल उत्पादन, भेढ़ तथा बकरी पालन आदि जैसे कृषि से सम्बद्ध अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम देश के चुनिंदा माध्यमिक स्कूलों में शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली रिज के चारों ओर बाड़

721. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली रिज प्रबन्धन बोर्ड को सम्पूर्ण रिज क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बाद अब तक कुल कितने क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाई गई है;

(ग) क्या अनेक गैर-सरकारी संगठन अभी भी रिज क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रिज क्षेत्र का अतिक्रमण करने वालों को हटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार लगभग 2275 मीटर लम्बी कांटेदार तार की बाड़ लगा दी गयी है। विभिन्न भूमि प्रबंन्ध एजेंसियों द्वारा बाड़ लगाने का कार्य प्रगति पर है तथा कार्य पूरा हो जाने पर ही बाड़ लगाये गये क्षेत्र का पता लग सकेगा।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय के पश्चात् कोई नया अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(ङ) रिज से अतिक्रमण हटाने और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और अतिक्रमणों से रिज को बचाने के लिए विभिन्न भूमि प्रबंध एजेंसियों द्वारा पहले ही कदम उठाये गये हैं और उनके द्वारा इस बाबत प्रगति की लगातार देखरेख की जा रही है।

आमान परिवर्तन

722. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आमान परिवर्तन से संबंधित सभी कार्य न्यूनतम निविदा के आधार पर दिए गए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं बहरहाल,

इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए सभी निविदाएं प्रदान की गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण महिलाएं

723. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

श्री हरिन पाठक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण महिलाओं की समस्या पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने हेतु कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तर का अध्ययन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ब) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस गम्भीर राष्ट्रीय समस्या को दूर करने में स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सतत् प्रयास कर रही है। ग्रामीण महिलाओं को मुख्य लक्ष्य ग्रुप मानकर विभिन्न निर्धनता उन्मूलक स्कीमें, जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम; जवाहर रोजगार योजना; इन्दिरा महिला योजना; महिला समृद्धि योजना; ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास; महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार सहायता कार्यक्रम; राष्ट्रीय महिला कोष, स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, आदि चलाई जा रही हैं। आवास तथा आश्रय; शिक्षात्मक अवसंरचना; स्वास्थ्य देखभाल पद्धति; बाल देखभाल जैसी समर्थन सेवाएं; पेयजल तथा साफ-सफाई के प्रावधान संबंधी स्कीमें, पर्यावरण संरक्षण तथा विशेष रूप से वंचित ग्रामीण महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि स्कीमें ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं।

सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार तथा बाह्य ऐजेन्सियों द्वारा निरन्तर अनुसंधान; आयोजना; प्रवोधन तथा मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) कई सरकारी स्कीमों में स्वैच्छिक संगठनों को कार्यान्वयन ऐजेन्सियों तथा सहायकों के रूप में शामिल कर लिया गया है। निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे स्वयं पहल करके महिलाओं तथा पुरूषों दोनों के लाभार्थ ग्रामीण विकास परियोजनाएं चलाएं तथा इस प्रयोजनार्थ स्थापित विभिन्न निधियों में अंशदान भी दें।

[अनुवाद]

सरकारी आवासों का आवंटन

724. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें सुरक्षा कारणों से सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं;

(ख) क्या 12 दिसम्बर, 1995 को सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस बात से सहमति व्यक्त की है कि इन व्यक्तियों को इन आवासों से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) सुरक्षा कारणों से सरकारी आवासों में रह रहे लोगों को स्थानान्तरित करने का कार्य उच्चतम न्यायालय के 12.12.95 और 29.1.96 के आदेशों के आधार पर सरकार द्वारा आरम्भ कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सुरक्षा कारणों से लोगों को आवंटित आवास

क्र० सं०	नाम और पद	बंगला/फ्लैट सं०
	सर्वश्री/श्री	
1.	एच०के०एल० भगत, पूर्व सांसद	34, पृथ्वी राज रोड।
2.	के० पी० एस० गिल, पूर्व महानिदेशक, पंजाब पुलिस।	15, लोधी एस्टेट।
3.	एम०एस० बिट्टा, अध्यक्ष युवा कांग्रेस	5, तुगलक लेन।
4.	श्रीमती अकबर जहाँ बेगम, पूर्व संसद सदस्य	9, सफदर जंग लेन।
5.	सुबोध कान्त सहाय, पूर्व मंत्री	सी-1/2, लोधी गार्डन।
6.	एस०एस० बरनाला, पूर्व राज्यपाल, तमिलनाडु	सी-1/18, हुमायूं रोड।
7.	जी०सी० सक्सेना, पूर्व राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर	68, लोधी एस्टेट।
8.	सेवानिवृत्त न्यायाधीश, महेश चन्द्रा,	एबी-10, पुराना किला रोड।
9.	श्रीमती गुरूबचन कौर	16, विन्डसर प्लेस।
10.	भीष्म नारायण सिंह, पूर्व राज्यपाल,	सी-1/1, पंडारा पार्क।

क्र० सं०	नाम और पद	बंगला/फ्लैट सं०
	सर्वश्री/श्री	
11.	के०के० तिवारी	सी1/24, पंडारा पार्क।
12.	सेवानिवृत्त जनरल, ओ०पी० मलहोत्रा	सी-1/12, लोधी गार्डन। सोम बिहार में उनके निजी मकान के बदले आवंटन किया गया।
13.	ओ०एल० श्रीवास्तव, राज्यपाल नागालैण्ड	सी-2/19, बापा नगर।
14.	महंत सेवा दास सिंह	21, महादेव रोड़।
15.	एस०एस० शर्मा, भूतपूर्व डायरेक्टर, दूरदर्शन	99, काका नगर। मुनिरका में उनके निजी मकान के बदले आवंटन किया गया।
16.	प्रो० भीम सिंह, अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर, पेंथर पार्टी	4, वी०पी० हाउस।
17.	श्रीमती अमरजीत कौर, पत्नी स्व० भाई समिन्दर सिंह	बी-2, (एम एस) बी० के० एस० मार्ग।

[हिन्दी]

उद्योगों में महिलाओं की हिस्सेदारी

725. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए अलग से एक कोष बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब से लागू कर दिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) यद्यपि महिलाओं के लिए अलग से कोष बनाने की कोई योजना नहीं है, फिर भी एस०आई०डी०बी०आई० (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक), एन०एस०आई०सी० (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम), एफ०आई०सी०सी०आई० (भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ) जैसे केन्द्रीय/राज्य सरकारी संस्थानों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा रियासत पर वित्त प्रदान करने, प्रशिक्षण देने, प्रबंध और विपणन सहायता के जरिये उद्योग में महिला उद्यमियों की सहायता करने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। यू०एन०डी०पी० और आई०टी०सी० जेनेवा की सहायता से व्यापार संबंधी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।

भारतीय सैनिक स्मारक

726. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के हाल ही में बने चतरा जिले में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा 2 अक्तूबर, 1857 को 150 भारतीय सैनिकों को फांसी दिए जाने के संबंध में सूचनाएं एकत्र कर ली हैं;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 2 अक्तूबर, 1857 के शहीदों से जुड़े दस्तावेजों की खोजबीन की है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन शहीद सैनिकों की याद में कोई स्मारक बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, "हजारीबाग ओल्ड रिकार्ड्स 1761–1878" नामक बिहार सरकार के प्रकाशन के अंतर्गत चतरा में बागियों के हताहत होने और उन पर मुकदमा चलाने तथा मृत्यु दंड देने से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बेरोजगारी

727. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु किए गए सभी उपायों के बावजूद देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किये गए उपायों में क्या कमियां रही जिसके कारण बेरोजगारी से निपटने के वास्ते किए गए प्रयासों में असफलता मिली;

(ग) इन सभी कमियों को दूर करने हेतु क्या ठोस उपाय किये जाने हैं तथा इस विषय पर सरकारी नीति का अनुपालन कराने वालों पर क्या जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश में रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाऐगी।

रोहिणी में सोसाइटियां

728. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र की अनेक सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटियां, जिन्होंने जनवरी, 1991 में निर्माण कार्य शुरू किया था अपनी परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा काम न करने वाली सोसाइटी का कोई रिकार्ड रखा जाता है तथा ऐसी सोसाइटियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि वर्ष 1991 में, रोहिणी में 10 सहकारी समूह आवास समितियों ने फार्म "सी" अर्थात निर्माण काय आरम्भ करने और भूमिगत निकासी, स्वच्छता तथा अन्य पाइप लाइनों को ढकने से पहले जांच करने के लिए अनुरोध किया था, इन 10 समितियों में से 9 समितियों को फार्म "डी" अर्थात सफाई/पानी की लाइनों के कार्य की अन्तिम जांच के पश्चात् भवन निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र, जारी किये गये थे। एक सहकारी समूह आवास समिति ने फार्म "डी" के लिये आवेदन नहीं किया है जिसका कारण ज्ञात नहीं है।

(ग) से (ङ) पंजीयक सहकारी समितियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि जब कभी भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, अथवा किसी समिति के विरुद्ध कोई अनियमितता नोटिस में आती है तो दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 के संगत प्रावधानों के तहत जांच करवाई जाती है और सबंधित समिति के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है। अत्यावश्यक मामलों में प्रबंध समिति का अधिक्रमण भी किया जाता है।

उदारीकरण नीति

729. **श्री हरिन पाठक :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र ने अब तक उदारीकरण उपायों के प्रति कोई प्रोत्साहन-पूर्ण प्रत्युत्तर नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के प्रति औद्योगिक क्षेत्र को अधिक अनुकूल बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) औद्योगिक क्षेत्र ने गतिशील विकास दर्ज करते हुए उदारीकरण उपायों के प्रति प्रोत्साहन प्रतिक्रिया दर्शाई है। पिछले तीन वर्षों का समग्र औद्योगिक विकास 1993-94 में 6%, 1994-95 में 8.6% और अप्रैल-सितम्बर , 1995 के दौरान 12% था।

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शुल्क ढ़ांचे का युक्तिकरण और सरलीकरण, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्कों में कमी, पूंजीगत माल और अन्य क्षेत्रों के लिए मोडवेट लाभों का विस्तार और निगमित कर में कमी करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को पेंशन

730. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिभावान खिलाड़ियों की पेंशन योजना के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को जीवन पर्यन्त पेंशन स्वीकृत की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल कोष योजना के अंतगर्त कुल 183 खिलाड़ियों को जीवन पर्यन्त मंजूर की गई है।

काउण्टर मैगनेट सिटी

731. **श्री सतोष कुमार गंगवार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत काउण्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले नगरों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किये जाने का विचार है;

(ग) इस संबंध में बरेली (उ०प्र०) में प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) संतुलित शहरी-करण पैटर्न प्राप्ति के लिए रीजनल प्लान में, समसुविधा अनुषंगी शहरों की परिकल्पना है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संदर्भ में (I) जनसंख्या के बड़े शहरों में के भावी आवासन की रोकथाम और (II) क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में दो तरह की स्पष्ट तथा परस्पर पूरक भूमिका निभायेंगे। अतः इन अनुषंगी शहरों में विकास कार्य करने का विचार है जिनके द्वारा आर्थिक अवसर पैदा हो तथा परिवहन, आवास आदि बाबत उच्चतर स्तर की अवस्थापना जुटाई जा सकें।

(ख) राज्य सरकारें तथा उनकी कार्यान्वयन समितियां समन्वित योजना तैयार करती है, जिसके तहत विस्तृत योजना प्लान तैयार और लागू किये जा सकें। इनमें से कुछ परियोजनाओं को विकास कोष के जरिये धन उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें वित्त व्यवस्था एन०सी०आर० योजना बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा मिल कर की जाती है, अतः अन्य परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा अपने साधनों से धन दिया जाता है। ये परियोजनाएं राज्य सरकारों/इनकी कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा चलाई जाएंगी।

(ग) चालू वार्षिक योजना में वर्ष 1995-96 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं चलाने की मंजूरी दी गई है:

(i) शाहजहांपुर रोड ट्रासंपोर्ट नगर,

(ii) रामपुर रोड आवास स्कीम,

(iii) मास्टर प्लान रोड नं०-3

(घ) आठवीं योजना के दौरान 20 करोड़ रुपये खर्च करने का कार्यक्रम है।

(ङ) 4 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

''हुडको'' द्वारा ऋण

732. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ''हुडको'' को ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण की यह राशि अन्य राज्यों हेतु स्वीकृत किये गये ऋण के बराबर है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) ''हुडको'' द्वारा इस अवधि के दौरान अन्य राज्यों को कितनी ऋणराशि का संवितरण किया गया?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उनमूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) और (ख) गुजरात में उधार लेने वाली एजेंसियों की हुडको द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान स्वीकृत ऋण राशि इस प्रकार है:-

1992-93	—	60.41 करोड़ रु०
1993-94	—	78.52 करोड़ रु०
1994-95	—	78.54 करोड़ रु०

(ग) और (घ) हुडको प्रत्येक राज्य को ऋण का आवंटन जनसंख्या, राज्य से मांग और उधार लेने वाली एजेन्सियों द्वारा प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने जैसी विभिन्न पहलुओं के आधार पर करता है।

(ङ) और (च) हुडको द्वारा वर्ष 1992-93 और 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों को स्वीकृत और जारी किये गये ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यवार स्वीकृत / जारी

वर्ष: 1992-1994 सभी स्कीम (रु० करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		1993-94		1992-93	
	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी
अड़मान निकोबार द्वीप समूह	0.99	0.00	0.16	0.00	0.19	0.61
आन्ध्र प्रदेश	97.05	80.55	94.02	111.97	69.46	78.12
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	1.82	0.35	0.00	0.20
असम	41.27	23.19	16.22	35.83	33.83	14.64
बिहार	24.51	3.94	45.96	15.20	23.13	13.17
चण्डीगढ़	0.00	0.05	4.79	2.86	3.73	24.04
दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		1993-94		1992-93	
	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी
दिल्ली	3.70	0.38	12.10	9.03	0.00	0.26
दादरा तथा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
गोवा	9.00	0.00	0.45	0.00	5.97	0.00
गुजरात	78.54	41.43	78.52	60.00	60.41	58.10
हिमाचल प्रदेश	6.06	4.72	9.58	7.43	4.54	3.10
हरियाणा	34.27	22.60	28.57	26.00	25.36	12.14
जम्मू और कश्मीर	16.49	6.59	11.24	1.50	3.09	0.13
केरल	249.70	134.42	113.62	70.85	51.90	70.44
कर्नाटक	432.18	158.54	66.14	79.27	68.31	48.20
लक्ष्य द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	14.31	0.58	5.09	2.80	2.14	1.51
महाराष्ट्र	73.90	85.91	193.90	84.02	147.44	101.73
मणिपुर	6.06	3.74	5.72	2.35	7.66	5.08
मध्य प्रदेश	71.78	35.06	56.01	40.03	55.64	31.90
मिजोरम	0.06	2.18	6.39	0.25	2.01	4.20
नागालैण्ड	5.27	7.21	5.79	1.72	6.20	1.20
उड़ीसा	40.29	54.99	74.37	50.99	54.63	14.05
पांडीचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
पंजाब	76.63	68.67	100.02	47.11	16.67	28.66
राजस्थान	111.09	63.73	88.65	58.54	71.77	45.29
सिक्किम	9.50	4.44	7.45	6.86	2.20	5.47
तमिलनाडु	235.09	184.44	166.52	152.44	104.85	105.30
त्रिपुरा	4.63	0.68	1.79	0.00	1.21	0.72
उत्तर प्रदेश	77.64	75.51	128.13	94.67	197.29	176.28
पश्चिम बंगाल	42.78	58.03	45.43	40.41	90.77	14.29
योग	1763.23	1121.58	1368.45	1002.48	1110.41	858.93

आमान परिवर्तन

733. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पीलीभीत, खीरी, सीतापुर बरास्ता बरेली और लखनऊ के बीच छोटी रेल की बड़ी लाईन में परिवर्तित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) फिलहाल नहीं। जब दसवीं योजना अवधि में कार्य योजना का अगला चरण शुरू किया जाएगा तब इन लाइनों पर विचार किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की खेल टीमें

734. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में खो-खो और मलखम्भ खेलों के लिए महिला और पुरूषों की कोई टीम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त खेलों के लिए महिलाओं और पुरूषों की टीम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ये टीमें कब तक बना ली जायेंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) वर्तमान में इन दोनों खेलों में कोई टीमें नहीं हैं।

(ख) और (ग) खो-खो खेल को शामिल किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है तथा मल्लखंभ के मामले में अभी ऐसा किया जाना है।

(घ) रेलवे के भारतीय खो-खो संघ के साथ सम्बद्ध हो जाने के पश्चात् टीम के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस बीच रेलों की सूचि में पहले से शामिल खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी तथा अन्य की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस समय कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

735. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसंबर 1995 तक मध्य रेलवे में कितने प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कार्य प्रगति धीमी रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस जोनल रेलवे के पूर्णतः विद्युतीकरण करने हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 48.70% (मध्य रेलवे पर बड़ी लाइन के कुल 6051 मार्ग किलोमीटर में से 2947 मार्ग किलोमीटर विद्युतीकृत है)।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रेलों पर रेलपथों का विद्युतीकरण एक सतत प्रक्रिया है। विद्युतीकरण परियोजनाओं को नेटवर्क आधार पर तकनीकी—आर्थिक गुणदोष तथा परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार शुरू किया जाता है ताकि इन्हें समग्र विद्युतीकरण विशेषताएं दी जा सकें। चूंकि विद्युतीकरण परियोजनाएं गहन पूंजी निवेश वाली होती हैं इसलिए केवल बड़ी लाइन वाले उन्हीं मार्गों का विद्युतीकरण करने पर विचार किया जाता है जिन पर यातायात घनत्व उच्च होता है और जहां निवेश पर प्रतिफल की दर न्यूनतम निर्धारित दर से कम नहीं होती है।

स्टेडियमों का निर्माण

736. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995-96 के दौरान मैसूर जिले में ताल्लुक स्तर पर स्टेडियमों के निर्माण हेतु कोई धनराशि जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक शिक्षा हेतु विदेशी सहायता

737. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को कितनी विदेशी वित्तीय अनुदान राशि प्रदान की गई है; और

(ख) भारत सरकार किस वर्ष तक सम्पूर्ण देश में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) प्राथमिक शिक्षा के लिए 8वीं योजना के दौरान 31 मार्च, 1995 तक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए विदेशी वित्तीय अनुदान की कुल राशि लगभग 209.90 करोड़ है।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 21वीं शताब्दी से पहले 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक कोटि की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

738. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वित्तीय सेवा योजना कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में उद्यमियों द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए अपनाये गए मानदण्ड का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां। बम्बई में निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से यह योजना महाराष्ट्र में कार्य कर रही है।

(ख) उद्यमियों को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

निगम निम्नलिखित चार वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है:—

(क) **कच्चा माल सहायता** : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु एककों की विशिष्ट आवश्यकता एवं जरूरत के अनुसार अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए ऋण पर कच्चा माल प्रदान करने का प्रबन्ध करता है।

(ख) **बिलों का वित्त प्रबन्ध** : लघु एककों द्वारा प्रतिष्ठित तथा सुव्यवस्थित उद्यमों को की गई आपूर्ति के लिए प्राप्त बिलों और विधिवत् रूप से स्वीकार किए गए बिलों पर अधिकतम 90 दिन की अवधि के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा वित्त प्रबन्धन / कटौती की जाती है।

(ग) **कार्यशील पूंजी वित्त व्यवस्था** : आकस्मिक आवश्यकताओं के मामले में जीव्यक्षम और सुव्यवस्थित एककों की कार्यशील पूंजी बढ़ाने के लिए चयनात्मक आधार पर वित्त व्यवस्था करना ताकि वे अपने उपभोज्य भण्डारों एवं कलपुर्जों की खरीद के लिए भुगतान कर सकें तथा उत्पादन से जुड़े खर्च, विशेषकर बिजली के बिलों, सांविधिक शुल्कों इत्यादि का भुगतान कर सकें।

(घ) **निर्यात विकास वित्त व्यवस्था** : निर्यातोन्मुख एककों को उनकी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात विकास के लिए वित्त व्यवस्था करना। इस प्रकार की एककों को सामान्य सेवा एवं शर्तों पर पूर्व तथा पश्च नौभार वित्त व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों का बकाया कोटा

739. **श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम'** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 और 1996 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों का कोटा भरने के संबंध में बकाया पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ख) इस बकाया कोटे को पूरा करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) :(क) और (ख) 1 जनवरी, 1995 तथा 1996 को पिछली बकाया रिक्तियों के संबंध में सूचनाएं एकीकृत रूप में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 1.4.1995 को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए अप्रैल, 1995 में एक विशेष भर्ती अभियान आरम्भ किया गया था। इस प्रयोजन हेतु पहचान की गई केन्द्र सरकार में श्रेणीवार रिक्तियां निम्नलिखित हैं:—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(i) श्रेणी "क"	489	482
(ii) श्रेणी "ख"	595	459
(iii) श्रेणी "ग"	5327	5158
(iv) श्रेणी "घ"	1283	2372

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की संख्या

740. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1996 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों हेतु स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक संवर्ग का ग्रेड-वार तैनाती पद-वार तथा प्रतिनियुक्ति पद-वार, प्रशिक्षण-पद तथा "लीव रिजर्व्स-वार" ब्यौरा क्या है तथा इनके वेतनमान क्या हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1996 तक केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या वेतनमान में वृद्धि के लिए कोई मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) विभिन्न रिजर्वों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के स्वीकृत पदों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है। प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ ड्यूटी पदों का विभिन्न संवर्गों में अलग-अलग ग्रेडवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण III और IV में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या क्रमशः विवरण V और VI में दी गई है।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्राधिकृत संवर्ग संख्या

(1.1.96 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	संवर्ग	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद (एस.डी.पी.)	केन्द्रीय सरकार के अधीन पद (सी.डी.आर.) एस.डी.पी. के 40% की दर से	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (एस.डी.आर.) एस.डी.पी. के 25% की दर से	अवकाश प्रशिक्षण रिजर्व तथा कनिष्ठ पद (डी.आर.) एस.डी.पी. के 20% की दर से	सीधी भर्ती पद (डी.आर.) (एस.डी.पी.+ सी डी आर+ एस डी आर+ डी आर पी क्यू)	पदोन्नति पद (पीक्यू) (एस.डी.पी+ सी डी आर का 33 1/3%)	कुल प्राधिकृत संख्या [कालम(7)+ (8)] (टीएएस) (डी आर+ पी क्यू)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	159	64	60	31	240	74	314
2.	अरूणाचल प्रदेश गोवा-मिजोरम-केन्द्र शासित प्रदेश	126	50	31	25	174	58	232
3.	असम-मेघालय	110	44	31	22	156	51	207
4.	विहार	212	85	53	42	294	98	392
5.	गुजरात	116	46	51	23	182	54	236
6.	हरियाणा	100	40	45	20	159	46	205
7.	हिमाचल-प्रदेश	71	28	18	14	98	33	131
8.	जम्मू-कश्मीर	61	24	15	12	70	42	112
9.	कनाटक	127	51	50	25	194	59	253
10.	केरल	93	37	23	18	128	43	171
11.	मध्य-प्रदेश	204	82	51	40	282	85	377
12.	महाराष्ट्र	180	72	60	36	264	84	348
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	107	43	27	21	149	49	198
14.	नागालैण्ड	28	11	7	5	38	13	51

क्र० सं०	संवर्ग	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद (एस.डी.पी.)	केन्द्रीय सरकार के अधीन पद (सी.डी.आर.) एस.डी.पी. के 40% की दर से	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (एस.डी.आर.) एस.डी.पी. के 25% की दर से	अवकाश प्रशिक्षण रिजर्व तथा कनिष्ठ पद (डी.आर.) एस.डी.पी. के 20% की दर से	सीधी भर्ती पद (डी.आर.) (एस.डी.पी.+ सी डी आर+ एस डी आर+ डी आर पी क्यू)	पदोन्नति पद (पीक्यू) (एस.डी.पी+ सी डी आर का 33 1/3%)	कुल प्राधिकृत संख्या [कालम(7)+ (8)] (टीएएस) (डी आर+ पी क्यू)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	उड़ीसा	108	43	27	21	149	50	199
16.	पंजाब	99	40	35	19	147	46	193
17.	राजस्थान	132	53	41	26	191	61	252
18.	सिक्किम	27	11	7	5	38	15	53
19.	तमिलनाडु	175	70	43	35	242	81	323
20.	उत्तर-प्रदेश	271	108	94	54	401	126	527
21.	पश्चिम-बंगाल	158	63	40	31	219	73	292
	कुल योग	2664	1065	867	525	3799	1251	5066

विवरण-II

भारतीय पुलिस सेवा की प्राधिकृत संवर्ग संख्या

(1.1.96 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	संवर्ग	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद (एस.डी.पी.)	केन्द्रीय सरकार के अधीन पद (सी.डी.आर.) एस.डी.पी. के 40% की दर से	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (एस.डी.आर.) एस.डी.पी. के 25% की दर से	अवकाश प्रशिक्षण रिजर्व तथा कनिष्ठ पद (डी.आर.) एस.डी.पी. के 20% की दर से	सीधी भर्ती पद (डी.आर.) (एस.डी.पी.+ सी डी आर+ एस डी आर+ डी आर पी क्यू)	पदोन्नति पद (पीक्यू) (एस.डी.पी+ सी डी आर का 33 1/3%)	कुल प्राधिकृत संख्या [कालम(7)+ (8)] (टीएएस) (डी आर+ पी क्यू)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	99	40	25	19	137	46	183
2.	अरूणाचल प्रदेश गोवा-मिजोरम-केन्द्र शासित प्रदेश	88	35	22	17	121	41	162
3.	असम-मेघालय	74	30	18	14	102	34	136

क्र० सं०	संवर्ग	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद (एस.डी.पी.)	केन्द्रीय सरकार के अधीन पद (सी.डी.आर.) एस.डी.पी. के 40% की दर से	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (एस.डी.आर.) एस.डी.पी. के 25% की दर से	अक्काश प्रशिक्षण रिजर्व तथा कनिष्ठ पद (डी.आर.) एस.डी.पी. के 20% की दर से	सीधी भर्ती पद (डी.आर.) (एस.डी.पी.+ सी डी आर+ एस डी आर+ डी आर पी क्यू)	पदोन्नति पद (पीक्यू) (एस.डी.पी+ सी डी आर का 33 1/3%)	कुल प्राधिकृत संख्या [कालम(7)+ (8)] (टीएएस) (डी आर+ पी क्यू)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	135	54	34	27	187	63	250
5.	गुजरात	72	29	18	14	100	33	133
6.	हरियाणा	59	24	15	11	82	27	109
7.	हिमाचल-प्रदेश	39	16	10	7	54	18	72
8.	जम्मू-कश्मीर	51	20	13	10	59	35	94
9.	कर्नाटक	79	32	20	16	110	37	147
10.	केरल	66	26	16	13	91	30	121
11.	मध्य-प्रदेश	150	60	38	30	208	70	278
12.	महाराष्ट्र	111	44	28	22	154	51	205
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	57	23	14	11	79	26	105
14.	नागालैण्ड	27	11	6	5	37	12	49
15.	उड़ीसा	82	33	20	16	113	38	151
16.	पंजाब	79	31	19	14	101	34	135
17.	राजस्थान	79	32	20	15	109	37	146
18.	सिक्किम	14	6	3	2	15	6	21
19.	तमिलनाडु	102	41	26	20	142	47	189
20.	उत्तर-प्रदेश	214	86	53	42	295	100	395
21.	पश्चिम-बंगाल	138	55	34	27	190	64	254
	कुल योग	1815	728	452	352	2486	849	3335

विवरण-III

भारतीय प्रशासनिक सेवा

वरिष्ठ ड्यूटी पद अलग-अलग ब्यौरा (1.1.1996 की स्थिति)

क्रम संख्या	संवर्ग	वरिष्ठ ड्यूटी पद	रु० 8000	रु० 7300–7600	रु० 5900–6700	वरिष्ठ वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	159	2	7	34	116
2.	एजीएमयू	126	2	7	25	92
3.	असम-मेघालय	110	2	4	20	84
4.	बिहार	212	2	13	37	160
5.	गुजरात	116	2	4	28	82
6.	हरियाणा	100	1	3	21	75
7.	हिमाचल-प्रदेश	71	1	5	14	51
8.	जम्मू और कश्मीर	61	1	5	14	41
9.	कर्नाटक	127	2	10	34	81
10.	केरल	93	2	7	22	62
11.	मध्य-प्रदेश	204	2	11	53	138
12.	महाराष्ट्र	180	2	7	40	131
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	107	0	2	15	90
14.	नागालैंण्ड	28	0	1	6	21
15.	उड़ीसा	108	2	6	26	74
16.	पंजाब	99	1	5	30	63
17.	राजस्थान	132	2	7	31	92
18.	सिक्किम	27	0	1	6	20
19.	तमिलनाडु	175	2	9	31	133
20.	उत्तर-प्रदेश	271	2	18	55	196
21.	पश्चिम-बंगाल	158	2	8	33	115
	कुल योग	2664	32	140	573	1919

विवरण-IV

भारतीय पुलिस सेवा
वरिष्ठ ड्यूटी पदों का अलग-अलग ब्यौरा

(1.1.1996 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	संवर्ग	वरिष्ठ ड्यूटी पद	7600-8000 (डीजी-एल)	7300-7600 (डीजी-एस)	5900-6700 (आईजी)	5100-6150 (डीआईजी)	वरिष्ठ वेतनमान (एसपी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	99	1	0	7	20	71
2.	एजीएमयू	88	1	0	7	16	64
3.	असम-मेघालय	77	0	2	5	12	55
4.	बिहार	135	2	0	14	33	86
5.	गुजरात	72	1	0	4	16	51
6.	हरियाणा	59	1	0	3	10	45
7.	हिमाचल-प्रदेश	39	1	0	2	8	28
8.	जम्मू और कश्मीर	51	1	0	4	10	36
9.	कर्नाटक	79	2	0	10	21	46
10.	केरल	66	1	0	6	13	46
11.	मध्य-प्रदेश	150	2	0	11	30	107
12.	महाराष्ट्र	111	2	0	10	24	75
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	57	0	2	2	10	43
14.	नागालैंण्ड	27	0	1	2	5	19
15.	उड़ीसा	82	1	0	6	19	56
16.	पंजाब	79	1	0	6	12	60
17.	राजस्थान	79	1	0	6	19	53
18.	सिक्किम	14	0	0	1	2	11
19.	तमिलनाडु	102	2	0	7	22	71
20.	उत्तर-प्रदेश	214	2	0	15	40	157
21.	पश्चिम-बंगाल	138	2	0	8	26	102
	कुल योग	1815	24	5	136	368	1284

विवरण-V

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का उपयोग

(1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य	कुल प्राधिकृत संख्या	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	वास्तविक संख्या	अनुपातिक सीडीआर (4) (5)/ (3)	केन्द्र में अधिकारियों की संख्या	कालम 6 की % के रूप में कालम 7	कालम 4 की % के रूप में कालम 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम-मेघालय	207	44	191	40	49	122	111
2.	आंध्र प्रदेश	314	64	326	66	42	63	65
3.	बिहार	392	85	364	78	59	75	69
4.	गुजरात	236	46	231	45	41	91	89
5.	हिमाचल-प्रदेश	131	28	126	26	23	88	82
6.	हरियाणा	205	40	191	37	19	51	47
7.	जम्मू-कश्मीर	112	24	92	19	15	78	62
8.	केरल	171	37	154	33	34	103	91
9.	कर्नाटक	253	51	252	50	32	64	62
10.	महाराष्ट्र	348	72	347	71	45	63	62
11.	मध्य-प्रदेश	377	82	354	79	58	73	70
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	198	43	149	32	32	100	74
13.	नागालैंण्ड	51	11	45	9	8	88	72
14.	उड़ीसा	199	43	179	38	24	63	55
15.	पंजाब	190	40	183	38	15	39	37
16.	राजस्थान	252	53	222	46	26	56	49
17.	सिक्किम	53	11	38	7	3	42	27
18.	तमिलनाडु	324	63	300	58	26	44	41
19.	उत्तर-प्रदेश	527	108	518	106	68	64	62
20.	संघ शासित क्षेत्र	232	50	226	48	43	89	86
21.	पश्चिम-बंगाल	292	63	286	61	42	68	66
	कुल	5064	1058	4784	987	704	71	66

कॉलम 3 तथा 4 में आकंड़े अखिल भारतीय सेवा प्रभाग द्वारा दी गई 31.3.95 की स्थिति के अनुसार।

कॉलम 5 में आंकड़े सिविल सूची के अनुसार।

विवरण-VI

1.1.196 को प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या

1.	आंध्र प्रदेश	17
2.	असम-मेघालय	31
3.	बिहार	26
4.	गुजरात	17
5.	हरियाणा	18
6.	हिमाचल-प्रदेश	16
7.	जम्मू और कश्मीर	4
8.	कर्नाटक	20
9.	केरल	15
10.	मध्य-प्रदेश	35
11.	महाराष्ट्र	25
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	39
13.	नागालैंण्ड	शून्य
14.	उड़ीसा	19
15.	पंजाब	8
16.	राजस्थान	12
17.	सिक्किम	5
18.	तमिलनाडु	19
19.	एजीएमयू	27
20.	उत्तर-प्रदेश	48
21.	पश्चिम-बंगाल	43

[हिन्दी]

निजी परिसम्पत्तियों की घोषणा

741. **श्री मंजय लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार किन्हीं ऐसे प्रावधानों पर विचार कर रही है जिसके अनुसार पद ग्रहण करने से पहले मंत्रियों, संसद सदस्यों और वर्ग एक एवं दो के अधिकारियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए निजी परिसम्पत्तियों की घोषणा करना अनिवार्य हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा है:–

> "मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों और दायित्वों की घोषणा के विषय पर दिये गये आश्वासन पर विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया गया है। यह एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। अतः इस मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।"

आचरण नियामावली के अंतर्गत श्रेणी–I और श्रेणी–II के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी सेवा में आने के तत्काल बाद परिसम्पत्तियों और दायित्वों का विवरण देना अनिवार्य है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा संयंत्र

742. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र की क्षमता क्या होगी; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम प्रदर्शन के लिए 100 किवा. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र राज्य के राजगढ़ जिले में तथा 10 किवा. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र भोपाल में लगाने का विचार कर रहा है। दोनों विद्युत संयंत्रों की अनुमानित लागत 3.5 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं उनके अनुमोदन के बाद एक वर्ष में कार्यान्वित की जा सकेंगी।

पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स

743. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागर विकास विभाग ने पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स के लिए हिन्द महासागर बेसिन का सर्वेक्षण करने हेतु कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम हेतु चालू वर्ष में कुल कितना बजटीय परिव्यय रखा गया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एजुआर्डो फेलीरो) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यकलाप प्रमुखतः मध्य हिन्द महासागर बेसिन में अयस्क ग्रेड के पिण्डिका निक्षेपों के निर्धारण के लिए तथा खान स्थल के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण से अनन्य अधिकार प्राप्त करने के लिए है।

वर्तमान कार्यकलाप की रूपरेखा में भारी नमूना संग्रह 12.5 कि०मी० ग्रिड अंतराल पर स्थल फोटोग्राफी के साथ मुक्त पात प्रतिचयन, 5x5 कि०मी० सघन ग्रिड प्रतिचयन, सघन ग्रिड (12.5 कि०मी० प्रतिचयन) के आधार पर भूसांख्यिकीय संसाधनों को अद्यतन बनाना, समुद्रवैज्ञानिक आधार रेखा आंकडा संग्रह, गहरी समुद्र नौबन्ध प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए समय श्रृंखला समुद्रवैज्ञानिक आकंड़ा संग्रह, हाइड्रोस्वीप प्रणाली से पश्च-प्रकीर्ण (बैक स्कैटर) आकंडा संसाधन और ई०आई०ए० का नियोजन और अभिकल्पन अध्ययन आदि कार्य शामिल है।

(ग) चालू वर्ष के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण हेतु कुल बजट प्रावधान 5.02 करोड़ रुपये है।

रेल लाइन

744. **श्री रामकृष्ण कौंताला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नालगोंडा से नागार्जुन सागर और वहां से मचेरला तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य रेलवे में खरीद घोटाला

745. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के बम्बई मुख्यालय के भंडारण विभाग में खरीद के संबंध में 9 करोड़ रुपए की भारी धोखाधड़ी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितनों के विरुद्ध न्यायालयों में कार्यवाही की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी परिस्थिति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) लगभग 1.9 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्रियों की खरीद में हुई अनियमितताओं का एक मामला पकड़ा गया है। अनियमितताएं मुख्य रूप से मदों की अत्यधिक मांग करने, मांग के विभाजन, निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना उच्च दरों पर वस्तुओं की खरीद तथा अस्पष्ट विवरण/बिना विनिर्दिष्टि के मदों की खरीद से संबंधित हैं।

(ग) कोई नहीं, प्रारंभिक जांच के आधार पर 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। आगे की दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्रवाई विस्तृत जांच पूरी हो जाने पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से की जाएगी।

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों से संबंधित मामलों की उच्चतर अधिकारियों द्वारा अचानक जांच, फाइल संचलन को सुचारू बनाने, इकाइयों के प्रमुख द्वारा मांग-पत्रों पर नियंत्रण तथा लेखा अनुभाग द्वारा खरीद के मामलों की अचानक जांच करने जैसे उपचारात्मक उपाय पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

क्षतिपूर्ति की अदायगी

746. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास होने वाली पाकिस्तानी गोलाबारी द्वारा पीड़ित नागरिक और अधिक क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लेखन सामग्री का मुद्रण

747. **श्री प्रेम चन्द्र राम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों/विभागों, स्वशासी निकायों द्वारा लेखन सामग्री, अन्य सभी का मुद्रण सिर्फ मुद्रण निदेशालय के माध्यम से किया जाता है;

(ख) क्या निजी रूप से मुद्रण के लिए मुद्रण विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य है;

(ग) किन मंत्रालयों/विभागों ने सीधे निजी रूप से मुद्रण करवाया है तथा 1993-94 और 1994-95 के दौरान मंत्रालयवार खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कागज और मुद्रण की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए इन मंत्रालयों के पास तकनीकी रूप से कुशल और अर्हता प्राप्त जनशक्ति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) जी हां, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखन सामग्री का मुद्रण सिर्फ मुद्रण निदेशालय के माध्यम से कराया जाना होता है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) सभी मंत्रालयों व विभागों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे अपना मुद्रण कार्य केवल मुद्रण निदेशालय से ही करायें।

[हिन्दी]

रेल पुल

748. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने निर्मित एवं निर्माणाधीन पुलों के लिए रेलवे प्रतिभूति निधि से धनराशि जारी की जानी है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) उक्त धनराशि कब तक जारी की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माल डिब्बों से चोरी

749. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथरस किला और हाथरस जंक्शन स्टेशनों पर माल डिब्बों से सामान की चोरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन रेलवे स्टेशनों पर गोदामों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) हाथरस मैटल एसोसिएशन, हाथरस से इस आशय का आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जब हाथरस को विभिन्न स्थानों से आने वाले परेषणों में चोरी होती थी तो रेलें दावों का 50/- रु. प्रति कि०ग्रा० की दर पर भुगतान कर रही थीं जिसे बढ़ाया जाना चाहिए मामले की जांच की गई थी और यह पाया गया कि पार्टियां बुकिंग के समय वास्तविक मूल्य की घोषणा नहीं कर रहीं थीं। अतः प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें दावों का 50/- रु. प्रति कि०ग्रा० की दर पर ही भुगतान किया जा सकता था। इसके अलावा, यह भी पता चला कि कभी अधिकांशतः सीलबंद संपूर्ण एस०एस०आर०/वैनों में ही हो रही थी। संबंधित मंडल अधिकारियों को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निवारक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्टेशनों पर सुविधाओं को सुदृढ़ करने संबंधी योजना यातायात की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बनाई जाएगी।

[अनुवाद]

एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकों का मुद्रण

750. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०सी०ई०आर०टी० ने अपनी पुस्तकों की छपाई के लिए मुद्रणालयों को अब तक कागज की सप्लाई नहीं की है जिसके फलस्वरूप बाजार में पुस्तकों की उपलब्धता में देरी होने की संम्भावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एन०सी०ई०आर०टी० ने पुस्तकों के मुद्रण के लिए उन लघु उत्पादकों को कागज के लिए आदेश दिए हैं जो पुस्तकों के प्रकाशन हेतु समय पर कागज की सप्लाई करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो पुस्तकों की उपलब्धता में देरी से बचने के लिए मुद्रणालयों को समय से कागज की सप्लाई का प्रबंध नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अगले सत्र के आरम्भ होने से पहले एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बाजार में पुस्तकें अविलम्ब उपलब्ध कराने के लिए सभी मुद्रणालयों को मुद्रण कागज की आपूर्ति कर दी है। फर्मों का चयन खुली निविदा के आधार पर किया जाता है और मिल सम्मत समय कार्यक्रम के अनुसार मुद्रण कागज की आपूर्ति करता है।

पुस्तकों के पहले उपलब्ध स्टाक का उपयोग करके और उच्च प्राथमिकता आधार पर पुस्तकों की छपाई में वृद्धि करके परिषद् को आशा है कि वह आने वाले शैक्षिक सत्र के दौरान पाठ्यपुस्तकों की मांग को पूरा कर सकेगा और कमियों को दूर कर सकेगा।

रिहायशी एकक

751. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको द्वारा इसकी स्थापना के बाद उड़ीसा के लिए कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं की परियोजना लागत कितनी है;

(ग) हुडको निधि के निवेश से उड़ीसा में कितने रिहायशी एकक निर्मित किए गए; और

(घ) 1995-96 और 1996-97 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तावित नई योजनाएं कौन-कौन सी हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) से (ग) हुडको ने अपनी स्थापना से 31.1.96 तक 374.24 करोड़ रुपए परियोजना लागत से उड़ीसा राज्य में 277 आवासीय स्कीमें स्वीकृत की हैं, स्वीकृत रिहायशी एककों का श्रेणी वार विवरण इस प्रकार है :–

ई डब्ल्यू एस (आर)	–	76192
ई डब्ल्यू एस (यू)	–	12186
एल आई जी	–	31486
एम आई जी	–	10657
एच आई जी	–	3119
उन्नत	–	15954

(घ) 31.1.96 की स्थिति के अनुसार, 21.55 करोड़ रुपये की ऋण राशि की 14 स्कीमें हुडको के विचाराधीन हैं जिन पर हुडको द्वारा 1995-96 अथवा 1996-97 के दौरान निधियों की उपलब्धता और स्कीमगत और प्रक्रिया सम्बन्धी मानदण्डों को पूरा करने की शर्त के आधार पर स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

भारतीय ईसाई अधिनियम

752. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाई समुदाय के लोगों ने सरकार से भारतीय ईसाई अधिनियम में सुधारात्मक परिवर्तन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विधान कब तक प्रस्तुत किया जाएगा?

विधि न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) संयुक्त महिला कार्यक्रम ने, जो एक महिला संगठन है, क्रिश्चियनों में विवाह, विवाह-विच्छेद, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण और उत्तराधिकार से संबंधित विधान का कतिपय प्रारूप अधिनियमन के लिए प्रस्तुत किया है। जैसा कि सरकार की यह नीति रही है कि अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में तब तक हस्तक्षेप न किया जाए जब तक कि उसके लिए संबद्ध समुदाय की ओर से आवश्यक पहल न की जाए। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से इस विचार पर अपना सुविचारित दृष्टिकोण देने का अनुरोध किया है, कि इस विषय पर आगे कार्यवाही करने से पहले आयोग द्वारा क्रिश्चियन समुदाय के विभिन्न वर्गों से सीधे संपर्क स्थापित करके उस समुदाय के विचारों का आंकलन किया जाए। अतः इस संबंध में कोई विधान लाने के लिए इतनी जल्दी कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद

753. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित संयुक्त राज्य/अपर अधीनस्थ (मुख्य) परीक्षा, 1992 में लगभग 90 प्रतिशत ऐसे उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है जिन्होंने एक विषय के रूप में संस्कृत ली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग के तीन सदस्यों ने उक्त परीक्षाफल को अपनी स्वीकृति नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) परीक्षाफल को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती माखेट आल्वा) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस परीक्षा के लिखित इम्तहान जिसके परिणाम हाल ही में घोषित किए गए थे, में उम्मीदवारों की सफलता किसी एक वैकल्पिक विषय में उनके द्वारा प्राप्त अंकों पर निर्भर नहीं करती।

(ग) जी, नहीं। परिणाम की घोषणा आयोग के सभी सदस्यों के अनुमोदन से की गई थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

शायिका का आरक्षण

754. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और मुम्बई से सीधे जुड़े ट्रेनों में धोलका, धंधुका, वीरम गांव, बेतूड, गात्रा, रायपुर सानद, बदला, भावनगर और अहमदाबाद स्टेशनों पर शायिका आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशनों पर विभिन्न श्रेणियों के लिए शायिकाओं का वर्तमान कोटा क्या है और इसमें कितनी वृद्धि की मांग की गई है; और

(ग) ऐसे अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई और इसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) बंबई तथा दिल्ली की ओर यात्रा करने के लिए बाविया, धोलका, धंधुका, वीरम गांव, बोटाद तथा सानंद स्टेशनों पर आरक्षण कोटे में वृद्धि/आवंटन के लिए मांग प्राप्त हुई है, जिसमें कोटे में किसी विशेष वृद्धि के लिए नहीं कहा गया है। उपरोल्लिखित स्टेशनों पर उपलब्ध मौजूदा कोटे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बम्बई की ओर जाने वाली गाड़ियों के मौजूदा कोटे के उपयोग से पता चलता है कि यातायात के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए मौजूदा कोटा पर्याप्त है। दिल्ली की ओर यात्रा करने के लिए वीरमगांव स्टेशन पर 2473/2475/2477 जम्मू सुपरफास्ट प्रत्येक गाड़ी में शयनयान दर्जे की दो शायिकाओं का कोटा उपलब्ध है चूंकि ये गाड़ियां बहुत लोकप्रिय गाड़ियां हैं, अतः इस कोटे में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक अन्य स्टेशनों का संबंध है, वहां पर होने वाली टिकटों की बिक्री के विश्लेषण से पता चला है कि यह इतनी कम है कि उसके आधार पर कोटे के आवंटन का औचित्य नहीं बनता है।

विवरण

बाविया, धोलका, धंधुका, वीरमगांव, बोटाद तथा सानंद स्टेशनों पर मौजूदा कोटे का ब्यौरा इस प्रकार है :–

स्टेशन का नाम और गाड़ी संख्या	श्रेणी	कोटा
बाविया	–	–
धोलका		
9102 अहमदाबाद-बंबई गुजरात एक्सप्रेस	शयनयान	2 शायिकाएं
2934 अहमदाबाद-बंबई कर्णावती एक्सप्रेस	द्वितीय	2 सीट
धंधुका		
9018 हापा-बंबई सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	शयनयान	4 शायिकाएं
2934 अहमदाबाद-बंबई कर्णावती एक्सप्रेस	द्वितीय	2 सीटें
वीरमगांव		
9006 ओखा-बंबई सौराष्ट्र मेल	वाता. 2-टियर	2 शायिकाएं
	शयनयान	7 शायिकाएं
9018 हापा-बंबई सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	शयनयान	14 शायिकाएं
2473/2475/2477 जम्मू सुपरफास्ट एक्सप्रेस	शयनयान	2 शायिकाएं
बोटाद		
9006 ओखा-बंबई सौराष्ट्र मेल	शयनयान	4 शायिकाएं
9018 हापा-बंबई सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	शयनयान	3 शायिकाएं
9102 अहमदाबाद-बंबई गुजरात एक्सप्रेस	शयनयान	2 शायिकाएं
सानंद		
9018 हापा-बंबई सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	शयनयान	2 शायिकाएं

[अनुवाद]

समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) समितियां

755. श्री एन० डेनिस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०ए० ने कुछ समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) समितियों को अवैध और अनधिकृत निर्माण में संलिप्तता के कारण नोटिस दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या समूह आवास समितियों के निवासियों ने अनधिकृत निर्माण तोड़कर गिरा दिये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) डी०डी०ए० के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है जिन्होंने ऐसे अनधिकृत निर्माणों को गिराने हेतु तत्पर कार्यवाही नहीं की है; और

(च) समूह आवास समितियों में अनधिकृत निर्माण कब तक हटाए जायेंगे?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 30(1) और 31 क के तहत अवैध तथा अनधिकृत निर्माण के संबंध में 79 सहकारी सामूहिक आवास समितियां दर्ज की गई हैं। समितियों को कारण बताओ नोटिस भेजे गये हैं। न्यायिककल्प प्रक्रिया के तहत उन्हें सुनवाई के समुचित अवसर देने के पश्चात ही उन्हें स्वयं ही अनधिकृत निर्माण गिराने के उपयुक्त आदेश पारित किये जा सकते हैं और ऐसा न किये जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सील करने तथा गिराने की कार्यवाही की जाती है। इसके लिए दिल्ली विकास अधिनियम में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। यह मुख्यतः निवासियों द्वारा स्वयं के अनधिकृत निर्माण गिराने की अनिच्छा के कारण है।

(ङ) वे मामले, जिनमें गिराने के आदेश पारित किये जाते हैं, आदेशों के निष्पादन हेतु सम्बन्धित भूमि संरक्षण जोनों को भेजे जाते हैं। गिराने के अभियानों

का निर्धारण, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है और इन्हें पुलिस बल की मदद से कार्यान्वित किया जाता है। अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिये शीघ्र कार्यवाही न करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी।

(च) सामूहिक आवास समितियों के बहुमंजिले भवनों में अनधिकृत निर्माण हटाना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें पुलिस बल की उपलब्धता, न्यायिक आदेश आदि के कारण रुकावट आती है। अतः ऐसी कोई निर्धारित समय-सीमा बताना संभव नहीं है जिसके सामूहिक आवास समितियों में सभी अनधिकृत निर्माण हटाये जा सकेंगे।

रेलवे कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी

756. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी ने अलाभदायक पूंजी पर लगातार लाभांश के भार से रेलवे को मुक्त करने के लिए 10 वर्ष से अधिक की लगभग 3200 करोड़ रुपए की अलाभदायक पूंजी बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पैनल द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव के पीछे क्या तर्क है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं। रेल पूंजी पुनर्संरचना समिति (आर सी आर सी) ने केवल यह संकेत दिया है कि भारतीय रेलों के लिए सरकार द्वारा ब्याजदेय पूंजी के रूप में पूर्व निवेशों का परिशोधन करने की शुरूआत करना अनिवार्य होगा। परिशोधित की जाने वाली पूरी राशि का विवरण नहीं दिया गया है।

(ख) मुख्य तर्क भारतीय रेलों की लाभांश दायिता के निरंतर दायित्व के बोझ को सीमित करना है।

(ग) कोई अंतिम निर्णय इस संबंध में नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे फाटक

757. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अंतर्गत आने वाले पूर्णिया जंक्शन के निकट कटिहार रेलवे फाटक पर एक रेलवे उपरिपुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलें उन्हीं समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती हैं, जिनके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार निर्माण कार्यों की लागत में भागीदारी करने से सहमत होते हुए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किए जाते हैं। इस मामले में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

उद्योगों को दिल्ली से हटाकर अन्यत्र ले जाया जाना

758. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के द्रुत आर्थिक विकास के लिये सरकार के समक्ष बहुत से सुझाव विचाराधीन हैं जिनमें उद्योगों को दिल्ली से हटाकर अन्यत्र ले जाया जाना भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न वाणिज्य मंडलों तथा गैर-सरकारी संगठनों से इस संबंध में कोई सुझाव मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) और (ख) दिल्ली में अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि और उसके फलस्वरूप नागरिक सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा दबाव के कारण उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड ने एन०सी०आर० बाबत रीजनल प्लान-2001 बनायी, जिसका उद्देश्य (i) दिल्ली में जनसंख्या दबाव को कम करना; और (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास करना है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए निर्धारित तीन नीतिगत जोन इस प्रकार हैं– (i) सीमित विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (ii) संतुलित विकास के लिए डी०एम०ए० और (iii) अभिप्रेरित विकास हेतु शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।

आर्थिक कार्यकलापों को विस्तृत करने के लिए योजना का उद्देश्य रोजगार के सृजक के रूप में निर्धारित तीन बडे कार्यकलापों अर्थात् (i) उद्योग (ii) व्यापार तथा वाणिज्य और (iii) सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दूसरे स्थानों पर ले जाने/विकेन्द्रित करने का है।

उद्योग :

(i) दिल्ली में बड़े तथा मध्यम दर्जे के खतरनाक तथा प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक ईकाइयों तथा निगमों का उल्लंघन करने वाली ईकाइयां नहीं जायेंगी,

तथा मौजूदा इकाइयों को बाहर ले जाया जायेगा, (ii) डी०एम०ए० शहरों में दीर्घकाल में बड़े तथा मझोले उद्योगों पर रोक लगायी जायेगी, और (iii) शेष एन०सी०आर० क्षेत्र में सभी उद्योगों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया जायेगा।

व्यापार तथा वाणिज्य

(i) कराधान के न्यूनतम स्तर को तर्कसंगत बनाना और अपनाना, (ii) गैर अत्यावश्यक तथा अधिक स्थान घेरने वाले व्यापार घंधों का विकेन्द्रीकरण, और (iii) डी०एम०ए० तथा शेष एन०सी०आर० क्षेत्र में थोक बाजारों का विकास।

केन्द्र सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के कार्यालय

(i) दिल्ली में केवल मंत्रालयों, नयाचार तथा जन सम्पर्क कार्यों में लगे कार्यालयों को अनुमति दी जायेगी, और (ii) डी.एम.ए. तथा शेष एन.सी.आर. क्षेत्र में नये कार्यालय स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन, (iii) खतरनाक/हानिकारक बड़े उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाने का मसला भी उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका का मामला है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु एक साझी अवधारणा पर विचार किया जायेगा जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सदस्यों राज्यों और उनके क्षेत्र विकास अधिकारी और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने का विचार किया गया है। इस बारे में एन०सी०आर० बोर्ड द्वारा तैयार किये गये निवेश कार्यक्रम के अनुसार अनुमान है कि 60% से अधिक निवेश प्राइवेट सेक्टर से प्राप्त होगा जिसका उपयोग मुख्य रूप से शहरों के विकास और संबंध आवास एवं उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य की आर्थिक अवस्था के लिए किया जायेगा।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख निकायों जैसे चैम्बर्स ऑफ कामर्स, बिलडर्स एसोसिएशन आदि के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाये हुए है ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास में उनकी भागीदारी हासिल करने के लिए समुचित कदम उठाये जा सकें।

रेलगाड़ियों की आवृत्ति

759. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-जम्मूतवी एक्सप्रेस को रोज चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां और संसाधनों की तंगी।

वातानुकूलित शयनयान

760. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिरूपति से विशाखापतनम के बीच चलने वाली तिरूमाला एक्सप्रेस एवं हैदराबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूलित शयनयान के डिब्बों को जोड़ने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) रेलों ने लम्बी दूरी की रात में चलने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरा दर्जा वातानुकूल शयनयान डिब्बा चरणबद्ध आधार पर जोड़ने का पंहले ही विनिश्चय किया हुआ है। ऐसे सवारी डिब्बों की उपलब्धता रेलवे उत्पादन इकाइयों पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

मतदाता सूची और पहचान पत्र

761. **श्री विलासराव नामनाथराव गूंजेवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में फिर से मतदाता सूची बनाने के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में मतदाता सूचियां और पहचान पत्र बनाने का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य को समग्र, रूप से कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) अर्हता की तारीख के रूप में 1-1-1996 के प्रति निर्देश से निर्वाचक नामावलियां दिल्ली में अन्तिम रूप से पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसके तैयार करने में सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया था, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह भारत निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराए, जितने वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। तथापि, सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग ने इसको पूरा करने के लिए 31 मार्च, 1996 तक समय बढ़ा दिया है।

[अनुवाद]

सेफ्टी पोस्ट

762. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने कुजरू, वांचू और सीकरी आयोग की रिपोर्ट के

आधार पर सेफ्टी पोस्टों के निर्धारण संबंधी सिद्धांतों की घोषणा की है और दिनांक 31.5.82 की सेफ्टी पोस्टों की एक व्यापक सूची परिचालित की है;

(ख) क्या 31.5.82 को परिचालित सूचियां और तत्पश्चात् घोषित मानदंडों पर आधारित पद ही वैध है और राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की पूर्व परिचालित सूचियां निरस्त कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो तीन आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद सेफ्टी श्रेणी के अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रीकल, सिगनल और टेलीकम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के ग्रुप "बी" पद रखने का क्या औचित्य है; और

(घ) क्या "सेफ्टी पोस्ट" के तकनीकी शब्दजाल का प्रयोग करके सरकार की मंशा के प्रतिकूल आरक्षण नियमों के दायरे को सीमित कर दिया गया है और इसकी अवधारणा के अंतर्गत अनुसंधान और डिजाइन मानक संगठन एवं उत्पादन एककों को लाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.5.82 के पत्र सं. ई. (एन.जी.) 1/75/पी.एम. 1/44 के तहत परिपत्रित संरक्षा वर्ग पदों की सूची गैर-राजपत्रित संरक्षा वर्ग पदों की सूची का अद्यतन रूप है जिसे पहली बार रेल दुर्घटना जांच समिति 1968 (वांचू समिति) की एक सिफारिश के अनुसरण में परिपत्रित किया गया था।

(ख) बोर्ड के दिनांक 31.5.82 के पत्र के अंतर्गत परिपत्रित संरक्षा वर्ग पदों की सूची में केवल गैर-राजपत्रित कर्मचारी ही शामिल हैं और गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए संबंध में पहले जारी सूचियां निरस्त कर दी गई हैं। इन अनुदेशों के अंतर्गत राजपत्रित पद शामिल नहीं किए गए हैं।

(ग) सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियरी, बिजली इंजीनियरी और परिवहन विभागों के अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों की प्रकृति के कारण ही इन विभागों में वर्ग "ख" पदों को "संरक्षा" उन्मुखी माना गया है। यह वांचू समिति की सिफारिशों के विरुद्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं। आरक्षण से संबंधित नियम सभी कोटियों पर लागू हैं, सिवाय इसके कि गाड़ी परिचालन की संरक्षा के हित में "संरक्षा" कोटियों के लिए अर्हक अंकों में कोई छूट नहीं दी गई है।

बाल यौन शोषण

763. **श्री बलराज पासी :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक आकलन के अनुसार भारत की छवि बाल सैक्स केन्द्र वाले पर्यटक देश के रूप में उभर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल सैक्स की बुराई को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित मौजूदा कानूनों :

1. भारतीय दण्ड संहिता;
2. अनैतिक पणन निषेध अधिनियम; तथा
3. किशोर न्याय अधिनियम

के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, सरकार ने, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संस्तुत मुख्य अपराधिक नियमों में कतिपय विधि आयोग को भेजे हैं। सरकार ने बाल वेश्याओं को छुडाने और उनके पुनर्वास के लिए कानूनी एवं गैर-कानूनी उपायों की संवीक्षा तथा सिफारिशें करने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का भी गठन किया है। इसके अतिरिक्त सरकार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और महिलाओं को शक्ति-सम्पन्न बनाकर बच्चों के दर्जे, विशेष रूप से बालिकाओं के दर्जे को सुधारने के प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कैडेट कोर

764. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय, (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण को विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुकूल नहीं है, जिसके तहत ऐसा प्रशिक्षण स्वैच्छिक आधार पर होना चाहिए। साथ ही इस के लिए धन तथा आधारभूत संरचना से संबंधित भारी आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी

765. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समारोह में आजाद हिन्द फौज के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की भागीदारी सुनिश्चित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन करने के लिए इस विभाग में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई है। समारोह ठीक जन्म शताब्दी के दिन 23.1.1997 को शुरू होगा, जिसमें साल भर तक कार्यक्रम/कार्यकालाप आयोजित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय समिति की प्रथम बैठक 5.12.1995 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, विभिन्न कार्यक्रम और कार्यकलाप तैयार करने के लिए एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) इन समारोहों में आजाद हिन्द फौज के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की भागीदारी के संबंध में मामला विचारार्थ उप समिति/राष्ट्रीय समिति के समक्ष रखा जायेगा।

[अनुवाद]

तारापुर में परमाणु रिएक्टर

766. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अन्तर्गत तारापुर में तीसरे और चौथे परमाणु रिएक्टर के निर्माण कार्य के समाप्त होने और रिएक्टर के आरम्भ होने संबंधी मूल तारीख क्या थी;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के आरम्भ होने और विद्युत उत्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं में प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक चालू होने और उनमें कब से विद्युत उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जनवरी, 1991 में 2x500 मेगावाट क्षमता की तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 एवं 4 के लिए दी गई प्रारम्भिक परियोजना संबंधी वित्तीय संस्वीकृति के अनुसार इन दोनों यूनिटों का निर्माण-कार्य वर्ष 1998 में पूरा हो जाने की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना के लिए लम्बे समय में प्राप्त होने वाले और क्रांतिक किस्म के उपस्करों के अग्रिम प्रापण की कार्रवाई की गई थी और आवश्यक अवसंरचना विकसित कर ली गई है। तथापि, मुख्य संयंत्र का सिविल निर्माण-कार्य वित्तीय कमी के कारण अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है।

(ग) मुख्य संयंत्र का निर्माण वित्तीय कमी के कारण शुरू नहीं हुआ है।

(घ) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 एवं 4 यूनिटों में से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट होगी।

(ङ) मुख्य संयंत्र के निर्माण-कार्य के शुरू होने की तारीख से लेकर लगभग साढ़े आठ वर्षों में इस परियोजना को चालू कर दिए जाने की योजना है।

आई०ए०एस०/आई०पी०एस०/पी०सी०एस० के तबादले

767. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में हजारों आई०ए०एस०/आई०पी०एस०/पी०सी०एस० अधिकारियों का तबादला किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो बार-बार इतने बड़े पैमाने पर तबादले किए जाने के क्या कारण हैं और राज्य के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने के लिए निर्धारित तबादला नीति के अनुपालन हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां। गत दो वर्षों के दौरान बहुत से अधिकारियों के तबादले किए गए थे।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा तथा पी०सी०एस० के अधिकारियों के तबादले तथा तैनातियां राज्य सरकारों की अपेक्षाओं एवं सेवा की अत्यावश्यकताओं पर निर्भर करते हुए लोकहित में की जाती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की योजना के अनुसार, राज्य सरकारों के अधीन सेवारत अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के तबादले तथा तैनातियां केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाला मामला है। केन्द्रीय सरकार संवर्ग प्रबंध के बारे में नीति निर्धारित करती है। प्रशासकों को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में उनके द्वारा सामना की जाने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए इस सरकार का यह प्रयास है कि आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे परिवर्तन लागू करें। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों की आवृत्ति

768. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के बरेली-दिल्ली-अजमेर खंड में चलने वाली रेल गाड़ियों की समय सूची में परिवर्तन करने और उनकी आवृत्ति बढ़ाये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

लघु उद्योग विकास संगठन–गुजरात

769. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों, विशेषकर गुजरात में लघु उद्योग विकास संगठन के प्रसार केन्द्र बंद कर दिये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सिडो (लघु उद्योग विकास संगठन) द्वारा निष्पादित कई कार्यकलापों की पुनरीक्षा करने पर, सिडो कार्यकलापों का विस्तार बारीकी से न करने और गुजरात के विस्तार केन्द्रों सहित निम्न प्रौद्योगिकी/गैर-निष्पादी विस्तार केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार को इनका कार्य भार संभालने का प्रस्ताव देने के बाद ही इन केन्द्रों को बन्द किया गया था।

[अनुवाद]

उपरिपुल

770. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं तथा जान-माल की हानि को रोकने के लिए महाराष्ट्र में सेवाड़ी रेलवे स्टेशन से सेवाड़ी-बोलीवाडा के बीच उपरिपुल के निर्माण किए जाने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) श्रीमन् अभ्यावेदन का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(1) बालक-पालक शिक्षक संघ, सेवड़ी, कोलिवाडा ने समपार सं० 7-ए हार्बर लाइन के निकट सेवड़ी स्टेशन में ऊपरी पैदल पुल के निर्माण की मांग की है।

(2) कार्यपालक इंजीनियर, सड़क विकास एवं अभिकल्प मंडल बंबई ने सेवड़ी पर समपार सं० 7-ए के बदले सेवड़ी रेलवे स्टेशन के निकट रफी अहमद किदवई मार्ग को मिस्सेंट रोड से जोड़ने के लिए ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है।

(3) सेवड़ी-कोलिवाडा की कोली समाज को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमि० ने सेवड़ी समपार सं० 7-ए पर ऊपरी पैदल पुल तथा ऊपरी पुल के निर्माण की मांग की है।

(4) कोली समाज को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड ने इस अनुरोध को श्रीमती प्रोमिला दंडवते, महासचिव, जनता दल द्वारा अग्रेषित श्री कालीदास कोलम्बाकर, विधायक के माध्यम से दोहराया है।

(5) निर्मला सामंत प्रभावलकर, बम्बई की महापौर ने दिसंबर, 1994 में सेवड़ी रेलवे के बुकिंग कार्यालय के निकट ऊपरी पैदल पुल के निर्माण की मांग की थी।

(ग) (1) बम्बई सड़क विकास एवं अभिकल्प प्रभाग के सेवड़ी पर ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव से बम्बई पोर्ट ट्रस्ट (बी पी टी) सहमत नहीं हुआ क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके संपर्क मार्ग को जनता के लिए खोला जाए। बहरहाल, बम्बई पत्तन न्यास (बी पी टी) इस शर्त पर सहमत था कि सड़क संपर्क के लिए साल्ट पैन भूमि उन्हें दे दी जाए। अतः राज्य सरकार तथा बं०प०न्या० के बीच यह मुददा अभी तक नहीं सुलझा है।

(2) बालक पालक शिक्षक संघ की मांग की प्रतिक्रिया में वृहत्तर बंबई नगरपालिका परिषद ने यथा व्यावहारिक ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है बशर्ते कि बम्बई पत्तन न्यास और रेलवे लागत में भागीदारी करें। रेलवे ने वृ०बं०न०पा०प० को कहा है कि समपार सं० 7-ए पर प्रस्तावित ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था, मौजूदा नियमों के अनुसार, केवल "निक्षेप" शर्तों पर ही की जा सकती है।

कोली समाज को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उनके साथ एक बैठक हुई थी और यह उल्लेख किया गया था कि सेवड़ी स्टेशन के दोनों सिरों पर रेलपथ को पार करने के लिए आद्योपांत ऊपरी पैदल पुल की आवश्यकता है। वी०टी० वाले छोर पर (दक्षिणी सिरा) प्लेटफार्म सं० 1 से प्लेटफार्म सं० 2 तक एक नए ऊपरी पैदल के निर्माण कार्य को रेल निर्माण कार्यक्रम 1996-97 में शामिल किया गया है जिसे वृ.बं.न.पा.प. की लागत पर निकटवर्ती रफी अहमद किदवई मार्ग के पार तक बढ़ाया जा सकता है।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

771. **श्री धर्मण्णा मोंडयूया तादुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसंबर 1995 तक मध्य रेलवे में रेल लाइनों के दोहरीकरण संबंधी लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 में दोहरीकरण हेतु किन-किन रेल लाइनों को शामिल किया गया है और इस अवधि के दौरान उनकी प्रगति क्या है; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष 1996-97 में किन-किन प्रस्तावों/परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) पनवेल-रोहा का दोहरीकरण

(ii) मथुरा-पनवल खंड-कोसी कलां-पलवल के बीच तीसरी लाइन की व्यवस्था चरण-I

(ख) चालू वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान शामिल किए गए दोहरीकरण के कार्यों का ब्यौरा और उनकी प्रगति इस प्रकार है :

	कार्यों का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	दिवा-पनवेल	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य रेलों की निधि में से किए जा रहे हैं। कुल 6 निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं तथा इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
2.	दिवा-वसई रोड	विस्तारित बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्यों के लिए निविदाएं पहले ही आमंत्रित कर ली गई हैं।
3.	दौंड-भिग्वान	कार्य के लिए अनुमान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दो ठेके दे दिए गए हैं और तदनुसार कार्य शुरू कर दिया गया है। अन्य निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
4.	निशातपुरा (क और घ केबिन) कार्ड लाइन	अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ग) अगले वित्त वर्ष 1996-97 में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावों/परियोजनाओं का संसद द्वारा नियमित बजट पारित कर दिए जाने पर ही पता चल सकता है।

आमान परिवर्तन

772. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में बंगारपेट-कोलार के बीच आमान-परिवर्तन का कार्य शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र पर अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) इसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी हां, कार्य पहले ही प्रगति पर है।

(ग) 12 करोड़ रुपये।

(घ) 31.12.96 तक।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ

773. **डा० खुशीराम दुगंरोमल जेस्वानी** :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री हरिभाई पटेल :
श्री विजय एन० पाटील :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च न्यायालयों की खंडपीठों की स्थापना करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार से अपने राज्यों में उच्च न्यायालय की खंडपीठों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्च न्यायालयों की ऐसी पीठों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी जिनकी विधि आयोग ने सिफारिश की है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) सरकार ने देश में उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया है। तथापि, जसवंत सिंह आयोग ने, 30.4.1985 को सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में, उच्च न्यायालय की न्यापीठों की स्थापित करने के प्रश्न पर विनिश्चय करते समय अनुसरण किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदंडों के बारे में सुझाव दिया है। आयोग की रिपोर्ट 20-4-87 को क्रमशः राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी, जिसे देखा जा सकता है।

(ख) से (घ) विधि आयोग ने, अपनी चौथी रिपोर्ट (1956) और चौदहवीं रिपोर्ट (1958) में, देश में उच्च न्यायालय की न्यायपीठों के सृजन के विचार का विरोध किया था। तथापि, जसवंत सिंह आयोग ने आगरा, रायपुर और मदुरई में क्रमशः इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के लिए सिफारिश की। आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशें, अक्तूबर, 1986 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों की संबंधित न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, विचारों और टिप्पणियों के लिए भेज दी गई थीं। जसवंत सिंह आयोग की विनिर्दिष्ट या साधारण सिफारिशों की दृष्टि से किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने के लिए किसी सरकार से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वह समय, जिस तक देश में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित कर दी जाएंगी, बताना संभव नहीं है।

छावनी बोर्ड

774. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सैन्य स्टेशन नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं;

(ख) कितने सैन्य स्टेशनों में छावनी बोर्ड कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या शेष स्टेशनों के सम्बन्ध में लोकतांत्रिक ढांचे पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो शेष स्टेशनों में इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) छावनी परिषदें 62 स्टेशनों में कार्य कर रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाइन का दोहरीकरण

775. **श्री मंजय लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर सेक्शन रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य बहुत पहले शुरू किया गया था परन्तु यह कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है;

(ख) क्या मुजफ्फरपुर और सीहो रेलवे स्टेशन के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) ढोली रेलवे स्टेशन एवं कर्पूरीग्राम के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य अब तक शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सेक्शन में कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) सिहो-घोली-कर्पूरीग्राम के बीच के कार्य, जिसके 1996-97 में शुरू किये जाने और 1998-99 में पूरा किए जाने की योजना है, के सिवाय, कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया है।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास कार्यक्रम

776. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी के लिए कोई लम्बी अवधि का कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) सरकार ने समसामयिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों को सर्जित करने के उद्देश्य से उद्योग तथा सरकारी निधिबद्ध अनुसंधान व विकास प्रयोगशालाओं/संस्थानों के बीच अन्तः क्रिया तथा सहयोग बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(i) आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुसंधान व विकास व्यय पर आयकर छूट।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर), रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ), इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अन्तर्गत कार्यरत अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुमोदित प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2एए) के अधीन 125 प्रतिशत भारित कर छूट।

(iii) औद्योगिक उत्पादों विषयक विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास तथा वाणिज्यीकरण हेतु उद्योग तथा सरकारी प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों व विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार अनुसंधान व विकास परियोजनाओं को प्रत्यक्ष निधि प्रदान करना। यह निधि सरकारी विभागों में अनेक कार्यक्रमों जैसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का प्रौद्योगिकीय आत्म-निर्भरता लक्षित कार्यक्रम (पिस्टर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का देश में सर्जित प्रौद्योगिकियों का कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का उद्योग को इलेक्ट्रॉनिकी में अनुसंधान व विकास को निधि प्रदान करने का कार्यक्रम (फ्रेन्ड) तथा इसी प्रकार जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तथा अन्य वैज्ञानिक विभागों/मंत्रालयों के अनुसंधान व विकास निधियन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

(iv) अनुसंधान व विकास उपकर अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत आयातित प्रौद्योगिकियों पर रॉयल्टी के भुगतानों विषय 5 प्रतिशत उपकर से एकत्रित प्रौद्योगिकी विकास निधि का सर्जन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास निधि को संचालित करने के लिए आवश्यक बिल पारित किए गए हैं। इस निधि के प्रबंधन के लिए उपयुक्त क्रियाविधियां तैयार की जा रही हैं।

[हिन्दी]

नौसेना गठबन्धन

777. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नौसैनिक गठबन्धन को सुदृढ़ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व के अन्य देशों के साथ भी इस प्रकार के गठबन्धन बनाये जाने हेतु प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार दक्षिण अफ्रीका सहित विभिन्न मित्र देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने तथा उसे बढ़ावा देने की नीति का अनुसरण कर रही है। इस नीति को राष्ट्र की आवश्यकता एवं हितों के अनुरूप चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों के साथ नौसेना सहयोग में मुख्यतः पारम्परिक यात्राएं तथा प्रतिनिधित्व, संयुक्त अभ्यास, कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा नौसेना पोतों की सदभावना यात्राएं और जल-सर्वेक्षण शामिल हैं।

[अनुवाद]

कपूरथला कोच फैक्ट्री

778. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूरथला कोच फैक्ट्री द्वारा कोचों के निर्माण में निजी एजेंसियों को शामिल किए जाने में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सरकार के उदारीकरण/निजीकरण की नीति का हिस्सा है;

(ग) शामिल की गई निजी एजेंसियों तथा उनके द्वारा संभाले जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे मद्रास कोच फैक्ट्री के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) वर्तमान में रेल कोच फैक्टरी में कोई निजी एजेंसी नियोजित नहीं की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन

779. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामलुक-डीघा रेल लाइन का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य चल रहा है और इसका पूरा होना आगामी कुछ वर्षों में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उच्चशिक्षा

780. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा संबंधी पुन्नय्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी सिफारिशें लागू की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए पुनैया समिति की रिपोर्ट संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय, राज्य तथा समविश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को भी भेज दी गई।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

781. **श्री प्रेमचन्द राम** :
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण फ्लैट और भूखंड आवंटित करने की हाल की योजनाओं से धनराशि वापस लेने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) और (ख) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रिहायशी भू-खण्ड योजना आर-1 (1995) के तहत धनराशि लौटाने बाबत 29 आवेदन मिले थे जबकि "एक छोटा सा घर" योजना के तहत 5 आवेदन थे।

(ग) से (ङ) 26 आवेदकों को (रिहायशी भूखंड योजना आर-1 (1995) के तहत 24 और "एक छोटा सा घर" योजना के तहत 2), जिन्होंने अपनी जमा की गई राशि बावत अपनी रसीदें जमा की हैं, पंजीकरण राशि लौटा दी गई है। अन्य आवेदकों से, जिन्होंने अपनी रसीदें प्रस्तुत नहीं की हैं, पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर करके विधिवत अदा की गई रसीदें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

रिहायशी भू-खण्ड

782. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** 27 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई 1994 में उप राज्यपाल के पास अन्तिम स्वीकृति हेतु भेजे गये दो मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास वापस आ चुके हैं?

(ख) क्या सम्बद्ध आवंटियों को स्वीकृति की जानकारी दे दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं और उक्त जानकारी देने में और कितना समय लगने की सम्भावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि प्लाट नं० बी-11, विवेक विहार के एक मामले में उप-राज्यपाल का अनुमोदन लेकर लाभार्थी के पक्ष में 28.9.1994 को नामान्तरण की अनुमति दी गई है। प्लाट नं. बी-1/4 अशोक विहार का दूसरा मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। चूंकि मामला न्यायाधीन है, अतः आगामी कार्यवाही न्यायालय के आदेशों/निर्णय पर निर्भर करती है।

विश्व पुस्तक मेला

783. **श्री सन्त कुमर मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा राजधानी में विश्व पुस्तक मेले के आयोजन पर अनुमानित रूप से कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या अनेक देशों से इसमें भाग लेने आये बहुत से व्यक्तियों ने इसमें थोड़े व्यक्तियों द्वारा भाग लिये जाने के लिये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किये गये आयोजन के घटिया स्तर को दोषी ठहराया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या खामियां थीं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नेशलन बुक ट्रस्ट द्वारा भविष्य में ऐसे मेलों का आयोजन करने के लिये इससे क्या सीख मिली है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा विश्व पुस्तक मेले के आयोजन पर अनुमानित रूप से लगभग 50 लाख रु. की धनराशि खर्च की गई।

(ख) और (ग) प्रचार-माध्यमों के ज़रिए कुछ शिकायतें सामने आईं। तथापि इतने बड़े विश्व पुस्तक मेले के आयोजन में छोटी-मोटी शिकायतें अवश्यंभावी थीं। कुल मिलाकर विश्व पुस्तक मेला सफल रहा।

(घ) नेशनल बुक ट्रस्ट समय-समय पर विश्व पुस्तक मेला के आयेजन में सुधार करने के लिए संघों तथा प्रकाशकों के साथ हमेशा मिलजुल कर काम करता रहा है।

तटरक्षक संगठन में महिलाओं की नियुक्ति

784. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटरक्षक संगठन में महिला अधिकारियों को विभिन्न चरणों में भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं के लिए शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा आगामी तीन वर्षों के दौरान कितनी महिला अधिकारियों को भर्ती किए जाने की संभावना है;

(ग) तटरक्षक संगठन द्वारा अपनी बढ़ती हुई जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए अपने क्रियाकलापों के क्षेत्र में सुधार लाने तथा इसका विस्तार करने हेतु एक पंचवर्षीय योजना बनाने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने महिलाओं को तटरक्षक के अफसर सवंर्ग में सामान्य ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी पायलट और विधि शाखाओं में परीक्षण आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायक कमांडेंट के रूप में भर्ती करना अनुमोदित कर दिया है। महिला अफसरों को मंजूर किए गए 10% बिलेटों के तहत भर्ती किया जाएगा और अगले तीन वर्षों में भर्ती किए जाने वाले अफसरों की संख्या लगभग 30 होने की संभावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) पोतों और वायुयानों के अर्जन, जनशक्ति की भर्ती और उसके प्रशिक्षण तथा अपेक्षित तटवर्ती सहायता सुविधाओं की स्थापना के मामले में इस सेना को सुदृढ़ बनाने और संतुलित बढ़ोतरी करने की दृष्टि से एक तटरक्षक परिप्रेक्ष्य योजना (1985–2000) बनाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य योजना का पंचवर्षीय तटरक्षक विकास योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। अपेक्षित बल स्तर प्राप्त करने के लिए वर्तमान तटरक्षक विकास योजना (सी जी डी पी 1992–97) के अंतर्गत 1223 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की योजना बनाई गई है।

बीकानेर-दिल्ली के बीच रेलगाड़ी

785. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर से दिल्ली के बीच भटिंडा के रास्ते एक सीधी रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां और संसाधनों की तंगी।

रेल सेक्शनों का विद्युतीकरण

786. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने विजयवाड़ा-गुन्टूर-तेनाली रेलवे सेक्शनों के विद्युतीकरण की योजना की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या इस मार्ग पर यात्रियों के लिए इन शहरों के बीच सड़क यातायात पर दबाव को कम करने के लिए इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक मल्टिपल यूनिटें चलाई जा रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) विजयवाड़ा-गुंटूर-तेनाली खंड पहले ही विद्युतीकृत हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रोस्टर रजिस्टर

787. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भर्ती और पदोन्नति दोनों ही श्रेणियों में काफी पहले से रोस्टर रजिस्टर रखना समाप्त कर दिया था जैसा कि रेलवे बोर्ड के विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदनों में बताया गया है;

(ख) क्या रोस्टर न रखने के कारण पदोन्नति और भर्ती दोनों ही मामलों में कमी/पिछली बकाया रिक्तियों का सही-सही अनुमान नहीं लगाया गया है; जैसाकि पूर्व रेलवे ने बताया है;

(ग) क्या गलत गणना के कारण पूर्व रेलवे द्वारा 1993 और 1995 के विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिए सही रूप में कोई कार्यवाही करने के बारे में पता नहीं लगाया जा सका; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति न्याय करने के लिए आरक्षण नियमों का अनुपालन करने के हेतु सरकार का किस प्रकार की कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

788. **श्री बलराज पासी** :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यनिष्पादन संबंधी रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अब तक कहां तक प्राप्त कर लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार को संबंधित राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों से और पर्यवेक्षण मिशनों के माध्यम से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में समय-समय पर रिपोर्टें मिल रही हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, अपने कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना ढांचों को स्थापित करने, जिलों में माहौल तैयार करने तथा सूक्ष्म आयोजना करने की प्रक्रिया को शुरू करने, पठन-पाठन सामग्रियों और शिक्षक प्रशिक्षण पद्धतियों, आदि का नवीकरण करने में सफल रहा है। पर्यवेक्षण मिशन ने सामान्य तौर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रति अपना संतोष प्रकट किया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 110 जिलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। नवम्बर, 1994 से यह कार्यक्रम आसाम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 42 जिलों में चल रहा है। 22 और जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण

789. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्देश्य/लक्ष्य क्या हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किस हद तक इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित फ्लैटों की लागत में दिल्ली विकास प्राधिकरण के आधारभूत ढांचे की सम्पूर्ण लागत को शामिल किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(ङ) फ्लैटों के निर्माण संबंधी जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण से वापस लेने और उसे प्रस्तावित आवास निगम को सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार, प्राधिकरण का उद्देश्य नक्शे के अनुसार दिल्ली का विकास करना होगा तथा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण को भूमि और अन्य सम्पत्तियों का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और बिक्री करने, भवन निर्माण, इंजीनियरी, खनन तथा अन्य कार्य करने, पानी तथा बिजली की आपूर्ति, मल-जल व्ययन तथा अन्य सेवाओं और सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य करने और सामान्यतः ऐसे विकास कार्यों व उनके सम्बद्ध प्रयोजनों हेतु आवश्यक अथवा तत्काल कार्य करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

(ख) मास्टर प्लान 1962, डीडीए द्वारा बनायी गयी थी और उसमें अब संशोधन किया गया तथा 2001 परिदृष्य वाली नयी मास्टर प्लान भी बनायी गयी है। दिल्ली में सभी विकास कार्य मास्टर प्लान के अनुसार किये जाते हैं, जैसा कि प्राधिकरण के लक्ष्यों और उद्देश्यों में उल्लेख किया गया है।

(ग) जी, नहीं। फ्लैटों के आवंटियों से अवस्थापना विकास पर खर्च राशि की केवल अनुपातिक लागत की वसूली की जाती है, शेष लागत दिल्ली में वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य प्रकार के स्थान के आवंटियों से वसूल की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) राष्ट्रीय आवास नीति ने इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य एजेन्सियां कमजोर वर्गों को छोड़ कर मकानों का निर्माण कार्य नहीं करेंगी। राष्ट्रीय आवास नीति और मकानों के निर्माण में काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की अवधारणा के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अलग आवास बोर्ड की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

दुर्घटना संबंधी दावे

790. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे दावा अभिकरणों में आज की तारीख तक रेल दुर्घटना के दावों के कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) ऐसे दावों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन दावों के शीघ्र निपटान के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 31.01.96 को रेल दावा अधिकरण की विभिन्न खंडपीठों में 823 दुर्घटना दावों के मामले लंबित थे, इनमें से अधिकांश मामले हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं से संबंधित हैं।

(ख) इन मामलों के निपटान में विलंब के कारण निम्नलिखित हैं :–

(i) उत्तराधिकार के संबंध में तब विवाद उत्पन्न हो जाता है जब दो या अधिक पक्षों द्वारा उत्तराधिकार के संबंध में परस्पर विरोध दावे किए जाते हैं। ऐसे विवादों को हल करने में कुछ समय लग जाता है।

(ii) उत्तराधिकारियों के संबंध में वैकल्पिक व्यक्ति ढूंढने में कठिनाई उत्पन्न होना जब मूल उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है या उत्तराधिकारी मिल नहीं पाता आदि।

(iii) विभिन्न विभागों विशेष रूप से राजकीय जिला प्रशासन आदि, से साक्ष्य की व्यवस्था करने में आने वाली दिक्कतें।

(iv) दावाकर्त्ताओं द्वारा बार-बार कार्यवाही स्थगित करने की मांग करने या उनके न आने के कारण भी विलंब हो जाता है।

(ग) मानवीय विपत्ति का तत्व निहित होने के कारण दुर्घटना संबंधी दावों को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ-साथ दुर्घटना सम्बन्धी दावों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(i) जहां विचाराधीन दुर्घटना दावों के मामलों की संख्या अधिक है, वहां अतिरिक्त खण्डपीठों की व्यवस्था की जा रही है।

(ii) शीघ्र निपटान को सुगम बनाने के लिए खण्डपीठों के मुख्यालायों से इतर स्थानों पर सर्किट खण्डपीठ की स्थापना की जाती है।

(iii) किसी खण्डपीठ में कोई सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे स्थानों पर सूचीबद्ध मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, दूसरी खण्डपीठों से सदस्य, तैनात किए जाते हैं।

(iv) आवेदकों के अनुरोध पर, अधिकरण में उनकी सहज उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए दावा संबंधी मामलों को दावाकर्त्ताओं के निवास की निकटवर्ती खण्डपीठ को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है।

(v) क्षेत्रीय रेलों को मामलों की कार्यवाही में तेजी लाने तथा डिगरी द्वारा क्षतिपूर्ति की निर्धारित राशि के शीघ्र भुगतान के लिए लिखित ब्यौरे दायर करने के अनुदेश दिए जाते हैं।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

791. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का गुजरात में वर्ष 1995-96 के दौरान किन-किन रेल लाइनों के दोहरीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) वर्ष 1995-96 में दोहरीकरण का कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

समस्तीपुर सेक्शन में रेलगाड़ी

792. **श्री मंजय लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर सेक्शन में केवल प्रातः दो रेल-गाड़ियां और शाम को 5.30 बजे एक रेलगाड़ी को छोड़कर पूरे दिनभर कोई रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिन में इस सेक्शन में यात्री गाड़ी अथवा डी०एम०यू० रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर खंड पर प्रत्येक दिशा में दिन के समय की (प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे तक) नौ से अधिक मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियां हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

[अनुवाद]

विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना

793. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी नए कार्यक्रम को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) से (ग) वर्ष 1987-88 से विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में अपर प्राथमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान किटों के प्रावधान, माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन, माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान से सम्बन्धित विषयों पर पुस्तकों की आपूर्ति और विज्ञान तथा गणित अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सहायता प्रदान की जाने की परिकल्पना की गई है। प्रयोगात्मक और नवीन कार्यक्रमों के संचालन की योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेन्सियां भी सहायता की पात्र हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान, 43.51 करोड़ रु. के कुल व्यय में 12,608 अपर प्राथमिक तथा 7077 माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रयोगात्मक और नवीन कार्यक्रमों के संचालन के लिए 14 स्वैच्छिक एजेन्सियों को 1.27 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

794. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के समेकित ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक गरीबी हटाने की योजना की शुरूआत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(घ) इस धनराशि का आवंटन करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम (पीएमआई यूपीईपी) को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमाऊ क्षेत्र के सभी जिलों में चलाने का निर्णय हाल ही में लिया गया है बशर्ते जिले की आबादी 1,00,000 से अधिक न हो तथा 1991 की जनगणना के अनुसार उस जिले में कोई अन्य कस्बा श्रेणी-II शहरी कस्बे के रूप में भी इस कार्यक्रम के तहत पहले से ही शामिल न हो। आलोच्य नियतन से बचने के लिए जिले के ऐसे कस्बों को 15 लाख रुपए प्रति कस्बा निधियां आवंटित करना प्रस्तावित है।

भ्रष्टाचार के मामले

795. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार के मामलों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय सामान्य मामलों को तुलना में इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय द्वारा हाल ही में न्यायाधीशों के लिए कोई आदर्श आचार-संहिता तैयार की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसे लागू किए जाने संबंधी ब्यौरा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उच्चतम न्यायालयों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में आज की तिथि तक कितने मामले कब से लंबित पड़े हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हुडको को लाभ

796. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1994-95 के लिए आवासीय और शहरी विकास निगम (हुडको) के लेखा के संबंध में अपनी रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां; तो हुडको को हुए लाभ में पायी गयी विसंगतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हुडको के लाभ को कम आंकने हेतु कम्पनी के अधिकारियों और लेखा परीक्षकों के विरुद्ध जांच आरम्भ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(च) क्या वर्ष 1994-95 के लिए हुडको के लेखा का लेखा समाधान किया गया है और हुडको की ओर आयकर का भुगतान, यदि कोई है, को नियमित किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1994-95 के खातों का समायोजन होने तक हुडको की अवस्थापना परियोजनाओं के तहत अंतिम तिमाही के कुछ ब्याज अंश का लेखायन न करने बाबत टिप्पणी की है।

(ख) ब्याज रसीदों का समायोजन होने के कारण, कुल 1618.67 लाख रुपये की ब्याज राशि का लेखायन नहीं हुआ था।

(ग) से (ङ) कंपनी ने ब्याज रसीदों का समायोजन लम्बित होने के कारण, ब्याज का लेखायन न करने का सोच समझ कर निर्णय लिया था। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के जबाब में निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट में इसका खुलासा किया गया है जिसका शेयरधारियों की आम वार्षिक बैठक में अनुमोदन हुआ था। ये लेखे वार्षिक रिपोर्ट के साथ 14.12.95 को लोक सभा के पटल पर भी रखे जा चुके हैं।

(च) और (छ) खातों का समायोजन पहले ही पूरा कर लिया गया है। आयकर का, चालू वर्ष के पेशगी कर के साथ, नियमन कर लिया जाएगा।

बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन

797. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों द्वारा कितनी शिकायतें/सुझाव दर्ज कराए गए; और

(ख) इन शिकायतों/सुझावों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) अगस्त 1995 से जनवरी 1996 के दौरान उत्तर रेलवे के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुझाव पुस्तिका में कुल 20 शिकायतें/सुझाव दर्ज किए गए थे।

(ख) 20 शिकायतों/सुझावों में से 5 रद्द की गई गाड़ियों की बहाली के लिए; 11 शिकायतें गाड़ियों के विलंब से चलने के संबंध में थीं; एक शिकायत पूछताछ खिड़की पर गलत सूचना देने के संबंध में थी; एक शिकायत पूरी धन-वापसी प्रदान न करने के संबंध में थी और दो शिकायतें बुकिंग लिपिकों के विरुद्ध थीं। दरारें पड़ने तथा बाढ़ के कारण दिल्ली/नई दिल्ली-भटिंडा खंड पर कई गाड़ियां रद्द कर दी गई थीं। बाढ़/दरारों के कारण परिचालनिक कारणों की वजह से भी कुछ गाड़ियां विलंब से चली। इन कारणों की वजह से ऐसी 16 शिकायतें दर्ज की गई थीं। इस खंड पर सभी रद्द गाड़ी सेवाएं अब बहाल कर दी गई हैं। शेष 4 शिकायतों की जांच करवाई गई थी लेकिन उनकी पुष्टि नहीं की जा सकी थी।

आदर्श रेलवे स्टेशन

798. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडूडे** :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए उनका चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए इस कार्य हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) गुजरात में विकसित किए ऐसे स्टेशनों सहित अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए उसका चयन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे कार्य और अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) "आदर्श स्टेशन" योजना 1986 में शुरू की गई थी जिसे अब पूरा करके बंद कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत समस्त भारतीय रेलों पर 67 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया गया था।

(घ) इस योजना के अंतर्गत, गुजरात राज्य में राजकोट, जूनागढ़ और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों को 38.82 लाख रुपयों की लागत पर "आदर्श स्टेशन" के रूप में विकसित किया गया था।

(ङ) जी हां। विजयवाड़ा को भी इस योजना के अंतर्गत आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था।

(च) इस योजना के अंतर्गत विजयवाड़ा स्टेशन पर बुकिंग कार्यालय के ढांचे में परिवर्तन, पेयजल नलों की व्यवस्था, प्लेटफार्मों पर तथा प्रतीक्षा हालों में बैठने के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था, प्लेटफार्म पर सायबानों का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था में सुधार, पंखे और डिजिटल घड़ियां, स्नान कक्षों, शौचालयों, मूत्रालयों और उपयोगिता स्टालों में सुधार/वृद्धि प्लेटफार्म को चौडा करना और विस्तार, प्लेटफार्म की सतह और परिचलन क्षेत्र में सुधार तथा ऊपरी पैदल पुल का विस्तार जैसे कार्यों को 164.95 लाख रु० की लागत पर पूरा किया गया था।

रिक्त पद

799. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पदों को बाद की भर्ती/विशेष भर्ती अभियानों द्वारा भरा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण पूर्व रेलवे तथा दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा विशेषतः ग्रुप ''डी'' पदों के मामले में उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं करने के क्या कारण हैं जिसके फलस्वरूप रिक्तियों के अभाव में बड़ी संख्या में पदों को भरे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है; और

(ग) क्या आरक्षण नियमों के गैर अनुपालन हेतु जिम्मेवार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) ग्रुप ''ग'' तथा ग्रुप ''घ'' में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को भरने के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे में ग्रुप ''घ'' में अनुसूचित जनजाति के 330 व्यक्तियों तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में ग्रुप ''घ'' में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 609 व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए अनुमोदन दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मूलभूत सुविधाएं

800. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सोलह प्रतिशत कुल आवास इकाइयों में ही विद्युत, पेयजल और सफाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या मूल्यांकन है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) और (ख) यह आंका गया है कि 31.12.1991 की स्थिति के अनुसार 85.31% शहरी आबादी को पेयजल आपूर्ति और 46.64% आबादी को सफाई सुविधाएं मुहैया करायी गयी हैं। जहां तक घरेलू पावर उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है 31.3.94 की स्थिति के अनुसार देश में शहरों सहित उनकी कुल संख्या 6,01,93,172 है।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति स्वच्छता और घरेलू पावर मुहैया कराना सम्बन्धित राज्य सरकार/स्थानीय निकाय का दायित्व है। इस शताब्दी के अन्त तक 100% शहरी आबादी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति मुहैया कराना प्रस्तावित है। 20,000 तक की आबादी वाले कस्बों में पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने हेतु विशेष बल देते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य के 50:50 के शेयर के साथ एक केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 155 कस्बों के लिए जल आपूर्ति स्कीमें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र प्रवर्तित कम लागत स्वच्छता स्कीम के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में परिवर्तित करने पर विचार किया गया है, इस स्कीम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 45% सब्सिडी, 50% राज्य निधि/ऋण, 5% लाभार्थी, अंशदान की व्यवस्था है।

पावर की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को पाटने हेतु पावर की उपलब्धता में सुधार करने के लिए नई उत्पादन क्षमता चालू करने में तेजी लाने, कम गेस्टेशन वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन, वर्तमान पावर स्टेशनों की कार्य क्षमता में सुधार, ट्रांसमिशन और वितरण हानियों में कमी, बेहतर मांग प्रबंध के कार्यान्वयन और उर्जा संरक्षण उपायों, अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में उर्जा अन्तरण के प्रबंध और निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

खराब पैकिंग

801. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यात किए गए माल की खराब पैकिंग के कारण हुए घाटे के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) के अधीन स्वायत्तशासी निकाय प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टाइफैक) ने चुनिंदा क्षेत्रों में टैक्नो मार्किट सर्वेक्षण (टी एम एस) अध्ययन शुरू किए हैं। टाइफैक ने इस विषय पर प्रौद्योगिकी पक्षों तथा स्टेटस को कवर करने के लिए 1993 के दौरान एक टी एम एस अध्ययन आरंभ किया था। इस रिपोर्ट में—चालू निर्यात स्तरों, भारत में वर्तमान पैकिंग प्रौद्योगिकी स्तर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विनियमन तथा पैकिंग से संबंधित मानक, निर्यात पैकिंग में उभरती हुई प्रवृत्तियां, चालू सहायक बुनियादी सुविधाएं, निर्यात पैकिंग में प्रमुख मामले, अनेक चुनिंदा उत्पादों के लिए पैकिंग प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, निर्यात पैकिंग उत्पादों/प्रणालियों के लिए बाजार जैसे पक्षों को शामिल किया गया है तथा कार्य योजना आदि की सिफारिश की गई है। यह भी बताया गया है कि खराब पैकिंग के कारण आयातकर्ताओं द्वारा लगभग 540 करोड़ रुपये (निर्यात के कुल मूल्य का 2.2%) के मूल्य के निर्यात उत्पादों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

रूपनपुर में हाल्ट

802. **श्री मंजय लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच रूपनपुर में एक हाल्ट स्टेशन बनवाये जाने के लिए बहुत लंबे समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पैलेस ऑन व्हील्स

803. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इग्लैण्ड के एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय टूर आपरेटर वॉच आउट पैलेस ऑन व्हील्स फार दी रायल स्काटस्मेन" का भारत में दो लग्जरी पर्यटक रेल गाड़ियां, रायल इंडियन (उत्तर) तथा रायल इण्डियन (दक्षिण) चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय रेलवे तथा द स्टर्लिंग रिसोर्ट्स और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्यम से रेलवे को संचालन और आर्थिक दृष्टि से कितना लाभ होगा और इससे रेल पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) भारतीय रेल ने रॉयल ओरिएन्ट (उत्तर); जो दिल्ली–जयपुर–आगरा–ग्वालियर–झांसी(खजुराहो)–वाराणसी–लखनऊ–दिल्ली के बीच परिचालित होगी तथा रायॅल इंडियन (दक्षिण), जो बेंगलूर– मैसूर–मद्रास–कोडैकनाल रोड–कन्याकुमारी–तिरूवनन्तपुरम–कोचीन– मैट्टूपालयम(ऊटी)–बेंगलूर के बीच परिचालित होगी, के नाम से जाने जानी वाली दो पर्यटक गाड़ियों के संबंध में मै० स्टर्लिंग होलीडे रिसोर्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, मद्रास के साथ एक समझौता किया है। मै० स्टर्लिंग होलीडे रिसोर्ट्स गाड़ी निर्माण की पूरी लागत, कर्षण और अनुरक्षण की लागत वहन करेगी तथा भारतीय रेल को गाड़ी परिचालन से प्राप्त होने वाले सकल राजस्व के निर्धारित प्रतिशत का भी भुगतान करेगी। मै० स्टर्लिंग होलीडे रिसोर्ट्स ने रायॅल स्काट स्मैन पर्यटक गाड़ी के स्वामी एल एंड आर लेज़र ग्रुफ आफ यू०के० के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता किया है।

परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ ये हैं कि रेल परिवहन अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जाएगा, रेलों को वर्धमान राजस्व की प्राप्ति होगी तथा देश के लिए विदेशी मुद्रा का सृजन होगा।

हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड

804. **श्री सनत कुमार मंडल** :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड का विचार रुग्ण चल रही डच एयरक्राफ्ट मैन्यूफेक्चरर फॉर का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा सरकार की इस पर प्रतिक्रिया सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड को क्या मुख्य लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड का इस संबंध में आवश्यक धनराशि किन स्रोतों से प्राप्त करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी मकानों को किराये पर देना

805. **श्री प्रेमचन्द्र राम** :
श्री लाल बहादुर रावल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में आवंटियों द्वारा सरकारी फ्लैट/गैराज को किराए पर देने के मामलों की जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) जी, नहीं। यह जांच केवल साधारण पूल क्वार्टरों बाबत है जो अभी भी चल रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

परमाणु रिएक्टर

806. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लिये परमाणु रिएक्टरों में उपकरणों के एक सुरक्षात्मक पैनल हैं जो उनके नियंत्रण कक्ष में आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए है;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्घटना अथवा गड़बड़ी के मामले में संयंत्र चालक

को उपचारात्मक उपाय या निषेधात्मक उपाय अपनाने के लिए एक पैनल से दूसरे पैनल तक जाने की आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) नरोरा परमाणु बिजलीघर से लेकर बाद के सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों में आपातकालीन यंत्रीकरण के लिए एक-एक पृथक नियंत्रण कक्ष है जो उस आपात स्थिति में भी आवश्यक उपस्कर के मानीटरन और प्रचालन की अनुमति देता है जब मुख्य नियंत्रण कक्ष में पहुंचना संभव नहीं होता। इस तरह से समर्पित अनुपूरक नियंत्रण कक्षों को नरोरा बिजलीघर से पहले निर्मित परमाणु बिजलीघरों में भी पीछे से फिट किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। रिएक्टरों का प्रचालन योग्यता प्राप्त और लाइसेंसधारी तकनीकी स्टाफ जिसमें एक वरिष्ठ शिफ्ट-इंजीनियर, कनिष्ठ शिफ्ट इंजीनियर और पर्यवेक्षक होते हैं, के एक दल द्वारा किया जाता है। नियंत्रण कक्ष के सभी पैनल एक-दूसरे के पास होते हैं और मुख्य पैनलों पर अलग-अलग व्यक्ति तैनात होते हैं। नियंत्रण प्रणाली का डिजायन ऐसा होता है कि सभी आपातकालीन सुरक्षा कार्यों का निष्पादन कम से कम 10 मिनट तक के लिए चालक के किसी हस्तक्षेप के बिना यन्त्रवृत हो जाता है। सुरक्षा संबंधी सभी प्रणालियों की स्थिति के लगातार संकेत नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार संयंत्र के ठीक से काम न करने की स्थिति में संयंत्र चालक को दोष निवारक उपाय करने के लिए एक पैनल से दूसरे पैनल तक दौड़-धूप करने की आवश्यकता नहीं है।

कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा

807. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्रमशः 7 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 1996 की अन्वेषक 1996 के पद हेतु और सहायक (प्रारंभिक) ग्रेड 1995 की लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी संख्या में आवेदकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गयी क्योंकि के केवल अनंतिम प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत कर पाये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इन आवेदकों को न्याय दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) यह दोनों परीक्षाएं क्रमशः 7 जनवरी, 1996 तथा 28 जनवरी, 1996 को आयोजित की गई थीं।

(ख) और (ग) कर्मचारी चयन आयोग ने विश्वविद्यालय प्राधिकारियों सहित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनंतिम प्रमाण पत्रों को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने के सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया है। तथापि कालेज प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनंतिम प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया गया।

(घ) इस विषय में प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के आधार पर आयोग के साथ परामर्श करके मामले की समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

808. **श्री खेलन राम जांगडे :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितनी लोक अदालतें आयोजित की गईं;

(ख) उक्त अवधि में इन अदालतों में राज्य-वार कितने मामलों का निपटारा हुआ और निर्णयों के अनुरूप मुआवजे की कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या इस संबंध में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) वर्ष 1994 तक की जानकारी तुरंत उपलब्ध है। वर्ष 1995 और जनवरी, 1996 के अन्त तक के संबंध में जानकारी राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों से प्राप्त की जा रही है और बोर्डों से इसके प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियाम, 9 नवम्बर, 1995 को प्रवृत्त हो गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को राज्य प्राधिकरण आदि को गठित करने के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखे हैं। अब तक केवल पांच राज्यों ने ऐसा किया है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रधिकरण ने भी शेष राज्यों के मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों को वैयक्तिक पत्र लिखे हैं। अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। जब तक अधिनियम को प्रवर्तन में नहीं लाया जाता, तब तक प्राधिकरण कार्यशील नहीं हो सकते।

(घ) और (ङ) लोक अदालत प्रणाली में और विधिक जानकारी तथा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में भी स्वैच्छिक संगठनों का भाग लेना सुनिशिचत किया गया है।

[अनुवाद]

मिग-27 की दुर्घटना

809. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 सितम्बर, 1995 और 20 दिसंबर, 1995 को लोनी और मोरटी गांव के निकट मिग-27 युद्धक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन विमान दुर्घटनाओं की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनके परिणामस्वरूप हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय(रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, हां। दोनों वायुयान पक्षियों के टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके परिणामस्वरूप इंजन में आग लग गई।

(घ) इस दुर्घटना में जन-जीवन की कोई हानि नहीं हुई। तथापि, फसल और सम्पत्ति की मात्र 17,670 रुपये की क्षति हुई।

(ङ) शहरी विकास और कृषि मंत्रालयों तथा संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके विमान क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित पशुवध गृहों, पशु अवशेष उपयोग केन्द्रों को आधुनिक बनाने और साफ-सफाई रखने के आवश्यक उपाय किए गए हैं ताकि पक्षियों की गतिविधि कम की जा सके।

अफ्रीका देशों के लिए व्यापार शिष्टमंडल

810. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जून 1995 से 19 जुलाई 1995 के बीच एक 21 सदस्यीय व्यापारिक शिष्टमंडल ने अफ्रीकी देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के उद्देश्य क्या थे; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) 27 जून से 19 जुलाई, 1995 के बीच सरकार की ओर से प्रायोजित किसी भी व्यापारिक शिष्टमंडल को अफ्रीकी देशों के दौरे पर नहीं भेजा गया था। लेकिन, भारतीय उद्योग परिसंघ ने हमें सूचना दी है कि उन्होंने जून, 1995 में विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक शिष्टमंडल मारीशस और उगांडा को भेजा गया ताकि इन देशों के साथ व्यावसायिक सहयोग बढ़ाया जा सके। उगांडा के दौरे के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ ने उगांडा के विनिर्माता संघ और उगांडा निवेश प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए ताकि उनके देश के साथ आगे सहयोग बढ़ाया जा सके।

पाक-अधिकृत कश्मीर में हताहत लोग

811. **श्री बलराज पासी :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों द्वारा हाल में किए गए राकेट हमले के कारण पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ नागरिक हताहत हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 27 जनवरी, 1996 को पाकिस्तानी प्रचार माध्यमों और अन्य एजेंसियों द्वारा गलत समाचार दिया गया था कि भारतीय सैनिकों ने पाक अधिकृत कश्मीर के काहुटा गांव में स्थित एक मस्जिद के हिस्से को रॉकेट दागकर क्षतिग्रस्त कर दिया है और साथ ही कई सिविलियन हताहत हुए हैं।

भारतीय सैनिकों द्वारा कोई रॉकेट नहीं दागे गए थे इन दोषारोपणों का भारत सरकार ने सुस्पष्ट और विशिष्ट रूप से खण्डन कर दिया था।

क्वार्टरों के विशेष पूल

812. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में क्वार्टर आवंटन के लिए कौन-कौन से और कितने विशेष पूल हैं;

(ख) उन विशेष आवासों के लिए कितने कर्मचारी और अधिकारी पात्र हैं;

(ग) आज की तारीख तक उन पूलों की स्थिति में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या विशेष पूलों से क्वार्टरों के आवंटन में वृद्धि करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) विभिन्न विभागों/संगठनों के कार्मिकों को इस्तेमाल हेतु सामान्य पूल से मकान मुहैया कराने बाबत 24 विशेष पूल बनाये गये हैं।

(ख) और (ग) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) सफदरजंग तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल पूल और एस.पी.जी. पूल प्राधिकारियों ने अपन-अपने पूल में मकानों की संख्या में बढोत्तरी करने का अनुरोध किया है।

रेल पुलों के संबंध में दिनांक 19 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3910 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा इसमें विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : श्रीमान, रेलवे पुलों के संबंध में 19.4.94 को लोक सभा में श्री अरविंद तुलसीराम कांबले द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 3910 के भाग(क) के उत्तर में ऊपरी सड़क पुलों के लिए जुलाई 1991 से 19.4.94 तक असम, नागालैंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों का विवरण इस प्रकार है :–

राज्य का नाम	वर्ष	संख्या एवं विवरण	टिप्पणी
असम		17	प्रस्ताव के वर्ष तथा ऊपरी सड़क पुलों के स्थान के संबंध में सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।
नागालैड़		1	-यथोक्त-
बिहार		1	-यथोक्त-
पश्चिम बंगाल		1	-यथोक्त-

खेद है कि उपर्युक्त सूचना इस सीमा तक गलत पाई गयी थी कि ये प्रस्ताव जुलाई 1991 से पहले प्राप्त हुए थे। वास्तव में, सूचना इस प्रकार मानी जाए :–

राज्य का नाम	संख्या एवं विवरण	टिप्पणी
असम	कुछ नहीं	लागू नहीं
बिहार	कुछ नहीं	-यथोक्त-
नागालैंड	कुछ नहीं	-यथोक्त-
पश्चिम बंगाल	कुछ नहीं	-यथोक्त-

उक्त प्रश्न में, पूरे देश के समपारों तथा रेल ऊपरी पुलों/निचले पुलों के संबंध में काफी सूचना प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। यह विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त की जानी थी। अतः प्रश्न के कुछ भागों के लिए एक आश्वासन दे दिया गया था। केवल समपारों के बारे में सूचना उपलब्ध हो सकी थी और 15.2.1995 को यह आश्वासन अंशतः पूरा कर दिया गया था।

जब रेल ऊपरी पुलों/रेल निचले पुलों के संबंध में सूचना इकट्ठी की गई थी और उसका संकलन किया जा रहा था, तब यह पाया गया कि प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत ब्यौरे का कुछ भाग सही नहीं था। अतः एक शोधक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया था।

भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृति न हो, इसके लिए शोधक कार्रवाई के रूप में संबंधित अधिकारियों को, जिन्होंने यह सूचना दी थी भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए चेतावनी दे दी गई है।

''सैनिकों द्वारा गोली-बारी के अभ्यास'' के सम्बन्ध में दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2538 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैंने रक्षा राज्य मंत्री की हैसियत से लोक सभा में श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सांसद(लोक सभा) द्वारा ''सैनिकों द्वारा गोली-बारी का अभ्यास'' के संबंध में 13 दिसंबर, 1995 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 2538 का लिखित उत्तर दिया था।

''लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण संबंधी समिति'' की रिपोर्ट की जानकारी मिलने पर सेना प्राधिकारियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से पूछताछ की थी कि क्या उन्हें चादंमारी क्षेत्र के संबंध में प्रभावित क्षेत्र के निवासियों की ओर से कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। उस समय पुलिस प्राधिकारियों ने यह बताया था कि पिछले तीन वर्षों में स्थानीय पुलिस ने धारा 174 अपराध दंड संहिता (अस्वाभाविक/संदिग्ध मृत्यु के मामले) के तहत, गोला-विस्फोट आदि के कारण चार सिविलियनों की मृत्यु के मामले दर्ज किए थे। इन मामलों में मृत्यु के वास्तविक कारण का पता लगाने के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारी उत्तरदायी हैं। उन्होंने इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने के बारे में किसी भी स्तर पर सेना प्राधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी थी। जानकारी न होने के कारण पहले यह सूचना शामिल न किए जाने का अत्यंत खेद है।

मैं एतद्द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या-2538 के संशोधित उत्तर की एक प्रति (अनुबंध-I) सदन के पटल पर रखता हूं।

अनुबंध-I

प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
सैनिकों द्वारा गोलीबारी का अभ्यास श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :		
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :		
(क) क्या नासिक में देवलाली के निकट चाँदमारी क्षेत्र में सेना द्वारा की जाने वाली गोली-बारी के अभ्यास के दौरान लक्ष्य	(क) जी, नहीं	(क) जी, नहीं (कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है)

प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
से हटकर जाने वाली गोलियों से प्रति वर्ष अनेक आदिवासी मारे जाते हैं;		
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; (ग) यदि हां, तो इस प्रकार की गोलियों से आदिवासियों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही योजना बनाई गई है; और	(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।	(ख) और (ग) देवलाली चांदमरी क्षेत्र एक स्थाई रूप से अर्जित क्षेत्र है जहाँ अनधिकृत प्रवेश वर्जित है। यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सुरक्षा सावधनियां बरती जाती हैं कि उस क्षेत्र की सीमा से बाहर कोई गोले छितरन या टुकड़े न गिरने दिए जाएं। यह उल्लेखनीय है कि फायरिंग गोलाबारूद के धातु के कचरे को इकट्ठा करने के लिए इस समय एक संविदा की हुई है। संविदा के अनुसार केवल संविदाकार के कर्मचारी ही धातु का कचरा इकट्ठा करने के लिए प्राधिकृत हैं। इन कर्मचारियों को नियमित पास जारी किए हुए हैं। ये कर्मचारी इस क्षेत्र में केवल उस समय प्रवेश करते हैं जब फायरिंग न हो रही हो और वह भी मुख्यालय आर्टिलरी स्कूल, देवलाली की पुर्वानुमति से।
(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गये?	(घ) शून्य	(घ) तथापि पूछताछ करने पर मालूम हुआ है कि स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने रिकार्ड में धारा 174 अपराध दण्ड संहिता (अस्वाभाविक मृत्यु का मामला) के तहत चार सिविलियनों की मृत्यु के मामले दर्ज किए हैं। इस संबंध में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अभी पूरी तरह से जाँच की जानी है कि इन व्यक्तियों की मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है?

11.27 म०पू०

तत्पश्चात लोक सभा माध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म०प०

लोक सभा 2.00 म०प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जायेंगे।

2.01¼ म०प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री जी० वेकेट स्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9100/96]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9101/96]

(4) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 57 की उपधारा (3) के अन्तर्गत

शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1995 जो 26 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 806 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०9102/96]

एम०एम०टी०सी० लिमिटेड के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण आदि

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) एम०एम०टी०सी० लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम०एम०टी०सी० लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखा तथा उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9103/96]

(2)(एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9104/96]

(4) एम०एम०टी०सी० लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9105/96]

(5)(एक) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9106/96]

(7)(एक) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9107/96]

(9)(एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9108/96]

सवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री एच० आर० भारद्वाज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1)(एक) सवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9109/96]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 32, जो 27 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में दर्शाई गई कतिपय कम्पनियों को निधियों के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9110/96]

(4) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995, जो 27 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 762(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9111/96]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त कंपनी अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी उनतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9112/96]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री एम० अरूणाचलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1)(एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9113/96]

(3) (एक) राष्ट्रीय उद्यमी और लघु व्यापार विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उद्यमी और लघु व्यापार विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9114/96]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत अधिसूचनायें आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा संस्करण) :–

(एक) सा० का० नि० 803(अ), जो 21 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57छ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 809(अ), जो 26 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1994 से 11 अप्रैल, 1994 की अवधि के दौरान कार्बनडाई-ओक्साइड पर से शुल्क को अधित्यक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 810(अ), जो 26 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र निकासी पर सीमा-शुल्क से अस्थायी छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 817(अ), जो 27 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 85/87-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9115/96]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा० का० नि० 804(अ), जो 26 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ब्राजील व रूस से भारत में निर्यातित विसफेनाल-ए पर क्रमश : 10,263 रुपये प्रति मी० टन और 12,558 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से डम्पिंग-रोधी शुल्क् लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 821(अ), जो 29 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में दर्शाए गए कतिपय माल को जब उसका भारत में आयात किया जाए उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के विनिर्दिष्ट भाग से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 822(अ), जो 29 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय माल को जब उसका भारत में आयात किया जाये उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के विनिर्दिष्ट भाग से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 823(अ), जो 29 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें दर्शायी गई कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 64(अ), जो 24 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 59/95-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 65(अ), जो 24 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो माल को जब उसका भारत में आयात किया जाए उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के विनिर्दिष्ट भाग से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 66(अ), जो 24 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो माल को जब उसका भारत में आयात किया जाए उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के विनिर्दिष्ट भाग से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 33(अ), जो 17 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या 106/95-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 34(अ), जो 17 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या 107/95-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 35(अ), जो 17 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अगस्त, 1992 की अधिसूचना संख्या 260/92-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 99(अ), जो 1 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 31/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9116/96]

(3) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अधीन स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 1996, जो 12 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 25(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 39(अ), जो 12 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में कतिपय परिवर्धन किये गये हैं, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9117/96]

(5) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, जो 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के 1 जुलाई, 1994 से 30 जून, 1995 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9118/96]

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत 31 मार्च, 1995 को समप्ति हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1996 का संख्यांक 5)—(राजस्व प्राप्तियां – प्रत्यक्ष कर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9119/96]

हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री मल्लिकार्जुन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1)(एक) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9120/96]

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रकिया) संशोधन नियम, 1996

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्रीमती मारग्रेट आल्वा की ओर से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985

की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रकिया) संशोधन नियम, 1996, जो 22 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 41(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9121/96]

दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लिमिटेड, मधुकुंडा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क)(एक) दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लिमिटेड, मधुकुंडा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लिमिटेड, मधुकुंडा के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9122/96]

(ख)(एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9123/96]

(ग)(एक) प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9124/96]

(3) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9125/96]

(4) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटाकमंड के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9126/96]

(5)(एक) राष्ट्रीय सीमेन्ट और भवन निर्माण साम्रगी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सीमेन्ट और भवन निर्माण साम्रगी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी विवरण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9127/96]

(7) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9128/96]

विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, नागपुर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1)(एक) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, नागपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, नागपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9129/96]

(3) एज्युकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9130/96]

(4) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 को धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा०का०नि० 326 जो 8 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 10क के खण्ड (5) में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

(दो) सा०का०नि० 455 जो 21 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियमों के अंतर्गत परीक्षा संचालन तथा छात्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने संबंधी अध्यादेश के खण्ड (4) में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9131/96]

(5)(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9132/96]

(7) आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (वित्तीय सलाहकार और ग्रुप "क" तकनीकी पद) भर्ती विनियम, 1995, जो 4 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 468 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9133/96]

(8) नवोदय विद्यालय समिति के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9134/96]

महिला सामाख्या सोसाइटी, गुजरात का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा उन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डॉ० कृपासिन्धु भोई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) महिला सामाख्या सोसाइटी, गुजरात के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला सामाख्या सोसाइटी, गुजरात का वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9135/96]

(3) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, चण्डीगढ़ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, चण्डीगढ़ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9136/96]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1993-94, 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे आदि

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : महोदय, मैं श्री एस०एस० अहलुवालिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 9137/96]

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9138/96]

(2) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9139/96]

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय स्वशासी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का राष्ट्रीय अधिनियम संख्यांक 3) जो 5 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9140/96]

(5)(एक) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थाज्लय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9141/96]

(7)(एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9142/96]

रेल संरक्षण बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1996 आदि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : महोदय, मैं रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) रेल संरक्षण बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1996, जो 18 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 1996 जो 27 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 45 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9143/96]

2.01 म०प०

इस समय श्री मोहम्मद अशरफ अली फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गये

2.01¼ म०प०

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

इकसठवां, बासठवां, तिरसठवां तथा चौंसठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री हरिलाल नानजी पटेल (कच्छ) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय–गैस/पेट्रोल एजेंसियों देने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सहित इंडियन आयल कारपोरेशन लि० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के उनचासवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में इकसठवां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)– समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (अ०जा० तथा अ०ज०जा० को प्रदान की गई सहायता) के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के पैंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में बासठवां प्रतिवेदन।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय वन संसाधनों पर जनजाति के लोगों के अधिकार तथा पहुंच के संबंध में वन नीति के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के चवालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तिरसठवां प्रतिवेदन।

(4) कल्याण मंत्रालय (जनजाति विकास प्रभाग) –"महाराष्ट्र में समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं के कार्यकरण" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के इक्यावनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में चौसठवां प्रतिवेदन।

2.01 ½ म० प०

[अनुवाद]

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

बीसवां और तेईसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की बैठकों के तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं :–

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1993 संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(2) "श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 1995-96" के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही के बारे में तेईसवां प्रतिवेदन।

2.01 ½ म० प०

[अनुवाद]

रेल संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री हरिलाल ननजी पटेल (कच्छ) : महोदय, मैं "रेलवे में सुरक्षा उपाय और आस्तियों का रखरखाव" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (1995-96) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.02 म०प०

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर बजट, 1996-97

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं :–

1996-97 के संबंध में लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान संबंधी मांगें (जम्मू-कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	14,13,1 7,000	1,35,30,000
2.	गृह विभाग	1 49,76,47,000	3,59,45,000
3.	योजना और विकास विभाग	2,80,66,000	2,95,85,000
4.	सूचना विभाग	2,68,27,000	32,18,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	63,09,62,000	32,89,12,000
6.	ऊर्जा विकास विभाग	294,52,73,000	141,19,29,000
7.	शिक्षा विभाग	195,04,64,000	8,04,38,000
8.	वित्त विभाग	88,19,89,000	2,20,00,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
9.	संसदीय कार्य विभाग	95,31,000	–
10.	विधि विभाग	7,82,17,000	–
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	22,67,73,000	22,15,87,000
12.	कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	46,86,46,000	30,73,98,000
13.	पशु पालन विभाग	25,93,34,000	4,59,86,000
14.	राजस्व विभाग	42,82,15,000	1,23,40,000
15.	खाद्य, आपूर्ति और परिवहन विभाग	31,71,00,000	279,01,02,000
16.	लोक निर्माण विभाग	72,53,16,000	38,29,44,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	86,63,97,000	9,25,85,000
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	12,91,10,000	4,73,77,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	15,96,39,000	25,75,09,000
20.	पर्यटन विभाग	6,63,18,000	5,78,33,000
21.	वन विभाग	27,38,73,000	12,01,61,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	35,61,50,000	19,72,83,000
23.	लोक स्वास्थ्य, आभियांत्रिकी विभाग	50,11,53,000	20,69,72,000
24.	सम्पदा, आतिथ्य और नयाचार तथा उद्यान और बाग विभाग	9,55,27,000	1,07,78,000
25.	श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग	6,04,10,000	8,91,23,000
26.	मत्स्य पालन विभाग	2,56,86,000	1,15,05,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	27,84,74,000	4,87,28,000

2.03 म०प०

के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

[अनुवाद]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें - जम्मू-कश्मीर, 1995-96

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं वर्ष 1995-96

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू और कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	11,41,23,000	–
2.	गृह विभाग	103,51,80,000	63,00,000
3.	योजना और विकास विभाग	20,09,68,000	15,00,57,000
4.	सूचना विभाग	65,87,000	–
5.	लद्दाख कार्य विभाग	3,89,14,000	4,00,59,000
6.	ऊर्जा विकास विभाग	1,18,37,000	–
7.	शिक्षा विभाग	46,85,91,000	10,57,86,000
8.	वित्त विभाग		3,25,00,000
9.	संसदीय कार्य विभाग	18,69,000	–
10.	विधि विभाग	84,51,000	–
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	11,24,08,000	–
12.	कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	19,85,62,000	–
13.	पशु पालन विभाग	7,89,91,000	–
14.	राजस्व विभाग	6,49,48,000	–
15.	खाद्य, आपूर्ति और परिवहन विभाग	2,09,14,000	–
16.	लोक निर्माण विभाग	11,38,14,000	28,46,88,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	28,32,84,000	–
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	8,98,59,000	5,94,47,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	4,91,03,000	–
20.	पर्यटन विभाग	1,25,07,000	–
21.	वन विभाग	16,21,67,000	46,46,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	9,09,16,000	58,39,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
23.	लोक स्वास्थ्य, आभियांत्रिकी विभाग	22,65,13,000	48,60,17,000
24.	सम्पदा, आतिथ्य और नयाचार तथा उद्यान और बाग विभाग	2,69,03,000	–
26.	मत्स्य पालन विभाग	1,09,92,000	–
27.	उच्च शिक्षा विभाग	1,34,60,000	–

2.03½ म०प०

[अनुवाद]

1996-97 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश बजट, 1996-97

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 के लिये लेखानुदान संबंधी मांगें (उत्तर प्रदेश)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	आबकारी विभाग	7,48,79,000	–
2.	आवास विभाग	8,95,62,000	15,06,25,000
3.	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	29,42,000	7,50,000
4.	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	2,82,11,000	–
5.	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	24,69,56,000	1,57,93,000
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	16,06,68,000	1,10,06,000
7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2,17,51,000	5,00,02,000
8	उद्योग विभाग (लेखन साम्रगी और मुद्रण)	19,69,23,000	–

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
9.	ऊर्जा विभाग	1,63,74,000	498,54,86,000
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	23,58,31,000	1,89,51,000
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	171,91,64,000	56,07,12,000
12.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	22,30,02,000	25,00,000
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	351,25,05,000	12,80,96,000
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	144,23,95,000	5,50,000
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	60,38,74,000	12,76,000
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	5,14,93,000	3,60,47,000
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्सय)	7,96,62,000	50,000
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	12,40,68,000	290,92,56,000
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	1,68,82,000	—
20.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	58,40,000	—
21.	खाद्य तथा रसद विभाग	41,60,25,000	935,41,00,000
22.	खेल विभाग	4,99,38,000	1,31,63,000
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	22,61,09,000	—
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	17,19,08,000	3,37,50,000
25.	गृह विभाग (कारागार)	32,77,66,000	2,41,82,000
26.	गृह विभाग (पुलिस)	627,15,51,000	6,34,82,000
27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	33,89,26,000	—
28.	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	17,43,15,000	—
30.	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	40,43,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	53,15,77,000	5,03,000
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	209,34,11,000	11,86,37,000
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	35,03,26,000	11,00,000
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	12,61,52,000	1,000
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	115,43,48,000	2,000
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	92,51,02,000	18,42,000
37.	नगर विकास विभाग	254,21,07,000	4,37,50,000
38.	नागरिक उड्डयन विभाग	3,12,18,000	57,50,000
39.	भाषा विभाग	1,50,06,000	—
40.	नियोजन विभाग	40,82,33,000	30,00,00,000
41.	निर्वाचन विभाग	36,75,98,000	—
42.	न्याय विभाग	58,52,17,000	4,50,00,000
43.	परिवहन विभाग	8,34,63,000	1,000
44.	पर्यटन विभाग	3,41,44,000	6,91,60,000
45.	पर्यावरण विभाग	1,18,52,000	1,000
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग	36,31,000	—
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	44,61,30,000	2,10,91,000
48.	मुस्लिम वक्फ विभाग	54,75,000	—
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	72,95,69,000	52,50,000
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	47,35,14,000	4,72,54,000
51.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	64,08,38,000	70,62,000
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	173,68,11,000	37,000
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	18,27,90,000	1,10,00,000
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	118,51,21,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
55.	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	5,10,38,000	5,06,72,000
56.	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	4,42,50,000	6,25,62,000
57.	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	—	1,69,11,000
58.	लोक निर्माण (संचार साधन)	101,89,04,000	200,21,77,000
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय)	8,75,81,000	3,00,03,000
60.	वन विभाग	55,52,12,000	11,38,000
61.	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	570,50,73,000	32,27,50,000
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	347,32,50,000	—
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	14,27,02,000	1,000
64.	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	19,77,000	—
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	20,53,77,000	—
66.	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	21,31,000	—
67.	विधान परिषद सचिवालय	2,39,77,000	—
68.	विधान सभा सचिवालय	6,38,60,000	—
69.	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	—	1,20,00,000
70.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	9,82,87,000	—
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1294,60,99,000	23,13,000
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	786,73,93,000	2,28,77,000
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	189,18,30,000	1,80,01,000
74.	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	7,15,19,000	—
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	18,43,45,000	—
76.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	21,77,47,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
77.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	28,57,49,000	73,33,000
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग	30,00,71,000	—
79.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	66,93,27,000	52,000
80.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	155,89,06,000	3,23,39,000
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2,64,55,000	49,51,000
82.	सतर्कता विभाग	3,20,04,000	—
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	9,46,000	—
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	40,27,000	—
86.	सूचना विभाग	10,35,19,000	—
87.	सैनिक कल्याण विभाग	6,41,18,000	—
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	36,49,000	1,71,14,000
89.	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	46,31,30,000	20,01,000
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)	1,81,35,000	—
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	7,45,81,000	2,50,00,000
92.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	4,02,58,000	13,00,000
93.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	191,51,03,000	58,66,22,000
94.	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	418,94,14,000	390,20,13,000
95.	उत्तराखंड विकास विभाग	158,55,71,000	69,83,67,000

2.04 म०प०

[अनुवाद]

के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

अनुदानों की अनुपूरक मांगें – उत्तर प्रदेश, 1995-96

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं वर्ष 1995-96

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	आबकारी विभाग	1,42,53,000	–
2.	आवास विभाग	1,46,74,000	–
3.	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	3,03,000	–
4.	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	23,54,000	12,18,34,000
5.	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	14,28,96,000	–
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2,59,22,000	89,17,000
7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	91,50,000	19,25,00,000
8.	उद्योग विभाग (लेखन साम्रगी और मुद्रण)	2,00,00,000	–
9.	ऊर्जा विभाग	34,52,42,000	–
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	4,70,85,000	–
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(कृषि)	45,61,40,000	25,68,94,000
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	11,27,98,000	–
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,40,54,000	–
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	5,27,58,000	29,40,000
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	44,58,000	45,00,000
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्सय)	15,00,000	–
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	3,50,19,000	41,69,28,000
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	32,76,000	–
21.	खाद्य तथा रसद विभाग	5,94,60,000	–
22.	खेल विभाग	1,04,67,000	1,20,44,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	10,78,04,000	–
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	21,21,28,000	58,16,29,000
25.	गृह विभाग (कारागार)	5,09,40,000	4,00,10,000
26.	गृह विभाग (पुलिस)	61,88,81,000	16,47,55,000
27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2,09,55,000	–
28.	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	1,47,97,000	–
30.	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	25,00,000	–
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	6,28,14,000	–
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	74,49,02,000	2,62,19,000
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	9,00,39,000	–
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	2,66,50,000	–
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	56,98,70,000	–
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	20,14,60,000	–
37.	नगर विकास विभाग	32,86,41,000	1,00,00,000
38.	नागरिक उड्डयन विभाग	8,08,85,000	8,70,64,000
39.	भाषा विभाग	91,95,000	–
40.	नियोजन विभाग	2,56,23,000	3,00,000
42.	न्याय विभाग	24,28,54,000	5,76,44,000
43.	परिवहन विभाग	1,57,40,000	7,28,000
44.	पर्यटन विभाग	63,50,000	5,83,49,000
45.	पर्यावरण विभाग	–	30,22,000
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग	1,48,000	–
48.	मुस्लिम वक्फ विभाग	35,00,000	–
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	22,97,85,000	–

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	15,13,54,000	2,49,40,000
51.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	35,000	—
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1,09,05,46,000	—
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1,53,88,000	—
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	15,88,55,000	—
55.	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	2,16,95,000	36,95,000
56.	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	3,32,19,000	10,57,91,000
57.	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	—	8,66,15,000
58.	लोक निर्माण (संचार साधन)	24,86,82,000	1,07,91,41,000
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय)	2,48,34,000	8,11,02,000
60.	वन विभाग	13,25,22,000	1,000
61.	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	5,50,000	1,000
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	1,44,69,29,000	—
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2,24,37,000	1,39,000
64.	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	3,52,08,77,000	—
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	44,00,000	—
68.	विधान सभा सचिवालय	1,96,000	—
70.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	2,41,000	—
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2,47,30,85,000	—
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,08,76,07,000	16,00,000
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	13,38,65,000	—
74.	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	16,38,000	—
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4,29,84,000	—
76.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	4,94,19,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
77.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	4,34,89,000	43,89,000
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग	11,79,90,000	–
79.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	18,09,000	–
80.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	1,33,13,000	2,99,00,000
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	48,16,000	–
82.	सतर्कता विभाग	24,82,000	–
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	2,20,000	–
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	29,01,000	–
86.	सूचना विभाग	3,61,45,000	–
87.	सैनिक कल्याण विभाग	15,36,59,000	31,17,000
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	7,00,000	24,18,000
89.	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	11,81,10,000	–
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)	35,77,000	–
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	1,33,59,000	5,00,00,000
92.	संस्कृतिक कार्य विभाग	4,66,33,000	39,00,000
93.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	32,85,58,000	–
94.	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	17,48,33,000	48,81,83,000
95.	उत्तराखंड विकास विभाग	52,40,64,000	40,19,58,000

2.05 म०प०

[अनुवाद]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें–सामान्य, 1995-96

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं वर्ष 1995-96 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। **(व्यवधान)**

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 1995-96 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	कृषि	1,00,000	—
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	9,66,00,000	—
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	5,41,00,000	16,26,00,000
6.	उर्वरक विभाग	982,09,00,000	—
7.	नागर विमानन विभाग	34,58,00,000	1,00,000
8.	पर्यटन विभाग	11,48,00,000	—
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	40,52,00,000	—
12.	आपूर्ति विभाग	90,00,000	—
13.	डाक विभाग	162,49,00,000	50,00,000
14.	दूर संचार विभाग	886,93,00,000	1389,98,00,000
15.	रक्षा मंत्रालय	—	94,00,000
16.	रक्षा पेंशनें	339,98,00,000	—
17.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	499,64,00,000	—
18.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	300,07,00,000	—
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	686,28,00,000
23.	विदेश मंत्रालय	242,42,00,000	4,99,00,000
24.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	—
26.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1573,60,00,000	—
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	890,87,00,000	120,00,00,000
31.	व्यय विभाग	1,82,00,000	—
32.	पेशनें	110,17,00,000	—
33.	लेखा परीक्षा	36,17,00,000	—
34.	राजस्व विभाग	—	1,00,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
35.	प्रत्यक्ष कर	40,00,00,000	—
36.	अप्रत्यक्ष कर	31,80,00,000	—
37.	खाद्य मंत्रालय	250,82,00,000	—
39.	स्वास्थ्य विभाग	23,88,00,000	39,98,00,000
40.	परिवार कल्याण विभाग	71,63,00,000	—
41.	गृह मंत्रालय	24,65,00,000	5,80,00,000
42.	मंत्रिमंडल	2,45,00,000	—
43.	पुलिस	337,12,00,000	1,17,00,000
44.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	—	24,63,00,000
45.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	5,06,00,000	214,00,000
46.	शिक्षा विभाग	4,00,000	—
48.	संस्कृति विभाग	5,54,00,000	—
49.	महिला और बाल विकास विभाग	91,33,00,000	—
51.	भारी उद्योग विभाग	8,67,00,000	67,44,00,000
52.	सरकारी उद्यम विभाग	1,11,00,000	—
53.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	3,69,00,000	—
54.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	12,81,00,000	1,75,00,000
57.	विधि और न्याय	10,72,00,000	—
58.	निर्वाचन आयोग	26,00,000	—
63.	संसदीय कार्य मंत्रालय	13,00,000	—
64.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	11,89,00,000	1,74,00,000
65.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	56,00,000	1030,57,00,000
69.	विद्युत मंत्रालय	—	3,00,000
70.	ग्रामीण विकास विभाग	2,00,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
73.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	24,87,00,000	—
75.	इस्पात मंत्रालय	10,79,00,000	—
76.	भूतल परिवहन	—	24,50,00,000
77.	सड़कें	95,81,00,000	5,36,00,000
78.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	72,20,00,000	6,88,00,000
79.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	2,00,000	86,36,00,000
80.	शहरी विकास और आवास	8,82,00,000	12,51,00,000
81.	लोक निर्माण कार्य	16,99,00,000	13,01,00,000
84.	कल्याण मंत्रालय	1,00,000	—
85.	परमाणु ऊर्जा	13,64,00,000	—
89.	अन्तरिक्ष विभाग	—	27,32,00,000
90.	लोक सभा	7,35,00,000	—
91.	राज्य सभा	56,00,000	—
93.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	18,00,000	—
95.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	43,73,00,000	—
96.	दादरा और नगर हवेली	2,12,00,000	9,00,000
97.	लक्षद्वीप	3,00,00,000	—
98.	चंडीगढ़	17,12,00,000	78,00,000
99.	दमन और दीव	2,90,00,000	—
		7383,11,00,000	**3571,03,00,000**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 3 म०प० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.05 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा 3 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.00 म०प०

लोक सभा 3 म०प० पर पुनः समवेत हुई
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

3.01 म०प०

[अनुवाद]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू करेंगे। कुमारी ममता बनर्जी अपना भाषण जारी रखेंगी।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्थिति बड़ी असाधारण हो गई है। ... **(व्यवधान)**

3.02 म०प०

[अनुवाद]

इस समय श्रीमती सरोज दुबे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 7 मार्च, 1996 को 11 म०पू० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

3.03 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 7 मार्च, 1996/17 फाल्गुन, 1917(शक) के 11 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस० 48/47/6/96 (एन०)
250

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 अंसारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।